‘मजदूरवाणी’’

बंधुआ मुक्ति मोर्चा द्वारा प्रयोजित रेडियो कार्यक्रम

ऐपिसोड 58– 78

शोध एवं आलेख

श्री सतेन्द्र मिश्र

प्रायोजक :–

बंधुआ मुक्ति मोर्चा,

7 जन्तर मन्तर रोड़

नई दिल्ली – 110 001

फोन : 336 6765, 336 7943, फैक्स : 336 8355

ईमेल : agnivesh@vsnl.com

अनुक्रमिका

ऐपिसोड	प्रसारण तिथि	शीर्षक
58	07–10–2001	खदान मजदूर के कानूनी अधिकार
59	14–10–2001	शराब की बुराई और मेहनतकश
60	21–10–2001	ईट भट्ठा मजदूर
61	28–10–2001	श्रमिक भविष्य निधि
62	04–11–2001	नियोगी की शहादत और मजदूर के हक
63	11–11–2001	मजदूरों के सवाल स्वामी जी के जबाव
64	18–11–2001	मजदूरवाणी के पत्रो के जबाव
65	25–11–2001	कर्मकार प्रतिकर अधिनियम
66	02–12–2001	बाल श्रम अधिनियम
67	09–12–2001	निर्माण मजदूर
68	16–12–2001	मजदूरो के कानूनी अधिकार
69	23–12–2001	बाल मजदूरी और उसके उन्मूलन पर विचार
70	06–01–2002	असंगठित मजदूरों से संबंधित अधिकार
71	13–01–2002	महाशिवरात्रि के पर्व पर स्वामी जी का विशेष संदेश
72	20–01–2002	गणतन्त्र दिवस पर विशेष
73	27–01–2002	कृषक मजदूर
74	03–02–2002	गुरूकुल इन्द्रप्रस्थ
75	10–02–2002	कंपनसेशन अधिनियम 1923 के बारे में जानकारी
76	17–02–2002	बाल मजदूरी और उसके उन्मूलन पर विचार
77	24–02–2002	निर्माण मजदूरों के लिए कल्याणकारी योजनाएँ
78	03–03–2002	कबाड़ उठाने वाले बच्चों पर

शोध एवं आलेख : – श्री सतेन्द्र मिश्र

"मजदूरवाणी" कार्यक्रम का प्रारूप

वर्तमान में **''मजदूरवाणी'' कार्यक्रम** प्रसार भारती, आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र 'ए' स्टेशन से प्रत्येक मंगलवार को रात्रि 8.00 बजे से 8.15 तक प्रसारित किया जाता है । आकाशवाणी पर मजदूरवाणी कार्यक्रम का प्रसारण 16 मई 2000 से किया जा रहा है । 29 सितम्बर 2001 से रविवार प्रातः 9.30 से 9.45 मिनट पर प्रसारित हो रहा है । मजदूरवाणी कार्यक्रम का आरम्भ निम्नलिखित **शीर्षक गीत** से किया जाता है ।

माटी को सोना बनाने वाले भाई रे,
माटी से हीरा उगाने वाले भाई रे,
माटी से हीरा उगाने वाले भाई रे,
मजदूरवाणी की ये बात सुन ले भाई रे,
धरती भी तेरी, ये अम्बर भी तेरा,
तुझको ही लाना है अपना सवेरा,
कालीरात बंधुआ की, खत्म होने आयी रे,
धरती को सोना बनाने वाला भाई रे ।

''मजदूरवाणी'' बंधुआ मुक्ति मोर्चा, द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम, मजदूरवाणी की उद्घोषणा के साथ कार्यक्रम प्रारम्भ होता है कार्यक्रम की विषयवस्तु और कार्यक्रम का समापन – अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम मजदूरणी । आपके कोई सवाल हैं तो हमें लिखिये। हमारा पता है

मजदूरवाणी,
बंधुआ मुक्ति मोर्चा,
7 जन्तर मन्तर रोड़, नई दिल्ली – 100 001

विषय संयोजन : **स्वामी अग्निवेश**
शोध एवं आलेख : **श्री त्रिनेत्र जोशी**

कार्यक्रम बंधुआ मुक्ति मोर्चा और इग्नू की मानवाधिकार ईकाई द्वारा प्रस्तुत किया गया ।
कार्यक्रम में सहयोग के लिये हम योजना आयोग की समाजिक आर्थिक अनुसंधान ईकाई के आभारी हैं।

''मजदूर वाणी''

(बंधुआ मुक्ति मोर्चा द्वारा आकाशवाणी पर प्रसारित होने वाला प्रयोजित कार्यक्रम)

''मजदूर वाणी'' – एक परिचय

''मजदूरवाणी'' बंधुआ मुक्ति मोर्चा द्वारा आकाशवाणी के दिल्ली 'ए' केंद्र से प्रसारित होने वाला कार्यक्रम है। दिल्ली और उसके आस–पास के हिन्दी भाषी क्षेत्रों में इस कार्यक्रम की पहुँच है । यह प्रत्येक मंगलवार को रात्रि 8 बजे से 815 बजे तक प्रसारित होने वाला साप्ताहिक कार्यक्रम है । आकाशवाणी से प्रसारित समाचारों के ठीक बाद इस कार्यक्रम का प्रसारण शुरू होता है । 29 सितम्बर 2001 से रविवार प्रातः 9.30 से 9.45 मिनट पर प्रसारित हो रहा है ।

<u>परिकल्पना</u> :–

देश की 92 प्रतिशत से अधिक श्रमशक्ति असंगठित क्षेत्र में कार्यरत है । ये समाज के कमजोर एवं् वंचित वर्ग के लोग हैं, जिनमें बाल, बंधुआ एवं महिला श्रमिक शामिल है, जो तंग मजदूर बस्तियों में जीवन का संघर्ष कर रहे हैं, जिन्हें अपने श्रम का पूरा मूल्य नहीं मिलता, उन लोगों तक कानूनों एवं सूचनाओं की जानकारी पहुँचाकर अधिकार संपन्न बनाना ।

<u>उद्देश्य</u> :–

'' मजदूर वाणी'' कार्यक्रम का उद्देश्य है– समाज के कमजोर वर्ग के लोगों, जिनके लिये कानून अधिक महत्व रखते हैं , उनको सरल एवं् रोचक तरीके से कानूनों की जानकारी देकर अधिकार संपन्न बनाना, सूचनाओं तक उनकी पहुँच बनाकर, सामाजिक दायित्वबोध का विकास कर समुदायों को अधिकार संपन्न बनाना ।

– सामाजिक एवं् आर्थिक न्याय दिलाने के लिए श्रमिक एवं् सामाजिक कल्याणकारी कानूनों की जानकारी जन–जन तक पहुँचा कर लोगों एवं् समुदायों को अधिकार संपन्न बनाना ।

– समाज में कानून, सामाजिक न्याय के मुद्दों पर विमर्श के लिये वातावरण का निर्माण करना ।

– सामाजिक और निजी अधिकरों के प्रति जागरूकता पैदा करना ।

– सामाजिक रवैये में थोड़ा बदलाव आ पाये इसका प्रयास करना ।

– समुदाय के स्तर पर कार्य कर रही संस्थाओं, ट्रेड यूनियन कार्यकर्त्ताओं, नागरिक एवं मानवीय अधिकार कार्यकत्ताओं को कानूनी अधिकारों के प्रति जागरूक करना, जिससे समुदायों को उनके अधिकारों के लिये संगठित करने में मदद मिले ।

– महिलाओं को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक करना, ताकि वे अपने कुछ खास अधिकारों की मॉग कर सकें ।

– नर–नारी समता के प्रचार के साथ ही महिलाओं को समाज में न्यायोचित स्थान मिले, उसके लिये वातावरण निर्माण करना ।

– सभी प्रकार के शोषण, अन्याय, अत्याचार के विरूद्ध जन–जागरण द्वारा लोगों को शिक्षित करना।

बंधुआ मुक्ति मोर्चा पिछले अनेक वर्षों से समाज के अंतिम छोर पर रह रहे लोगों को अधिकार सम्पन्न बनाने के कार्य में लगा है । बंधुआ मुक्ति मोर्चा के प्रमुख कार्यों में बंधुआ मजदूरों की मुक्ति , बाल मजदूरी प्रथा के कलंक का खात्मा, नागरिक एवं मानवीय अधिकारों के लिए संघर्ष, तथा सती–प्रथा, दहेज, बालिका भ्रूण हत्या, छुआछुत, जातीय एवं लिंगभेद के विरोध में अभियान चलाना आदि मुख्य मुद्दे रहे हैं। इसी के साथ असंगठित क्षेत्र जैसे निर्माण मजदूर, ईट भट्टा मजदूर तथा मजदूर बस्तियों में रहवास की स्थितियों को मानवीय बनाने के लिए बुनियादी सुविधायें उपलब्ध कराने के लिए संघर्ष करता रहा है । मोर्चे ने अपने कार्य के दौरान अनुभव किया कि अपने देश में ऐसे अनेक कानून हैं जो वंचितों, महिलाओं, दलितों एवं श्रमिकों को एक सम्मानजनक मानवीय जीवन जीने के लिये अधिकार–सम्पन्न बनाते हैं ।

इसी दौरान यह बात भी सामने आयी कि 92 % श्रम शक्ति असंगठित क्षेत्र में कार्यरत है । इसमें महिलाओं का एक बड़ा हिस्सा है । असंगठित क्षेत्र के लोगों को कानूनों की जानकारी न होने के कारण कोई भी सामाजिक लाभ जैसे न्यूनतम मजदूरी, प्रसूति अवकाश, बच्चों का स्कूलों में प्रवेश आदि संभव नहीं हो पाता हैं । महिलाओं की स्थिति और भी दयनीय है। उनके साथ मजदूरी में भी भेद भाव किया जाता है । शहरों में अधिकांश असंगठित मजदूर तंग बस्तियों में अमानवीय जीवन जीने के लिये मजबूर है । जीवन के लिये मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति भी नहीं हो पाती है । यहॉ तक कि उन्हें संविधान द्वारा प्रदत्त मूलभूत अधिकारों से भी वंचित रहना पड़ता है ।

अपने कार्य के दौरान यह अनुभव हुआ कि अधिकांश लोग अशिक्षित अथवा अर्धशिक्षित हैं । उनके कल्याण के लिये बने कानूनों तथा नागरिक एवं् सामाजिक अधिकरों की जानकारी लगभग नगण्य है।

यह अनुभव हुआ कि श्रव्य एवं् संचार के आधुनिकतम माध्यमों जैसे टी0वी0, रेडियों आदि संसाधनों जिनकी पहुँच समाज के इन कमजोर तबको तक है, का उपयोग इनके बीच कानूनी जानकारी एवं् सूचनाओं का प्रसार कर अधिकार संपन्न एवं् जागरूक बनाने के लिए किया जा सकता है ,ताकि वे सम्मान के साथ, मानवीय गरिमापूर्ण जीवन जी सकें ।

बंधुआ मुक्ति मोर्चा पिछले अनेक वर्षों से इस प्रयास में लगा था । अंततः लम्बी कोशिशों के बाद प्रसार भारती, आकाशवाणी की व्यावसायिक प्रसारण सेवा के दिल्ली 'ए' केंद्र पर मजदूरवाणी के प्रसारण का यह अवसर प्राप्त हुआ है ।

<u>संभावनाएँ</u> :–

समुदायों को अधिकार संपन्न बनाने के दिशा में इस रेडियों प्रसारण से एक महत्वपूर्ण कार्य की शुरूआत हो रही है ।

– **इस क्षेत्र में किसी भी स्वैच्छिक संस्था की यह अनूठी पहल है, जिसमें अनेक संभावनाएँ है। समुदायों के बीच सूचना का प्रसार कर उन्हें अधिकार संपन्न बनाने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका होगी ।भविष्य में सामुदायिक रेडियों प्रसारण की दिशा में भी यह एक महत्वपूर्ण प्रयास होगा, ऐसी आशा है ।**

<u>लक्ष्य समूह</u> :–

– असंगठित क्षेत्र के स्त्री पुरूष मजदूर दलित, मजदूर बस्तियों में रह रहे लोग ।

– वंचित वर्गों, महिलाओं, बच्चों मजदूर बस्तियों के विकास के लिये कार्यरत स्वयंसेवी संस्थाओं, मजदूर संगठनों, नागरिक अधिकार संगठनों के बुनियादी स्तर के कार्यकर्त्ता ।

– आकाशवाणी दिल्ली का प्रसारण दिल्ली के साथ–साथ, उत्तर प्रदेश, बिहार (दक्षिणी बिहार को छोड़कर) राजस्थान, मध्यप्रदेश पश्चिमी हरियाणा, पंजाब एवं हिमाचल के समस्त भागों में सुना जा सकता है ।

योजना आयोग भारत सरकार का सहयोग :– इस कार्यक्रम के स्क्रिप्ट लेखन एवं् अनुसंधान के लिये सामाजिक आर्थिक अनुसंधान ईकाई, योजना आयोग नई दिल्ली, से अनुदान राशि प्राप्त हुई है।

तकनीकी सहयोग : – इस कार्यक्रम के निर्माण के लिये इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय के इल्क्ट्रोनिक मीडिया प्रोडेक्शन सेंटर एवं् मानवाधिकार ईकाई, समाज विज्ञान संकाय से सहयोग लिया जा रहा है ।

प्रसारण संबंधी जानकारी :–

1. कार्यक्रम का नाम : **मजदूरवाणी**
2. प्रसारण स्टेशन : **दिल्ली 'ए' आकाशवाणी**
3. प्रसारण समय : **प्रातः 9.30 बजे से 9.45 मिनट प्रत्येक रविवार**
4. प्रसारण अवधि : **वर्तमान में 15 मिनट (भविष्य में 30 मिनट करने की आकांक्षा)**
5. प्रसारण आवृति : **प्रत्येक रविवार / साप्ताहिक**

हम मजदूरवाणी कार्यक्रम के लिये निम्नलिखित के सहयोग के आभारी हैं ।

प्रोजक्ट संकल्पना और संयोजन :–

– **स्वामी अग्निवेश**, अध्यक्ष, बंधुआ मुक्ति मोर्चा
– **जामिया मिलिया इस्लामिया सेन्टर,**

कार्यक्रम निर्माण :–
शोध एवं् आलेख : – **श्री सतेन्द्र मिश्र,** बंधुआ मुक्ति मोर्चा

कार्यक्रम निमार्ण सहयोग :– श्री जगबीर सिंह, सुश्री महुआ सांतरा, सुश्री मीनाक्षी रामन, श्री सुदर्शन नायक , सुश्री उषा जी, सुश्री उर्मिला, श्री उमेश, श्री प्रशांत आदि

बंधुआ मुक्ति मोर्चा –सचिवालय सहयोग :–
प्रो0 श्योताज सिंह, महासचिव, श्री एस0 पी0 मोहन, निदेशक, श्री विष्णु पाल, लेखा विभाग,
श्री मनोज कुमार सिंह, सुश्री गंगा मेहरा, सुश्री हेमा शर्मा, सुश्री सरोज जोशी
श्री आनन्द मेहरा, श्री बल बहादुर,

इस मजदूरवाणी कार्यक्रम के शोध एवं् आलेख के लिये हमें योजना आयोग की समाजिक आर्थिक अनुसंधान ईकाई से आर्थिक सहयोग प्राप्त हुआ है । इसके लिये हम योजना आयोग के उपाध्यक्ष एवं् सचिव महोदय के हृदय से आभारी हैं ।

ऐपिसोड़ –58– प्रसारण तिथि – 07–10–2001

<u>विषय :– खदान मजदूर</u>

प्रिय मजदूर भाईयों आज का हमारा मजदूरवाणी कार्यक्रम पत्थर खदान में काम करने वाले मेहनतकश मजदूरों के बारे में है । जो अपनी पूरी ताकत लगाकर खून पसीना बहाकर पत्थर निकालते हैं । उनको तराशते हैं और निर्माण करते हैं बड़े–बड़े भवनों का लेकिन आजाद हिंदुस्तान में हमने उनका अपना मकान बनते कभी नहीं देखा । ये दूसरों को तो घर देते है लेकिन खुद बेघर होते हैं ।

स्वामी जी खदान मजदूरों के बीच में उनसे बातचीत करते हुए ।

खदान मजदूरः स्वामी जी आपने हमारे बीच एक लम्बी लड़ाई लड़ी है और दिल्ली और हरियाणा की पत्थर खदानों में गुलाम जिंदगी जीने वाले मजदूरों के बीच जिंदगी की नई किरण लाने की कोशिश की है ।

स्वामी जीः देखिए पत्थर खदानों के अंदर मजदूरों की हालत में पिछले बीस वर्षों से एक लम्बी लड़ाई जारी है इस लड़ाई को काफी कुछ कामयाबी मिली है किंतु अभी बहुत कुछ करना बाकी है। लड़ाई का एक चरण पूरा हुआ था जबकि बंधुआ मजदूरों को देश के उच्च्तम न्यायालय की मदद से आजादी मिली न्याय मिला, उसकी न्यूनतम मजदूरी तय हुई ।

खदान मजदूरः स्वामी जी इस लड़ाई में मजदूरों की बहुत कुर्बानी हुई, बहुत से मजदूर खदान ठेकेदारों द्वारा कत्ल किए गए और उन पर जुल्म ढाए गए ।

स्वामी जीः हर संघर्ष में जो कि मुक्ति आजादी और न्याय के लिए किया जाता है बहुत कुर्बानी देनी पड़ती है । भारत की आजादी की लड़ाई की बात को ही ले अंग्रेजी राज से मुक्ति दिलाने और देश को आजाद कराने के लिए सन् 1857 से लेकर सन् 1947 तक भारतवासियों को कितनी कुर्बानी देनी कितने नौजवान इस देश के लिए शहीद हुए बहादुरशाह जफर मंगल पांडे, लक्ष्मी बाई से लेकर राम प्रसाद बिस्मिल, भगत सिंह,चन्द्रशेखर आजादा सुभाष चंद्र बोस जैसे कितने अमर शहीदों ने देश की आजादी के लिए अपनी जाने कुर्बान कर दी थी। आजादी के बाद भी मेहनतकश जनता को सच्ची आजादी कहॉ मिली । यहॉ हमारे देश के विभिन्न भागों में संघर्ष चलते रहे हैं । यहॉं फरीदाबाद की पत्थर खदानों में शुरू हुआ मजदूर संघर्ष भी सारे देश के मेहनतकशों के संघर्ष का एक हिस्सा रहा । इस संघर्ष को मेहनतकशों का बहुत समर्थन मिला । जिसके कारण यहॉ का संघर्ष भी कुर्बानी के बूते पर आगे बढ़ा और परवान चढ़ा जो आज दिल्ली और हरियाणा के खदान मजदूरों को एक नई जिंदगी की ओर बढ़ने का प्रयास करते दिखाई दे रहे हैं ।

खदान मजदूरः स्वामी जी बंधुआ मुक्ति मोर्चा की कोशिशों से खदान मजदूरों की न्यूनतम मजदूरी तय हुई है और यह भी तय हो गया है कि जिस मजदूर को न्यूनतम मजदूरी नहीं मिलेगी उसे बंधुआ मजदूर कानूनी तौर पर माना जाएगा । इस सबके बावजूद इन पत्थर खदानों में सभी मेहनतकशों को तय की गई मजदूरी नहीं मिल रही है ।

स्वामी जीः यदि निर्धारित न्यूनतम मजदूरी बहुत से मजदूरों को नहीं मिल पाती है तो यह कमी है मजदूरों के अपने संगठन की, उनकी अपनी जागरूकता की । जो खदान ठेकेदार मजदूरों को निर्धारित मजदूरी से कम देता है तो उसकी शिकायत श्रम उपायुक्त के कार्यालय में अपनी यूनियन कर सकती है । कम मजदूरी देने वाले ठेकेदार को बंधुआ कानून के तहत तीन साल तक की सजा हो सकती है ।

खदान मजदूरः स्वामी जी बहुत से मजदूरों को यह पता नहीं होता कि उसकी न्यूनतम मजदूरी कितनी है? स्वामी जी आपने हमारे बीच एक लम्बी लड़ाई लड़ी है और दिल्ली और हरियाणा की पत्थर खदानें में गुलाम जिंदगी जीने वाले मजदूरों के बीच जिंदगी की नई किरणे लाने की कोशिश की है । हम तो यहीं कहेंगे स्वामी जी कि आपने हमें सही दिशा दिखाई है ।

मजदूरः स्वामी जी आपने हमें इतनी सारी जानकारी दी इसका लाभ सभी गरीब, खदान मजदूर तक पहुँचेगा ।

स्वामी जीः लाभ तो पहुॅचेगा अगर सभी एक संगठित रहे और कानूनों में बारे में जाने । आज यही तक अगले मंगलवार फिर मिलेगें । राम –राम–राम भाईयों

मजदूरः राम – राम स्वामी जी । राम – राम ।

****

ऐपिसोड –59 प्रसारण तिथि – 14–10–2001

<u>विषयः – शराब की बुराई और मेहनतकश</u>

आज के इस अंक में हम प्रस्तुत कर रहे हैं मजदूरों के बीच बढ़ती शराब की लत के विरूद्ध किस तरह संघर्ष किया जाए । इस सवाल पर चर्चा करने के लिए आपके बीच उपस्थित हैं बंधुआ मुक्ति मोर्चा के अध्यक्ष स्वामी अग्निवेश जी ।

स्वामी जीः कहों साथियों कैसी जिंदगी चल रही है ।

मजदूरः स्वामी जी बस ठीक ठाक ही चल रहा है काम धंधा तो कुछ मंदा सा ही है फिर भी गुजारा चल ही रहा है ।

स्वामी जीः कहो भाई वो राम प्यारे, बहुत दिन से नही दिखाई दे रहे हैं कहा है ? कहीं बाहर वाहर गया है का ?

एक महिलाः स्वामी जी, यें तो काम पे कम ही जाते हैं बस जब देखों दारू के नशे में रहवें ।

स्वामी जीः मजदूर भाईयों शराब से बढ़कर मजदूरों की दुशमन और कोई चीज नहीं है मजदूर अपनी सारी मजदूरी शराब में उड़ा देता है ।

महिलाः स्वामी जी आप ठीक कह रहे हो ।

स्वामी जीः शराब की बुराई साथियों किसी उपदेश से और भाषणों से तो दूरे होने वाली नहीं है इसके लिए तो मजदूरों के अंदर ही जागृति पैदा होनी चाहिए । मजदूर आंदोलन को शराब की बुराई के विरूद्ध लड़ने का फैसला लेना होगा । मजदूर आंदोलन के अपने एजेंडे पर शराब के विरूद्ध संघर्ष को लाभ होगा । आंदोलन के माध्यम से मजदूर संगठित होंगे । एक बात और मैं आप लोगों को बताओं । इसमें खासकर आप महिलाओं की विशेष भूमिका हो सकती है ।

महिलाः वो कैसे स्वामी जी ?

स्वामी जीः अरे भाई आप लोगों में इतनी ताकत है कि आप लोग चाहें तो कुछ भी कर सकते हैं बस जरूरत है इस ताकत को पहचानने और खुद को संगठित करने की । मैं आपको बताओं हरियाणा में महिलाओं ने ही शराबबंदी में मुख्य भूमिका निभाई थी उधर आंध्रपेद्रश में ग्रामीण इलाकों में भी महिलाओं ने संगठित होकर शराब के विरूद्ध अभियान छेड़ा और उन्हें काफी सफलता भी मिली । हरियाणा के खदान मजदूरों को एक नई जिंदगी की ओर बढ़ने का प्रयास करते दिखाई दे रहे हैं ।

महिलाः स्वामी जी, दिन में जो मजदूरी मिलती है उसे रात को शराब में उड़ा देते हैं ।

स्वामी जीः दिनभर खून पसीना एक करते है फिर कुछ पैसा कमाते हैं किंतु इस गाड़ी कमाई को इस तरह शराब पीकर लुटा देना कोई बहुत अच्छी बात नहीं है । मजदूरों के बीच शराब की बुराई युगों युगों से चलती आई है सभी धर्मों ने मजहबों ने शराब की बुराई को दूर करने की कोशिश की किंतु, दुर्भाग्य से मानवता अभी तक इस बुराई को छोड़ नहीं पाई है और मजदूर तो जो समाज का सबसे गरीब हिस्सा वह तो शराब की दलदल में और भी अधिक धंसता जा रहा है ।

मजदूरः स्वामी जी, यह तो सब ठीक है किंतु शराब को मजदूरों से दूर भगाने का कुछ उपाय भी जब बड़े–बड़े साधु महात्मा, पीर पैगम्बरों की बात लोगों ने सुनी तो फिर मामला बिगड़ जाएगा ।

स्वामी जी – शराब जैसी बुराई को हमें जड़ से हटाना होगा । आओ आज हम सभी मिलकर यह एक साथ सारे भाई–बहन इस बुराई को जड़ से हटाने के लिए कसम लेते हैं ।

मजदूर भाई – स्वामी जी हम सब कसम लेते हैं कि शराब नहीं पीऐंगे ।

स्वामी जी – चलो सारे मेरे साथ नारे लगाओ । शराब की बोतल तोड़ दो । शराब के ठेके तोड़ दो ।

*****

ऐपिसोड – 60– प्रसारण तिथि – 21– 10–2001

विषय :– ईट भट्ठा मजदूर

मजदूरवाणी के इस अंक में मजदूर भाईयों को न्यूनतम मजदूरी की जानकारी दी गई है ।

पचास साल हो गये इस देश को आजाद हुए, और इस देश में जो मकान बनते है, महल बनते हैं, इमारते बनती है, और जो मजदूर बनाते हैं, जो ईट पकाते हैं । कोयले की जगह अपना खून जलाते है तब लाल–लाल ईटों को सिर पर उठा कर मेरी बेटी, मेरी बहन दूसरों का मकान बनते–बनाते मर जाती हैं । क्या हमने कभी रूक कर सोचा दूसरों के लिए मकान बनाने वालों का क्या कभी अपना भी मकान बन पायेगा ? क्या हमने कभी सोचा उनको भर पेट रोटी का अधिकार मिल पायेगा ? उनके क्या कानूनी अधिकार है उनकी न्यूनतम मजदूरी क्या है ? आइये इस बारे में हम लोग चर्चा करे मजदूर भाईयों से और हम मिलते हैं और पूछते है कि उनकी क्या तकलीफे है ?

क्यों मजदूर भाईयों क्या हाल है सब को राम–राम ।

मजदूर – राम–राम स्वामी जी, आप जब भी हम लोगों के बीच आते हैं तब हम लोगों को बड़ी खुशी होता है। हम लोग यही कामना करते है कि आप हम लोगों के बीच जल्दी–जल्दी आया करो ।

स्वामी जी–जरूर–जरूर आगे है हम तो आये ही हैं, जल्दी जल्दी आप लोगों के बीच । पहले तो आप सभी मजदूर भाईयों को नये साल की बधाईयाँ और साथ–साथ नये साल के सभी त्योहारों की ।

मजदूर– स्वामी जी, आप को भी नये साल की बहुत–बहुत बधाई और नये साल के आने वाले त्योहारों की बहुत बधाई ।

स्वामी जी–रामदयाल, नन्कू जी, सारे मिल कर और जो भट्ठा का काम कर रहे कैसा चला रहा है ।

मजदूर – काम धन्धा तो ऐसे ही चल रहा है पैसे तो मिलते है पर ऐसे ही मिलते है । ठेकेदार सहाब बड़ा लेट लतीफ पैसा देते है ?

स्वामी जी –सरकार ने आप लोगों के लिए इसी साल अगस्त 2001 को जो क्या रेट निर्धारित किया है । यह आप लोगों को पता है कि यह रेट आप लोगों को कितना मिलना चाहिए ।

मजदूर – स्वामी जी, यह नया रेट क्या है ? सरकार कब घोषित करती है हम लोगों को कुछ मालूम नहीं चल पाता है । यह न्यूनतम मजदूरी क्या होती है ।

स्वामी जी–न्यूनतम मजदूरी यह होती है जिससे एक पैसा एक पैसा भी कम मालिक या ठेकेदार कम नहीं दे सकती यह रेट दिल्ली सरकार दो बार निर्धारित करती है । एक बार फरवरी को तय करती है एक बार अगस्त को तय करती है । साल में दो बार यह रेट तय होता हे इसकी जानकारी आप लोगों को होनी चाहिए ।

मजदूर – स्वामी जी हम लोगों को पता नही नहीं चलता हम लोगो को जो ठेकेदार दे देता है हम उसे ही अपनी मजदूरी मान लेते हैं ।

स्वामी जी– नहीं यह देखे आप लोगों का न्यूनतम मजदूरी से एक पैसा भी कम मिलता है तो उसके लिए आप लोगों को यूनियन बना कर संघर्ष करना चाहिए । ठेकेदार न दे तो थोड़ा ठिकाने लगाना चाहिए ।

मजदूर – स्वामी जी, हम उनका कैसे थिकाने लगायेगें वह तो हम लोगों को रोजी–रोटी देते हैं । हम लोगों को बहार–बहार ले ला कर यहाँ प्रदेश में रोटी की व्यवस्था करवाते है ।

स्वामी जी –आप लोग संगठित तो हो जाए अपने अधिकारों के लिए आवाज तो उठायें ।

मजदूर – स्वामी जी, हम कैसे आवाज उठाये हम लोगों का कोई रहनुमा तो है नहीं ।

स्वामी जी –देखिये जब तक अपनी मेहनत मजदूरी को अपना हक नहीं समझेंगे । तब तक कोई बात बनने वाली नहीं आप लोग कोई भीख तो मॉग नहीं रहे हैं । अपना अधिकार मॉग रहे हैं । पहले समझिये फिर आवाज उठाना सिखिए मत इंतजार किजिए किसी रहनुमा, किसी नेता का यह गलत बात ।

मजदूर – हम लोगों को काम नहीं मिलता हम लोग छः महिने तो भट्ठों में काम करते हैं और बाकी दिन घरों में पड़े रहते हैं । यह जो काम मिलता है ठेकेदार के द्वारा तो हम उनसे कैसे लड़े ?

स्वामी जी– मैं अब क्या बताउ की आप लोग कैस लड़े यह तो मैं नहीं बता सकता हूँ । मैं तो यह बता सकता हूँ की संगठित हों यूनियन बनाये और लड़े आवाज उठाये सही रेट जो समय पर बदलता रहता है वह हम बता सकते हैं ।

मजदूर – स्वामी जी, बताये हम लोगों को कितना पैसा मिलना चाहिए ।

स्वामी जी –इस समय का नया रेट है जो एक फरवरी तक चलेगा जब बदलेगा तब हम फिर बता देंगे । अभी का जो रेट है वह हम बता देते हैं, आप लोग नया रेट लिजिए और इसकी जानकारी दूसरे भट्ठो के मजदूरों को दीजिए और यूनियन बनाइये रेट से एक पैसा भी कम न लिजिए ।

ईट भट्ठों पर हजारों नहीं लाखों ईटे पक्के हैं। बिहार, पंजाब, उ0प्र0 में हजारो भट्ठों जहॉ रहने खाने पीने का बुरा हाल है । लेकिन रेट तो ठीक लागू जो जाये हमर भट्ठे में चार तरह के मजदूर होते हैं । एक तो पथेरा जो ईट पाथता है । एक होगा निकासी वाला, एक होगा भराई वाला एक होगा जराई वाला ।

पथेरा – इस साल की पहली अगस्त से 2001

1000 ईट – 193.90 रू0

एक हजार ईट से ज्यादा भी नहीं बनानी इसमें ईट को टूट–टाक की भी पैसा नहीं कटेगा ।

भराई – पर 1000 ईटों – 70.70

निकासी – 1000 ईटों – 71.86

भराई आपको हजार ईट का मतलब ये नहीं आपको तो महिने के हिसाब से मिलता है । आपके लिए सरकार ने 1 अगस्त 2001 तय किया है ।

जलाई वाला – 2758 रू0

मैं चारो लोगों का रेट बता दिया । इसको लेने के लिए आप लोग संगठित हो जाईयें और इस रेट से एक पैसा भी कम मत लिजिए मैं एक ड्राइव का भी रेट बता देता हूँ । उसको कम से कम 3016 रू0 मिलना चाहिए और जो अन्य लोग जो भट्ठों में काम करते हैं उनका भी रेट हम बता देते हैं । जो लोग मैट्रिक पास नहीं है उनको 2785 रू0 जो मैट्रिक पास है उनको 3040 रू0 जो बी0ए0 पास हो 3352 रू0 महीना । मैंने रेट बता दिया इसको लेना, हासिल करना आप लोगों की जिम्मेदारी है।

मजदूर – स्वामी जी, हम लोग पढ़े लिखे तो हैं नहीं आप आये और हम लोगों को रेट बता दिये, हम लोगों का समय–समय पर सही जानकारी नहीं हो पाती है ।

स्वामी – आप लोग एक तो हर रविवार को मजदूरवाणी सुना करें हम आप लोगों के लिए हर बार कुछ नया बताते हैं । यदि आप लोगों को और अधिक जानकारी चाहिए तो पता लिख लिजिए हमारा पता है – बंधुआ मुक्ति मोर्चा, 7 जन्तर मन्तर रोड, नई दिल्ली – 110 001

आप लोगों कभी–कभी यहॉ आ भी जाया करें । आप लोगों का ही कार्यालय है । आप लोग यहॉ आकर जानकारी ले सकते हैं । आजकल गॉव में टेलीफोन की सुविधा है आप लोग यदि चाहे तो फोन भी कर सकते हैं हमारा फोन न0 है –336 6765

मजदूर – स्वामी जी जो आप ने रेट बताया यह पूरे देश का है या दिल्ली का है ।

स्वामी जी–यह रेट तो दिल्ली सरकार का है, दिल्ली सरकार अपने क्षेत्र में भट्ठे नहीं चलने देती प्रदूषण की वजह से लेकिन दिल्ली से जो ईट सप्लाई हो रहा है चारों तरफ से इसमें हरियाणा, उ0प्र0, राजस्थान तो कम से कम इस इलाके में र्निसको हैं, नेशनल कैपिटल रिजन करते हैं इस इलाके के चारो तरफ तो यह रेट लागू ही होगा इसका कोई विकल्प नहीं है । मैं देश के सभी भट्ठा मजदूरों से कहना चाहता हूँ की वह यूनियन बनाये और सही रेट लेने के लिए संघर्ष करें । लेकिन एक शर्त मैं तो एक संन्यासी आदमी, मैं आर्य समाज का काम करता हूँ आप लोगों को जो रेट बता रहे हैं आप से भी एक शर्त मनवानी है । आप अपने ठेकेदार या मालिक से पूरा पैसा लिजिए जमकर लिजिए लड़कर लिजिए पर इसका एक पैसा भी शराब के लिए खर्च नहीं करोगे।

******

ऐपिसोड –61 दिनांक – 28–10–2001

विषय :– श्रमिक भविष्य निधि

उदघोषक :– राम, राम मजदूर भाईयों हर रविवार की तरह इस बार फिर हाजिर हैं, बंधुआ मुक्ति मोर्चा का प्रायोजित कार्यक्रम मजदूरवाणी के साथ आज आप सभी मजदूर भाई सुनेगें अपने कुछ कानूनी अधिकारों के बारे में । मजदूर भाईयों के साथ बात करने के लिए बंधुआ मुक्ति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी अग्निवेश हम लोगों के बीचत बात करने के लिए उपस्थित हैं । स्वामी जी राम–राम ।

स्वामी जी :– राम–राम ।

उदघोषक :– स्वामी जी, आप ने पिछली बार बहुत से पत्रों का उत्तर दिया था, हमारे पास अभी भी बहुत से पत्र हैं पर एक पत्र हमारे पास ऐसा है । जिसको आज हम मजदूर भाईयों को सुनाना चाहते हैं यदि आप अनुमति दें तो पढ़े ।

स्वामी जी :– अगर किसी मजदूर की पीड़ा हो तो जरूर सुनओं, हमारे साथ–साथ सभी मजदूर भाईओं को ।

उदघोषक :– पत्र है गाजियाबाद, से लिखा है तारा सिह ने महोदय, सविनय तारा सिंह ने महोदय, सविनय निवेदन है कि मैं एक लिमिटेड कम्पनी में 7 वर्ष से पक्के (परमामेन्ट) काम कर रहा हूँ । जो कि यह फैक्ट्री बी0एस0 रोड इन्डेस्टैलिया एरिया, गाजियाबाद में है । महोदय इस फैक्ट्री में कोई संगठन नहीं है । और नह ही हो सकता है क्योंकि फैक्ट्री में कोई संगठन नहीं है । और न ही हो सकता है । क्योंकि फैक्ट्री प्रबंधन का पूरे गाजियाबाद में दबदबा है । बड़े–बड़े अधिकारियों से ताल्लुक रखता है । सन् 2000 मार्च, अप्रैल मई माह व सन् 2001 जनवरी का वेतन भी नहीं दिया हुआ है । और ओवर टाईमा देना भी बन्द किया हुआ है । सन् 2000 और 2001 का बोनस ळी नहीं दिया । वेतन मॉगने पर मार–पीट करना शुरू कर देता है । 3–4 मजदूरों को काफी पीटा गया सारे मजदूर बहुत डरते है । बहुत से मजदूरों को निकाल दिया है । और डेलीबीजेज में कर दिया गया है । कुछ मजदूरों ने केश भी किया हुआ है । लेकिन इस प्रबन्ध को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, हम लोगों का पी0एफ0 भी जमा नहीं करवाता, महोदय हिसाब मॉगने पर मारपीट करता है। कृपया आप ही हमें सही रास्ता बताये ।

स्वामी जी :– आप सभी मजदूर भाई आप लोग संगठित होकर आवाज देखियें, यदि कारखाना मालिक आप लोगों को डराता धमकाता है, तो उससे डरिये मत उसका मुकाबला किजिए, यदि आप लोग डरने लगेगा तो आप को आपके अधिकार कोई नहीं दिलवा सकता ।

मजदूरः– स्वामी जी, यह भविष्य निधि (पी0एफ0) तो बड़े–बड़े ऑफिसों में काम करने वाले साहब लोगों को मिलता है । हम लोगों को कहाँ मिल सकता है ।

स्वामी जी:– भविष्य निधि (पी0एफ0) का लाभ, उन सभी फैक्टरीयों या उद्योग में काम कर रहे मजदूरों को मिलेगा जहाँ 20 या 20 से अधिक श्रमिक काम कर रहे हों । कानून में स्पष्ट लिखा गया है कि प्रत्येक मालिक को भविष्य निधि योजना लागू करना चाहिए इस योजना में यह भी स्पष्ट है की मालिक और कर्मचारी दोनो को हिस्से से भविष्य निधि में पैसे जमा होगें ।

मजदूरः– कर्मचारी के हिस्से का पैसा मालिक उसके वेतन से काटकर जमा कर सकता है ।

स्वामी जी :– आप के मूल वेतन में 12.5 प्रतिशत पैसा आप के वेतन से जमा होगा और इतना ही पैसा मालिक अपने खाते से जमा करेगा ।

मजदूर :– स्वामी जी, हम लोगों को यह जमा पैसा मिलेगा कब ।

स्वामी जी:– अभी पूरी बात सुनी नहीं और पैसा मिलेगा कब की चिन्ता करने लगे । अरे भाईयों यह तुम लोगों को पैसा होगा और आप लोग जब चाहेगें तब आप लोगों को पैसा मिल जायेगा । पहले सुनो कैसे पैसा जमा होगा और आप लोगों का लाभ कैसे मिलेगा । पहले आप लोग जहाँ 20 या उससे अधिक लोग काम करते हो वहाँ यदि भविष्य निधि में पैसे जमा नहीं हो रहे तो आप लोग संगठित होकर उस संस्था पर दबाव बनाये की वह आप लोगों का भविष्य निधि में पैसा जमा करवायें । और आप लोग इस बात का भी पता लगाते रहे की हम लोगों का पैसा समय पर और ठीक जगह पर जमा हो रहा है की नहीं ।

मजदूरः– स्वामी जी, हम लोग कैसे पता करेगें ?

स्वामी जी:– बहुत अच्छी बात पूछी अकसर होता है, भविष्यनिधि के नाम पर मालिक मजदूरों से पैसे ले लेतें हैं और जमा नहीं करते इसके लिए आप लोगों को जागरूक होना चाहिए । इस योजना में शामिल कर्मचारियों को एक–एक कार्ड दिया जाता है । जिसे सदस्यता कार्ड कह सकते हैं । या पी0एफ0 फण्ड का एक सदस्यता कार्ड होगा । और ये कार्ड मालिक के पास उसके दफ्तर में रखा रहता है जो भी मजदूर भाई जानकारी करना चाहे वह उस कार्ड पर लिखी गयी सभी जानकारियों प्राप्त कर सकते हैं । यह पैसा आप लोगों की गाढ़ी कमाई का है, इसमें पूरा अधिकार आप लोगों का होता है । जमा पैसे पर सरकार ब्याज भी देती है । ब्याज और आप के हिस्से का कटा और मालिक द्वारा जमा पैसा सभी आप का है। आप को जब जरूरत होगी तब आप इस पैसे को निकाल सकते हो । जब आप वृद्ध हो जायेगें तब आपको सारा पैसा मिल जायेगा ।

– अपने रिजिनल कमीशनर है, क्षेत्रीय आयुक्त भविष्य निधि के उसके कार्यालय में भी जरूर भेजिए और उनसे कहिए की तुरन्त मॉग किजिये ।

– सर्तकता निदेशक श्रमिक भविष्य निधि संगठन ।
– भविष्यनिधि भवन 14 न0 भीकाजी कामा प्लेस नई दिल्ली – 110 066

मजदूर– स्वामी जी, यह स्कीम तो बहुत अच्छी है । हम लोग गरीब इसी कारण बन रहे हैं हमारे यहॉ जब कोई शादी, बरात, काम–काज होता है तब हम लोग उधार पैसा लेते हैं उसके मरते–मरते जीवन बीत जाता हे । और यदि हमारे पास पैसा जमा होगा तो हम लोग भी दूसरों की तरह खुशी का जीवन बीतायेगें ।

स्वामी जी– जरूर बीतायेगें खुशी का जीवन यही खुशी का जीवन पाने के लिए केवल काम करने से नहीं कुछ संघर्ष भी करना होगा तभी खुशी जीवन मिलेगा । एक बात और आप लोगों को सरकार ने एक और स्वास्थ्य सुरक्षा का अधिकार दिया है । यह कानून भी उन सब जगह लागू होता है जहॉ 20 से अधिक श्रमिक काम करते हैं । ई0एस0आई0 कार्ड बनता है । जिसमें श्रमिक की और उसके परिवार के सदस्यों की फोटो लगी होती है । उस कार्ड से श्रमिक अपना और अपने परिवार के सदस्यों का इलाज सरकारी ई0एस0आई0 अस्पताल मुफ्त में होता है । गंभीर प्रकार की चोट लगे और गंभीर बीमारी के ईलाज भी मुफ्त में सरकार करवाती है ।

मजदूर – स्वामी जी, हम लोगो तो इस बारे में पहली बार सुन रहे हैं । बताये की यह कार्ड कैसे बनता है और इसको बनवाने के लिए कितने पैसे लगते हैं ।

स्वामी जी– आप जहॉ काम करते हैं उसी संस्थान को कहें की हम ई0एस0आई0 कार्ड बनवा दें । कार्ड बनवाते समय आपको फोटो देनी होगी । आपको हर महीने 79 रू0 देने होगें जो मालिक आपकी वेतन से काट कर ही जमा कर देगा । उसके बदले में आप और आपके परिवार में आपके आश्रित सभी लोगों का छोटे से बड़ा पूरा इलाज सरकार मुफ्त करवायेगी ।

******

ऐपिसोड– 62– प्रसारण तिथि– 4–11–2001

<u>विषय :– नियोगी की शहादत और मजदूर के हक</u>

बंधुआ मुक्ति मोर्चा द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम मजदूर वाणी–आज के इस अंक में प्रस्तुत है – नियोगी की शहादत और मजदूर के हक ।

प्रिय मज़दूर भाईयों आज का हमारा मज़दूरवाणी कार्यक्रम छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा के संस्थापक और मज़दूर वर्ग के महान नेता शंकर गुहानियोगी पर आधारित है । मजदूरों के इस महान नेता के जीवन पर एक नज़र डालने के लिए हमारे बीच बंधुआ मुक्ति मोर्चा के नेता स्वामी अग्निवेश उपस्थित है । जो हमें नियोगी द्वारा मज़दूर के कल्याण के लिए किये गये काम की जानकारी देगें ।

उदघोषक :– नमस्कार स्वामी,

स्वामी जी – जी नमस्ते बहन जी ।

उदघोषक – स्वामी जी आप और नियोगी जी एक ही क्षेत्र और संस्था के संस्थापक रहे हैं । और संघर्षकर्ता रहे हैं । हमारे मजदूर भाई जो यहॉ ही नहीं दूर दराज, इलाकों में बैठे हैं यह कार्यक्रम सुन रहे हैं । उनमें से अनेक नियोगी जी के बारे में जानना चाहेगें ।

स्वामी जी – आज से दस साल पहले हमारे इस बहुत अच्छे साथी, क्रान्तिकारी योद्धा, नेता शंकर गुहानियोगी की हत्या हुई । वो शहीद हो गये । 27 सितम्बर की रात बाहर एक बजे के बाद वह सो रहे थे भिलाई के अपने छोटे से कमरे में अपने मजदूरों के बीच और यहॉ उन्हें गोली मार करके उनकी हत्या कर दी । पूरे दस साल हो गये । आज हम उनको याद करते हैं तो ऑखे नम हो जो जाती है, क्योंकि आजाद हिन्दुस्तान में क्रान्ति का सपना लेकर एक इन्कलाब का पैगाम लेकर यदि कोई सचमुच में ईमानदार नेता आया तो वह शंकर गुहानियोगी थे । नियोगी जी अब हमारे बीच नहीं है लेकिन जब हम उनको याद करते तब भी हमें बड़ी प्रेरणा मिलती है । शंकर गुहानियोगी अपनी पढ़ाई छोड़ करके बी0एस0 पूरा करने के बाद आगे एम0एस0सी0 करने की तैयारी कर रहे थे । और इतनी उच्च शिक्षा प्राप्त करने के बावजूद भी उन्होंने सरकारी या गैर सरकारी नौकरी और अपनी जिन्दगी अपने अराम उसकी कोई परवाह नहीं की बंगाल के उत्तर जो सुदूर जलपाई गुड़ी का इलाका है । उसी के आस–पास उनका कोई गॉव था । जहॉ वो अपने माता–पिता, भाई, बहन सबके प्यार को छोड़कर कलकत्ते होते हुऐ छत्तीसगढ़ आ गये । और छत्तीसगढ़ में जो भिलाई स्टील प्लांट बना है । उस स्टील प्लांट की जो लोहा सप्लाई करता है । तो लोहा बनने से पहले खदानों से निकाला जाता है । खनिज पदार्थो

के रूप में और उस लोहे को निकालने के लिए एक दो नहीं सैकड़ों नहीं हजारो–हजारों मजदूर जो बड़ी मशक्कत करते है । मेहनत करते है । और इतनी मेहनत करने के बावजूद भी उन्हें पूरी मज़दूरी नहीं मिलती थी । 1970 के दशक में जब शंकर गुहानियोगी वहाँ पहुँचे वहाँ उनकी हालत को देखने तो उन्हें रोना आ गया तीन रूपये रोज की मजदूरी होती थी । तीन रूपये रोज की । और इतनी क्या मजदूरी में जी तोड़ मेहनत करके लोहे का पहाड़ उनसे तुड़ाया जाता उन गरीब से गरीब आदीवासी मजदूरों से और बदले में तीन रूपये दिये जाते और तीन रूपये की मज़दूरी भी इस तरह से दिया जाता कि पूरा तीन रूपये उनके घर तक न पहुँचे । सारे का शराब पी कर के बर्बाद हो जाये । आपस में लड़े–झगड़े हत्या बलात्कार करे और पूरी तरह से अपनी और अपने परिवार की जिन्दगी तबाह कर लें । यह एक सोची समझी साजिश थी । ऐसे माहौल में जब नियोगी जी वहॉ पहुँचे तो उन्होंने सबसे पहले एक कर्तव्य समझा कि मैं मजदूर के दुख–दर्द को तब अच्छी तरह समझ सकूँगा जब मैं खुद मजदूरी करूँ तो वहाँ जा कर के उन्होंने वहॉ उन्होंने उनकी भाषा सीखी छत्तीसगढी सीखी बंगाली तो वो जानते थे, अंग्रेजी वो जानते थे । हिन्दी वो समझते थे और बोलते भी थे । लेकिन छत्तीसगढ़ी सीखना और फिर एक छत्तीसगढ़ी लड़की आशा के साथ शादी की । एक मजदूर की बेटी के साथ आदिवासी लड़की के साथ । जैसे महात्मा गॉधी किसी जमाने में हरिजन मलिन बस्तियों में जाते थे । उनके दुख दर्द को समझने के लिए उसी तरीके से शंकर गुहानियोगी ने उन गरीब मजदूरों की झोपड़ी में रहना और स्वयं पत्थर तोड़ने लगे तीन रूपये रोज की मजदूरी पर अब धीरे–धीरे उन मजदूरों के बीच में बैठते उठते, खाते–पीते, चलते–फिरते उन्होंने चेतना पैदा की । जागृति पैदा की संगठन खड़ा कर दिया कि न केवल भिलाई स्टील प्लांट के जो मालिक सरकार के जो बड़े–बड़े नुमाईन्दे थे बल्कि मध्य प्रदेश का मुख्य मंत्री और फिर तो एक जमाना आया कि भारत का प्रधानमंत्री भी शंकर गुहानियोगी की संगठन शक्ति के सामने झुकने लगा ।

उदघोषक – तो स्वामी जी, नियोगी जी के जीवन के मजदूरों के कल्याण की शुरूआत कब हुई थी ? और उन्होंने यही क्षेत्र क्यों चुना ?

स्वामी जी – देखिए यों तो कोई सा भी चुनते तब यही सवाल पूछा जाता उन्हें जहाँ पर दुख गरीबी बेकारी बेबसी लाचारी दिखाई पड़े । मध्य प्रदेश का कोई भी शिकार करने को तैयार था जो उस जमाने के क्रान्तिकारी नक्सलवादी आंदोलन भी थे – चारक जूमदार के साथी उनके और हमारे लोग, उन लोगों ने भी उसकी उपेक्षा कर रखी थी । तो नियोगी जी चले तो थे उसी इलाके से जहॉ नक्सलवादी आन्दोलन की शुरूआत की थी बंगाल के उत्तर में

और कलकत्ता से होकर गुजरे थे कि वहाँ पर नक्सलवाद पनप रहा था लेकिन नियोगी जी ने जब अपना क्षेत्र चुना तो ऐसा क्षेत्र चुना जहाँ पहले से ही कोई नया आंदोलन कोई नेता जिसके पीछे लगकर वह खड़े हो जाते ऐसा कुछ नहीं था । तो उन्होंने अपना क्षेत्र बिल्कुल नया बनाया और नया बनया, केवल क्षेत्र ही नहीं, काम करने के तौर तरीके भी घिसे पीटे नक्सलवाद से अलग हटकर के बनाया घिसेपीटे ट्रेड यूनियन से तौर तरीकों से बनाया ।.....?

उदघोषक – तो इसका कहने का मतलब यह हुआ कि मजदूरों के विभिन्न मुद्दे थे उनसे वह असन्तुष्ठ थे ?

स्वामी जी – मजदूरों के सवालों से तो वह बहुत ज्यादा इतने ज्यादा विचलित थे द्रवित थे कि उनकी दशा देखकर कर रोते थे उनका दिल रोता था ।और उनको संगठित करके और उनकी मुक्ति के और उनकी आजादी की लड़ाई की शुरूआत भी इसलिए कि क्योंकि उनकी दुर्दशा देखकर वह चुप नहीं बैठ सकते थे ।

उदघोषक – अच्छा स्वामी जी, यह बताइये कि शराब छोड़ो आन्दोलन में उनका, क्या योगदान रहा ?

स्वामी जी – जब नियोगी ने उनके तमाम साथियों ने यूनियन खड़ी करनी शुरू की तो सबसे बड़ी रूकावट यह थी कि यूनियन की मीटिंग करें तो कब करें ? कैसे करें ? शाम का ही वक्त होता है ।जब मजदूर काम से लौटता है ।लेकिन शाम को जब मजदूर काम करके अपनी झोपड़ी में आता है । तो उसको इक्कट्डा करने के लिए आहवान किया जाये बुलाया जाये और वह शराब के नशें में लड़खड़ाता हुआ झूमता हुआ था गन्दी गाली बकता हुआ औरतों पर अपनी घरवाली पर हाथ उठाता हुआ तो कैसे उसे संगठित किया जा सकता है। तो पहले ही कदम में पहली ही शुरूआत में नियोगी जी ने यह अनुभव किया कि मजूदर का अगर सबसे बड़ा अगर कोई दुशमन है तो यह ठेकेदार या मालिक जो इसका शोषण करते हैं । रात में आते हैं यह शराब की बोतल, शराब का ठेकेदार ये माफिया सबसे बड़ा दुश्मन है ।और कम से कम उस गरीब औरत के लिए गरीब मजदूर बहन के लिए उनके दिल में जो दर्द था उसकी वजह से भी नियोगी ने यह महसूस किया था कि मैं, मेरी बच्चों को भी तभी संगठित कर सकूँगा जब यह शराब की लानत उनकी झोपड़ियों में से इनकी जिन्दगी से हमेशा के लिए बिदा हो जाये तो उन्होंने शराब छुडाने का आन्दोलन चलाया, मजदूरी बढ़ाने का आन्दोलन चलाया और धीरे–धीरे एक दिन आया दो चार साल के अन्दर ही अन्दर 1977 में जब जनता पार्टी की सरकार बनी थी दिल्ली में और देश में लोगों को नई आजादी की सुबह दिखाई पड़ रही थी ।उस समय दुर्भाग्य से मध्य प्रदेश की सरकार ने उन्हें गिरफ्तार किया तेरह महीने जेल में रखा और उस समय मैं, दिल्ली और हरियाणा में काम कर रहा था मुझे पहली बार उनकी आवाज उनके बारे में

खरब मिली । मैं बड़ा अभिभूत हुआ हम लोगों ने भी अपनी आवाज उठाई उनकी गिरफ्तारी के खिलाफ लेकिन गिरफ्तारी से जब वो बाहर निकले तो सबको पता चला कि शंकर गुहानियोगी का आन्दोलन एक जबरदस्त आन्दोलन है । एक नये किस्म का आन्दोलन है । केवल मजदूरों की मजदूरी दिलाने वाला ट्रेड यूनियन आन्दोलन नही है बल्कि देश में समाज परिवर्तन का आन्दोलन है । हम जैसे लोग जो आर्य समाज से जुड़े हुए थे । और हमारे दूसरे साथी सुरेन्द्र मोहन जी, तो बहुत से लोगों को लगा कि यह तो एक नई बात है । हम भी सब उनकी तरफ आकर्षित हुऐ ।

उदघोषक – तो मजदूरों की न्यूनतम मजदूरी को लेकर आपने भी कम संघर्ष नहीं किया है । इस क्षेत्र में उनका क्या योगदान रहा ?

स्वामी जी – जैसा मैनें बताया कि तीन रूपये की मजदूरी में आदमी क्या खायें और क्या अपने परिवार को खिलायें तो उस मजदूरी के खिलाफ उन्होंने संघर्ष करते–करते एक दिन वो आया कि मजदूरी का रेट बढ़ करके 72 रूपये हो गया पहले उस तीन रूपये में भी शराब दी जाती थी बर्बादी करने के लिए अपनी अब वो शराब छूट गई, तो खुशहाली हो गई तो न्यूनतम मजदूरी की लड़ाई को बहुत कारगर तरीके से लड़कर नियोगी जी ने दिखाया और न केवल न्यूनतम मजदूरी दिलायी बल्कि जो मजदूरों की बर्बादी होती थी वो भी छुड़ायी । इसलिए मैं समझता हूँ कि उनके आन्दोलन की महक–सुगन्ध चारों और फैली, हजारों–हजारों मजदूर, उनके साथ आये खासतौर से महिला मजदूरों ने माँ बहनों ने उनको अपना आर्शिवाद दिया और एक नई तरह की शान्ति और सुख अमन चैन लोगों के परिवार में फैल गया उस पैसे को बचाकर उन्होंने अपने खुद के लिए अपनी वर्कशाप चालू किया अपना ट्रक चालू किया, अपने स्कूल चलाने शुरू कर दिये, अपना अस्पताल चलाया शहीद अस्पताल आज पूरे हिन्दुस्तान के क्या दुनिया के लिए एक नमूना है। तो पर्यावरण की सुरक्षा के लिए सांप्रदायिकता के खिलाफ, जातिवाद के खिलाफ, दहेज के खिलाफ जितनी सामाजिक कुरीतियाँ हो उनके खिलाफ राजनीतिक जागृति पैदा की उन्होंने । मैं समझता हूँ कि यदि हमें सबसे पहले इसका श्रेय देना चाहिए तो वह शंकर गुहानियोगी और उनके छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा के साथी को देना चाहिए । लेकिन आज यदि हम नियोगी का याद कर रहे हैं । उनके दस साल पूरे हुए उनकी शहादत को तो उससे सबक लेकर के हम लोगों को कुछ नया खड़ा करना चाहिए । इस देश के अन्दर, मजदूर आन्दोलन, किसान आन्दोलन, किसान, मजदूर की एकता का आन्दोलन और शराब के खिलाफ आन्दोलन पर्यावरण का आन्दोलन एक नई चेतना, जागृति शोषण के खिलाफ आन्दोलन, मैं समझता हूँ मजदूरवाणी सुनने वाले सभी नौजवानों को मेरे भाई, बहनों को

जिनको भी हमारी आवाज सुनायी पड़ रही है एक संकल्प लेना चाहिए कि हम नियोगी की आवाज को दबने नहीं देगें । उन्होंने जो शहादत के माध्यम से एक शहीद होकर के आवाज उठायी है । वो आवाज करोड़ों–करोड़ों मजदूरों शोषितों, दलितों के आदिवासियों के जुबान से उठेगी और हिन्दुस्तान में आज नहीं तो कल नहीं तो परसों इन्कलाब आयेगा गरीब और शोषण का, जुल्म का अन्धेरा मिटकर रहेगा और जो नया सवेरा जिसको देखने के लिए नियोगी जी तरसते रहे वह हिन्दुस्तान, में जरूर और जरूर आकर के रहेगा ।

संगीत .....

अभी आप सुन रहे थे बंधुआ मुक्ति मोर्चा द्वारा प्रयोजित कार्यक्रम मजदूरवाणी । मजदूर भाईयों हमें आपको यह सूचना देते हुए अति प्रसन्नता हो रही है कि अब यह आपका कार्यक्रम, मजदूरवाणी, मंगलवार शाम 8.00 बजे होने के बजाय हर रविवार सुबह 9.30 बजे दिल्ली 'ए' पर प्रसारित होगा ।

आप अपने सुझाव और अगर कोई सवाल हो तो हमें उनसे अवगत करायेंगे । हमारा प्रयास आपके सवालों का उत्तर देने के लिए यथासम्भव रहेगा ।

हमारा पता है – ''मजदूरवाणी'' बंधुआ मुक्ति मोर्चा,

7 जन्तर मन्तर रोड, नई दिल्ली – 110 001

******

ऐपिसोड – 63 प्रसारण तिथि –11–11–2001

विषय – मजदूरों के सवाल स्वामी जी के जबाव

बंधुआ मुक्ति मोर्चा द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम मजदूरवाणी – इस अंक में प्रस्तुत है मजदूर भाई बहनों के सवाल और स्वामी जी के जवाब ।

स्वामी जी – भई आज तो आप लोग कुछ गाना वाना सुन रहे हो ।

मजदूर भाई – राम–राम स्वामी जी !

स्वामी जी – राम–राम नमस्ते ! बड़ा अच्छा गाना है भई ।

मजूदर– जी स्वामी जी, कभी–कभी फूर्सत मिले काम धंधे से तो मनोरंजन कर लेवें ।

स्वामी जी – बहुत अच्छी बात है । गाना भी सुन लिया करो और इसी से कभी–कभी मजदूरवाणी भी सुन लिया करोंगे । तो मजदूरवाणी के जो हमारे साथी है सारे भाई बहन हमसे बार–बार यह पूछते हैं । कई बार बता भी दिया । फिर भी बार–बार यह पूछते हैं यह असंगठित क्षेत्र के मजदूर इसका मतलब क्या है ।

मजदूर हाँ साहब आपने पहले भी बताई कुछ पलले कम पड़े सही बताउँ ?

स्वामी जी – इनको में फिर बताउॅगा अब इनके लिए जो भी कानून बने हैं । मदद के लिए तो मजदूर भाई बहन आज मैं आप लोगों को इन कानून के बारे में बताउगॉ । अब पहले मैं यह बताउॅगा आप लोगों को कि असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के लिए यदि कोई कानून बना है तो वो किस आधार पर अपने हक की लड़ाई लड़ सकते हैं ।

महिला मजदूर – स्वामी जी बिल्कुल ठीक कहा आपने मैं लम्बे समय से आपसे यह पूछने की सोचा रही थी कि मैं असंगठित क्षेत्र की मजदूर हूँ और यहाँ दिहाड़ी पर काम करती हूँ लेकिन मुझे यह मालूम नहीं है कि असंगठित क्षेत्र में कौन–कौन से मजदूर आयेगें ।

स्वामी जी – मेरी बहन, जमीला जी, रामरतन और लाल बिहारी जी आप सब लोग ध्यान लगाकर सुनों अच्छी तरह सुनों की यह असंगठित क्षेत्र के जो मजदूर की गिनती तो है बहुत ज्यादा पूरे हिन्दुस्तान में लेकिन मैं ऐसे मजदूरों के बारे में बताउँगा आपको और इस बात से आपको अन्दाजा लग जायेगा । आपको कि जितने स्त्री पुरूष काम कर रहे हैं । इस क्षेत्र में इतने आपको किसी और क्षेत्र में नहीं मिल सकते । इनके लिए यह तय नहीं है कि यह कौन से मालिक के लिए काम करेंगे । कल कौन होगा ? परसों कौन होगा ? ऐसे जो तमाम लोग जो है । इनको हम कहते है असंगठित क्षेत्र का मजदूर ?

मजदूर – स्वामी जी, इसका मतलब तो हमारे देश में जो काम करने वाले हैं । जो ज्यादातर असंगठित क्षेत्र के मजदूर हैं ।

स्वामी जी – भई लाल बिहारी जी यह बात आप फिर ध्यान लगाकर सुनो । ज्यादातर वहीं 92 फीसदी लोग हैं । हमारे देश में जो असंगठित क्षेत्र में हैं । इनमें आप जोड़ो खेत मजदूर खेत मजदूर तो सबसे ज्यादा हमारे देश में 1995 में हमारे देश में पूरी–पूरी रिर्पोट बनती है । जिसको कहते हैं । राष्ट्रीय लेख सांख्यिकी रिर्पोट बड़ा लम्बा चौड़ा बड़े हिसाब किताब से गिनती होती है । देश में और एक अलग–अलग कमेटी बिठाई जाती है । कौन–कौन से ग्रुप हैं ? जो मजदूरी कर रहे हैं और असंगठित हैं और उनके लिए कानून है । की नहीं है इसके लिए उन्होंने एक लिस्ट लम्बी चौड़ी बनाई है उन्होंने । सबको एक–एक करके बताता हूँ और ध्यान लगाओं आप किस–किस लिस्ट में आते हो या और लोग किस लिस्ट में आतें हें ।

मजदूर– हॉ–हॉं स्वामी जी, हमें बताइयें, हम बड़े ध्यान से आपकी बात सुन रहे हैं ।

स्वामी जी – पहले तो खेतिहर मजदूर आते हैं । इस लिस्ट में जो पशु पालन करते हैं । ठीक है न पशु चाराने वाले यह सब इसमें आते हैं । अब ये जो अगरबत्ती बनाने वाले हैं डबल रोटी बनाने वाले हैं, बेकरी में यह जो कैक बनाने वलो है । ये जो चूड़ी बनाने वाले हैं, मजदूर हैं, चूड़ी बनाते हैं और गॉंव में पहनाते हैं जो नाई हैं । बाल काटते हैं ये जो छोटे–छोटे बिन्दी बनाने वाले हैं । छोटी–छोटी नावें चलाने वाले हैं । यदि न्यूनतम मजूदरी कानून का पता है । न्यूनतम मजदूरी कितनी तय की गई हैं यदि इसका आपको पता है । आपको तो आपके अपने हक के लिए लड़ने के लिए एक ठोस आधार मिल जाता है । अब इस तरह दूसरे कानूनों से हो सकता है, जो दूसरे संगठित क्षेत्र वाले मजदूर हैं । दूसरे दफ्तर वाले लोग है उनके लिए लेकिन अब यह मॉंग की जा रही है कि जो असंगठित क्षेत्र के लिए न्यूनतम मजूदरी का कानून है । और सामाजिक सुरक्षा के लिए जो कानून है । ऐसी व्यवस्था के लिए आप लोगों को मिलकर के अपनी यूनियन बनानी है । ये यूनियन असंगठित क्षेत्र में भी बनने लग गई । उनमें से भी जो लोग जुड़े हुए उनकों मैं जानता हूँ उनमें से बहुत से खान मजदूर यूनियन में से हैं । मजदूर यूनियन ओर मैं यह जो बता रहा हूँ घारा 21 में इस अधिकार को हम कहेंगें जीवन जीने का अधिकार । और जीवन जीना कीड़े मकोड़ों की तरह नहीं अंग्रेजी में कहते हैं ''Right to life with dignity'' मतलब जीना है, एक सम्मान की जिन्दगी , जीने का अधिकार । आप सबको मिला हुआ है । कोई आपसे जबरन मजदूरी कराता है । शोषण करता है और पूरी मजदूरी नहीं देता तो इसकी आपको शिकायत करनी चाहिए । भारत की जो सबसे बड़ी अदालत है । जिसको सुप्रीम कोर्ट कहते हैं । आप लोगों को उसका दरवाजा खटकटाना चाहिए । इसी तरह 23 के बाद आती है धारा–24 इस धारा में साफ कहा गया है कि जैसा जबरन, मजदूरी नहीं

होनी चाहिए इसी प्रकार बाल मजदूरी भी नहीं होनी चाहिए । मैं फिर आपसे मिलूँबा लेकिन यह पूरी तरह गॉठ बाधकर रखों कि इन्कलाब जिन्दाबाद का नारा है ।उस पर ही अमल होना चाहिए । अच्छा अगले हफ्ते फिर मिलते हैं तब तक के लिए राम–राम ।

मजदूर भाई – राम–राम स्वामी जी ।

******

,fiLkkM & 64 i lkj.k frfFk 18&11&2001

fo"k; ¼&e tnjok.kh d lk=kk d tcko

jke&jke e tnj Hkkb;k vkj cguk vki lHkh dk e tnjok.kh ikxke e Lokxr g A x.kr=k fno l dh /ke/kke vkj tk'kk&[kjkl d ckn ge ,d ckj fQj gkftj g ^e tnjok.kh* lkxke d lkFk A vki ykxk e l db Hkkb;k dh f'kdk;r Fkh fd mud }kjk fy[k lk=kk dk ikxke e 'kkfey djx A vkt gekj lkFk c/kvk efDr ekpk d jk"Vh; v/;{k Lokeh vfXuo'k th mifLFkr g tk vki ykxk }kjk Hkt x; lk=kk d mRrj nx A Lokeh th jke&jke A

Lokeh th & b l ckj rk cMh <j lkjh fpVBh;k vkb gb g fn[krh g ;g rk cMh [k'kh dh ckr g dh gekj e tnj Hkkb T;knk l T;knk viuk ;g ikxke e tnjok.kh lu jg g vkj lu gh ugh jg fpVBh;k Hkh fy[k jg g A ;g n[kk gekj uo toku cPpk u fpVBh fy[kh g A e> rk cgr vPNk yx jgk g A

Lk=k/kkj & th Lokeh th] vkt rk cgr lkjh fpVBh vkb A

Lokeh th & lk<dj crkvk b l fpVBh e D;k fy[kk g \ ;g fpVBh rhu cPpk u fy[kh g ;g fy[kr g fd 30&12&2001 dk jfookj d fnu e tnjok.kh ikxke lu k jfM;k ij ge cgr gh vPNk yxk dh vkiu f'kYidk;] dEl;Vj] Vfyx ;g lc Vfux dh ckr crkb g A m l l gekj eu e lk<u vkj dke fl[ku dh ijh bPNk gk xb g A vkj gekjk Hkh uke nkf[ky gk tk; rk ge fpVBh Mky nhft ,xk ;g cPp g &12]13]15 lky d ,d dk uke g & dey flg] ,d dk uke g jktUn] vkj ,d dk uke g uhjt dekj A

Lk=k/kkj & Lokeh th] vki dk x:dy tkLdy g D;k mlh e nkf[kyk pkgr g \

Lokeh th & gk&gk mlh e tgk ge j[kr g c/kvk cky e tnj dk tc og eDr gk tkr g] mudk ge Vfux nr g ,d lky dh A ;g fy[k jg g gekjh tkfr tkV g] xke&igkMhij] Mkd[kkuk&dkfM;kxt] ftyk&vyhx< rglhy&vejkyh A cPpk u fpVBh Hkt h g vkj gedk ,d rjg l 'kHkdkeuk; Hkh Hkt h g A e budk cgr&cgr /kU;okn nrk gA vkj cPPkk ;g n[kk uo toku lkFk;k fd vki ykx nk&pkj eghu vkj b/kj&m/kj dke djr jgk vkj dN lh[kr jgk yfdu t l gh tykb dk eghuk vk, rk ijk viuk ifjp; ej ir ij & 7 tUrj eUrj jkM] ub fnYyh & 110 001 ;gk ij e> fpVBh fy[kuk rk ge vki ykxk dk t:j Hkrh djx A m l Vfux lVj e rkdh vki dke lh[k dj okil tk; viu ek cki d ikl dN dek dj ek cki dk Hkh f[kyk;] [kn Hkh [kk; vkj lekt dh Hkh lok dj A

l=k/kkj & Lokeh th] ;g n[kk ,d vkj fpVBh vkb g fy[kk g fd gekjk nkf[kyk djok nk A

Lokeh th & ;g rk lk<k fy[kk uo toku yxrk g bl dh fpVBh rk lkQ lFkjh gM jkbfVx e fy[kk g uohu 'kkD; A bl dk xko G jd lkij] ikLV ldhj] ftyk&,Vk m0i0 rk D;k dg jg g A uohu th] ;g fy[kr g fd e 10 oh dk Nk=k g vkj fgUnh lkfgR; jRu l lk< jgk g A i lk dh deh d dkj.k bl lLFkk l lk<uk 'k: fd;k g A ?kj dh vkfFkd 0;oLFkk cgr de tkj g vkj e ;g dguk pkgrk g fd ,lk dkb dke crk; ftl l vkfFkd 0;oLFkk d fy, Hkh l/kkj ld rk uohu th ,lk g vki d fy, Hkh njokt [ky g] ftl le; pkg dk;ky; e tykb d eghu e viuk ijk ifjp; ndj gedk fpVBh fyf[k,xk A ge vki dk Hkh Hkrh djx vkj tk dN vki lh[kuk pkgx & dEI;Vj dkl oxjk lc eQr e lkjk [kkuk ihuk Hkh lkjh Vfux ndj r;kj dj nx rkdh vki xjhck e tkdj dke Hkh djk vkj dekvk Hkh A

l=k/kkj & Lokeh th] D;k vki d x:dy e lc d fy, njoktk [kyk g dh doy c/kvk e tnjk ;k xjhc e tnjuk d cPp tl uohu th u fpVBh Hk th g ;g rk lk< fy, lkfgR;dkj dj jg g A

Lokeh th& ugh ,lk g tk lkfgR; jRu dg jg g tk rk T;knk lk< fy[k g rk mud fy, rk ugh g yfdu ;g uo toku gkb Ldy dj jgk g A vkj dkf'k'k dj jgk g dh dgh m l jktxkj yx tk; A o l rk yxxh ugh fj'or nuh iMxh cgr vkj Hkh vki tkur g fd uo toku ?kj l ij'kku g A ;fn ;g dgh u dgh tk dj dke fl[k yx pkg gekj ikl ;k pkg dgh vkj ftl l ;g viu ijk ij [kM gk tk;x blfy, ge budh enn djx A vkj ;g rhljh fpVBh vkb g cgr yEch fy[kh g [kc eu yxk dj] ;g fy[kh g gekj ed'k dekj luh] i=k lkgu yky luh vkj budk xko g yky dh /kkMh nkgj tkxku] ftyk&vyoj A og ;g rk cgr eu yxk dj ;g fy[kr g A e cgr xjhc fd lku dk cVk g vkj eu 10 oh ikl dj yh g e dN dke /kU/kk lh[kuk pkgrk g A o l lkbfdy dk /kU/kk lh[k jgk g A

Lk=k/kkj & vc Lokeh th] jkth&jkVh d fy, dN dj dk ijh] iV rk Hkju dk g A

Lokeh th & yfdu bl d vUnj cMk nn g A dg jgk g ej ekrk&firk [kn Hk[k jg djd mUgku gedk lk<k;k vkj tk ej Hkkb g og dkb d{kk 6 e g ,d d{kk lkr vkj bu l [kn d{kk 10 ikl dj yh g vkj vc dkb dke ugh fey jgk g rk lkbfdy dk /kU/kk lh[k jgk g A ;g 18 lky dk g vkj ;g dg jgk g fd geu lp gh dgk Fkk fd vehj ykx ub lky dh jkr dk 12-00 ctu; lky dh o"kxkB euk;x A yfdu tk xjhc g tk fd lku g] e tnj g] [kr [kfygku e BM iM jgx lku d fy, dkb vPNh n[kHkky

ugh gkxh A lku d fy, VVh [kfV;k gkxh A vkMu d fy, QV&QV xnM gkx A ;g lc ckr fy[kh g A lu&lu dj ;g cgr le>nkj yx jg g cgr vPNh ckr g A ;g fy[kr g e lkbfdy oky d ikl /kU/kk fl[krk g ogk ,d NkVk lk cPpk ikp lky dk cPpk vkrk g vkj pyr ykxk d iko idM yrk g vkj dgrk g fd ckc th ikfy'k djok yk A tc vkneh uk dj nrk g rk vk[kk e ikuh cjlu yxrk g A bl n[kdj ge vkl vku yxr g vkj fopkj vkrk g dh Hkxoku tku D;k xjhck dk n[k nrk g ;g lc ckr gekj lkFkh u fy[kh gA rk e budk bruh bue lonuk g bldh c/kkb nrk g vkj vc ;g pkgr g dh ;g Hkh dN dke fl[k ld A vkx ;g fy[k jg g e dkb ru[ok rk yuk ugh pkgrk ij bu cPpk dk vk tkn djokuk pkgrk g A blfy, ge ,lk igpku lk=k fnft , c/kvk efDr ekpk dh rjQ l dh ej igpku lk=k dk n[kr gh dkb Hkh xjhc d lkFk vU;k; u dj ld e 18 lky l mij dk gk pdk g A vki lgk;rk dj ;g cgr [k'kh dh ckr g ge ,l uotokuk dk cgr&cgr fo'okl fnykuk pkgrk g A uotoku tk Hkh xjhc gk dke dju d fy, vkx vkuk pkgr g og vkx vk; viuk uke vkj ikl ikV lkbt dk viuk QkVk fHk tok; vkj ge c/kvk efDr ekpk dk dkM cuk nx A viu xko e 10&12&15 ykxk dk bdVBk dj gj tkfr] gj fcjknjh] xjhc fcjknjh] d ykxk dk dkb lk=kdkj ;k odhy gk rk vPNh ckr g A ,d c/kvk efDr ekpk cuk y ij fgUnLrku gekjh rjQ l ijh NV gA ;g ,d vkUnkyu g tk pkgrk g xjhck dh enn djuk] tk pkgrk g xjhck e tkx:drk ink djuk vkj mudh ftnxh dk cnyuk vkj lekt dk cnyuk og c/kvk efDr cuk ldrk g A

Lk=k/kkj & Lokeh th] lk=k rk cgr lkj g vHkh cPk g ij le; dk vHkko g cp le; e dN vkj lk=kk ij Hkh xkj Qjek; A

Lokeh th & crkb; D;k g \

Lk=k/kkj & ;g lk=k g xkekn; tu dY;k.k lLFkku d ikpk; MkO firkEcj flg ;kno u fy[kk g gjhgj.ku tOihO uxj l fy[kr g A

Lokeh th & D;k fy[kjg g \

etnj & ;g dgr g fd eu vki dk ikxke etnjok.kh luk bll gedk cgr lgkl feyk ;g vki d lkFk fey dj xjhc etnjk d fy, dke djuk pkgr g A

LOkkeh th & ;g rk cgr lk< fy[k vkneh yx jg g A fun'kd ikpk; g ;g MkO firkEcj flg th ;g rk cgr [k'kh dh ckr g A dh ,l lk< fy[k ykx Hkh vkx vkuk pkgr g A xjhck dh enn d fy, e bul Hkh dgxk ;k rk viu lxBu d uke l gh ;k c/kvk efDr ekpk cuk djd bl rjg dk ;g dke 'k: dj rk ;g ,d vkUnkyu dk :lk y ldrk g A c/kvk efDr ekpk] ij n'k e ;g cMh [k'kh dh ckr g A vkj Hkh dkb fpVBh gk rk luk vk A

Lk=k/kkj & gk Lokeh th fpVBh rk cgr g ;g ,d fpVBh ge vkidk lukr g ble uke rk ugh fy[k gk ;g gfj}kj l vkb g A ble fy[kk g dh gekj xko e fc ty h ugh vkb A

Lokeh th & ugh&ugh fc ty h ugh vkb bld fy, c/kvk efDr ekpk dk u fy[k bld fy, vkj Hkh rjhd g yMkb yMu d fy, A e rk ,d gh ckr dgxk tk xjhc l xjhc etnj g ftudk jk th&jkVh ugh fey jgh g ijh etnjh ugh fey jgh g A Bdnkj l rk jg g ekfyd l rk jg g] bl rjg d dkek d fy, ge t : j fpVBh fy[k vkj ge ijk /;ku nx A vc fdl h d [kk[k e ykbV ugh igph Fkh ;k dgh dkb uy e ikuh ugh vk jgk g A bld fy, ;fn vki fpVBh fy[kx rk ge dN ugh djx A

Lk=k/kkj & L0kkeh th] le; [kREk gku okyk g A vki ;gk vk; etnj vkj tk jfM;k e ;g ikxke lu jg g og luuk pkgr g vki l dN A

L0kkeh th & e vki ykxk dk ;g vkf[kjh ckr dguk pkgrk g lc ykx /;ku l luk] lxBu cukb ; vkt v ly h ckr mHkj dj vk;h g fd tc rd ykx c/kvk efDr t l k lxBu ykx txg&txg yMkb ugh yMx ukj ugh yxk;x vkj ty l oxjk ugh fudkyx /kujk nuk ugh l h[kx A rc rd dkb kde gku okyk ugh g A reke xjhc rcdk d fy, og vkjr gk ;k vkneh l c y fy, ejk ln'k ;gh g fd v l xfBr g rc rd dkuu dkb enn ugh djxk vkj ;fn vki lxfBr gk tk;x rk ;gh dkuu vki dh <ky cu tk;xk vki dh j{kk djxk rk dkuu dh rjQ tkuk g rk lxfBr gkdj tkvk rk gkxh j[kokyh ;gk flQ Lokeh th dk fpVBh fy[kr jgkxk rk dN gku okyk ugh ;g g ;fn vki ykxk u fey dj l c u ;g ldYi fd;k g rk crkb ; lxBu cukuk g A

etnj & gk&gk Lokeh th] ge ykxk dk lxBu cukuk g vkj lxfBr gk dj yMuk g A

yMx thrx A yMx thrx A
deku okyk [kk;xk A
yVu okyk tk;xk A
u;k tekuk vk;xk A

****

ऐपिसोड –65– प्रसारण तिथि– 25–11–2001

विषय – कर्मकार प्रतिकर अधिनियम

मजदूर भाईयों नमस्कार, हर रविवार की तरह इस बार फिर आप सब लोगों के बीच हाजिर है, 'मजदूरवाणी प्रोग्राम' के एक नये अंक के साथ आज हम लोग चर्चा करेगें 'कर्मकार प्रतिकार अधिनियम' पर, अरे लगता है इस कानून का नाम सुनकर आप लोग कुछ घबरा गये, घबराईये नहीं यह वह कानून है जो संकट के समय आप लोगों की मदद करता है । इसी कानून पर चर्चा कर रहें हैं । बंधुआ मुक्ति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी अग्निवेश और साथ में है कुछ मजदूर भाई । स्वामी जी राम–राम

स्वामी जी– राम–राम यहाँ उपस्थित सभी मजदूर भाईयों को और रेडियो सुनने वाले सभी मजदूर भाईयों को हमारा नमस्ते, सलाम, राम–राम ।

सूत्रधार – स्वामी जी, यहाँ उपस्थित मजदूर भाईयों की इच्छा है की आज आप उस कानून की चर्चा करे जो दुर्घटना पड़ने के बाद इन लोगों को लाभ पहुँचाता हो ।

स्वामी जी –बहन आपको यह पता ही है कि यह 'मजदूरवाणी' प्रोग्राम मजदूर भाईयों का ही प्रोग्राम है । यदि मजदूर भाईयों की इच्छा है की दुर्घटना क्षतिपूर्ति कानून पर चर्चा हो तो आज इसी पर हम चर्चा करेगें।

मजदूर – स्वामी जी, हम लोगों के शरीर में जब तक ताकत रहती है, तब तक हम लोग मेहनत मजदूरी करके अपना पेट पाल लेते हैं, हम लोगों के साथ जब कोई दुर्घटना घट जाती है और शरीर से अलग हो जाता है तब तो जीवन बहुत दुख–दर्द हो जाता है । कभी–कभी दुर्घटना में जान भी चली जाती है तब तो हमारे बाल बच्चे और मेहरारू का जाने क्या हाल होगा ऐसे समय में हम लोगों की कौन सा कानून मदद करता है ?

स्वामी जी– मजदूर भाई आप की चिन्ता बिल्कुल ठीक है, आप लोगों को ऐसे समय मदद के लिए कानून है, उस कानून का नाम है 'कर्मकार प्रतिकार अधिनियम' यह कानून जब बना था तब बहुत कम उद्योगों में लागू था । परन्तु अब यह कानून पूरे देश में लागू है । यह कानून असंगठित क्षेत्र में बहुत प्रभावशील है, यह न सिर्फ कल–कारखानों के मजदूरों को लाभ प्रदान करता है बल्कि ठेकेदार के साथ काम कर रहे मजदूरों को भी लाभ देता है । आप लोग सुने यह कानून कहाँ–कहाँ लागू होता है । उन कुछ उद्योगों के नाम बता रहे हैं ।

1. उन सभी कल–कारखाने में जहाँ उत्पादन होता है ।
2. भवन निर्माण में लगे मजदूर ।

3. मकानों में चूना लगाने वाले, अन्य प्रकार के मरम्मत करने वाले मजदूर ।
4. मिलों में रंगाई, करने वाले मजदूर, चौकीदार का काम करने वाले मजदूर ।
5. भारी मोटर चलाने वाले, ड्राईवर क्लीनर और फिटर मरम्मत करने वाले ।
6. बीड़ी, उद्योग में लगे मजदूर ।
7. माली का काम करने वाले ।
8. घरेलू नौकर जो रसोई का काम करता हो ।
9. बिस्कुट एवं अन्य खाद्य पदार्थ तैयार करने वाले मजदूर ।
10. कृषि कार्य करने वाले मजदूर । इस तरह और भी बहुत बड़ी सूची है जो अभी पूरी पढ़ना मुश्किल काम है ।

आप लोग इतना अवश्य जान लें यह कानून उन सभी जगह लागू होता है । जहाँ वेतन लेकर मजूदर काम करता है । जो लोग सेवा के रूप में या कमीशन लेकर काम करते है उन लोगो को इस कानून का लाभ नहीं मिलेगा । यहाँ एक बात और बता देते हैं कि यह कानून का लाभ उन ही मजदूरों को मिलेगा जिनका कर्मचारी बीमा योजना लागू है ।

मजदूर – स्वामी जी, इस कानून के अनुसार हम लोगों को कितना पैसा मिल सकता है ।

पैसे को निर्धारण प्रतिकर आयुक्त या श्रममंत्रालय करता है । पर आप लोग को उसके निर्धारण की कुछ कानूनी बात बताता हूँ – दुर्घटना घटती है तो मजदूर की कितनी क्षति हुई है या किन परिस्थितियों में मजदूर की मृत्यु हुई है । इन बातों के साथ–साथ यह भी देखा जाता है दुर्घटना ग्रस्त मजदूर की आयु कितनी थी । मजदूर का मासिक वेतन कितना था । यदि दुर्घटना में मजदूर की क्षति स्थायी अपंगता है तो मजदूर की जीवन के बाकी मजदूरों के सालो की मजदूरी की 60 प्रतिशात राशि यह राशि 60 हजार से कम नहीं होनी चाहिए । यदि स्थायी अपंगता नहीं है तब मजदूर की चिकित्सा का खर्च और विश्राम के दिनों की मजदूरी देनी होगी । यदि दुर्घटना बड़ी घटती है और उसमें मजदूर की मृत्यु के बाकी दिनों की मजदूरी का 50 प्रतिशत के हिसाब से यह राशि 50 हजार से कम नहीं होनी चाहिए । मृतक मजदूर के दाह संस्कार के लिए 1000 रू0 भी मृतक के आश्रित को मिलेंगे यह पैसा क्षतिपूर्ति वाले पैसे से नहीं काटा जा सकता क्षतिपूर्ति में रूपये कारखाना मालिक ठेकेदार अपने पैसे से करता है ।

स्वामी जी –बहुत अच्छा सवाल किया इस कानून का लाभ कैसे उठाया जाय इसका कानूनी पहलू आप लोगों को बताता हूँ । आप मजदूर भाई जिस क्षेत्र में काम कर रहे थे (जहाँ दुर्घटना घटी) उस क्षेत्र के प्रतिकर आयुक्त के यहाँ या न्यायालय किसी एक जगह दुर्घटना की लिखित शिकायत 7 दिन के अन्दर–अन्दर किजिए । आप की शिकायत पर आयुक्त उसको नोटिस जारी करेगा । जिसके यहाँ दुर्घटना घटी है । यदि वह मालिक/ठेकेदार आयुक्त की नोटिस पर क्षतिपूर्ति करने को तैयार हो जाता है तो ठीक नहीं, फिर मालिक/ठेकेदार नोटिस का जो जबाव देता है उसका

उत्तर पाकर दुर्घटना ग्रस्त मजदूर यदि जीवित है तो उसे नहीं मृतक के आश्रित को एक दिन निशिचत कर दोनों पक्षो को बुलाता है और फिर मुकदमा शुरू होता है ।

मजदूर – स्वामी जी, 7 दिन के अन्दर शिकायत नहीं कर सकें तो क्या शिकायत नहीं कर सकते ।

स्वामी जी –शिकायत कर सकते है शिकायत तो दुर्घटना घटने के दो साल तक कर सकते हैं पर शिकायत के विलम्ब का कारण बताना होगा ।

स्वामी जी –स्वामी जी, हम किस अधिकारी के यहॉ शिकायत करें ?

स्वामी जी – आप शिकायत तो क्षेत्रिय क्षतिपूर्ति (लेबर अफसर) अधिकारी के यहॉ करवा सकते हैं, जहॉ दुर्घटना घटी है वहॉ के यदि आप को लेबर अफसर के पास शिकायत करने में कोई दिक्कत है जैसे पता नहीं मालूम या दूर ऑफिस है । तो अपने जिला के जिलाधिकारी के यहॉ आप लोग अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं । आप लोगों के लिए कानून ने एक और सुविधा दी है आप लोग जहॉ रहते है (जहॉ के मूल निवासी है) वहॉ पर भी शिकायत कर सकते हैं । पर एक सूचना उस अधिकारी के यहॉ करनी पड़ेगी जहॉ दुर्घटना घटी है ।

मजदूर– स्वामी जी, कानून के अनुसार किस तरह की चोटो पर पैसा मिल सकता है ।

स्वामी जी– कानून के अनुसार शरीर का कोई अंग कट जाता है या दृष्टि चली जाती है या ऐसी शारीरिक क्षति जिससे सुनाई देना बन्द जो जाता है । वह सभी क्षति जिससे मजदूर की काम क्षमता प्रभावित होती है उस पर आप लोगों को क्षतिपूर्ति प्राप्त होती है । इसके साथ–साथ दुर्घटना है या किसी मजदूर का हाथ पैर कट जाता है या किसी प्रकार की चोट लग जाती है । 20 दिन तक का डाक्टर काम न करने की सलाह देता है उस स्थिति पर आप लोगों को लाभ मिलेगा । मजदूर कारखाने में काम करता है जहॉ उसकी तबीयत खराब हो जाती है कोई असाध्य रोग हो जाता है । ऐसे मजदूरों को क्षतिपूर्ति का लाभ मिलता है ।

मजदूर – स्वामी जी, कानून तो बहुत अच्छा है पर इसका पूरा लाभ हम लोगों को नहीं मिल पाता है ।

स्वामी जी – लाभ नहीं मिलता इसका मतलब है की आप लोगो संगठित नही हैं । आप लोग अपने अगल–बगल मजदूरों के अधिकारों को छिनना देख कर भी शान्त है । आप लोग संगठित हो और अपने अधिकारो के लिए संघर्ष किजिए । कानून बना है आप लोगों के हितों के लिए पर इस कानून का लाभ उठाते हैं । बिचौलिए के कारण आप लोगों को लाभ नहीं मिल पाता । कारखानों के मालिक/ठेकेदार पैसे के दम पर आप लोगों के अधिकार छीन लेता है और आप लोग कुछ नहीं कर पाते । मुकदमा चलत रहता है लाभ नहीं मिल पाता । कानून का पूरा लाभ उठाना है इसके लिए आप सभी मजदूर भाई जिसके कानों तक हमारी आवाज पहुँच रही है वह संगठित हो जाये और हमारे साथ नारा लगाये हम अपने अधिकार लेकर रहेगें ।

*****

ऐपिसोड – 66–प्रसारण तिथि – 02–12–2001

विषय – बाल श्रम अधिनियम

हिन्दू धर्म में बच्चों को भगवान का रूप माना जाता है । पर प्राचिनकाल से लेकर आज तक बच्चों से वह खतरनाक काम करवाये जो है जिसको करने का सहास शायद कोई ही करे। देश में कानून तो है बाल श्रम को रोकेन के पर बाल श्रम सदियों से फल फूल रहा है । मजदूरवाणी के आज के अंक में बाल श्रम पर चर्चा होगी । चर्चा कर रहे हैं बंधुआ मुक्ति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी अग्निवेश साथ है कुछ मजदूर भाई । स्वामी जी राम–राम ।

स्वामी जी– राम–राम मजदूर भाईयों ।

मजूदर – राम–राम स्वामी जी !

स्वामी जी – अरे भोला आज कैसे उदास हो । हमारा लड़का 12 साल का हो गया शहर के एक कारखाने में नौकरी की बात पक्की करके आ गये थे । पर आज मेहरारू हमसे झगड़ा कर रही है वह कहती है ि हमारा लड़का काम पर नहीं पढ़ने जायेगा ।

स्वामी जी – हॅंस कर, बहुत अच्छी बात वह बहन कहॉ है । जो इतनी अच्छी बात कहते हैं अरे भोला तुम्हें तो खुश होना चाहिए की तुम्हें इतनी समझदार औरत मिली हैं जिसे अपने भविष की चिन्ता है ।

मजदूर – स्वामी जी, आज हम लोगों को आज आप वह कानून बताइयें जिससे हम लोगों के बच्चों पर लागू होते है ।

स्वामी जी – बच्चों से मजदूरी नहीं करवानी चाहिए और खासकर ऐसे काम नहीं करवाने चाहिए जिससे उनके शरीर को किसी प्रकार की क्षति है । सरकार ने बाल मजदूरी रोकने के कानून तो बना दिया पर यह कानून तभी कारगर होगें जब इनके लागू करवाने में आप लोग कानून की मदद करेगें । करखाना मलिक तो बालश्रम को बढ़ावा देगें ही क्योंकि उससे उनको फायदा है । कम पैसे के काम हो जायेगा । आज हम आप लोगों को बताते हैं । बाल श्रम के बारे में कानून में साफ–साफ लिखा है की 14 वर्ष की आयु से कम आयु के बच्चों को जोखिमपूर्ण काम में प्रतिबन्ध हो यदि कोई इस तरह का काम बच्चों से करवा रहा है सरकार उसके खिलाफ सक्त कार्यवाही करेगी ।

मजदूर– यह जोखिम पूर्ण काम कौन से हैं ।

स्वामी जी –देखों मजदूर भाईयों ऐसे उद्योगों की एक लम्बी लिस्ट है पर इसके कुछ को हम पढ़ देते हैं ।

1. रेलो द्वारा यात्रियों, माल, और डाक को इधर–उधर ले जाना रेलवे स्टेशन में भोजनालयों में ।
2. ऐसे जो रेल लाईनों के निकट हो या उसके बीच हों ।
3. बीड़ी बनाना, कपड़ों की रंगाई पुताई, ईट भट्ठा उद्योग चूना, निर्माण जूट के कपड़ों का निर्माण कटाई, ढलाई, पालिश और बैल्डिग शामिल है ।

इस तरह के 51उद्योग है जहॉ बच्चे काम नहीं कर सकते यदि कोई कल कारखाना मालिक जोखिम घोषित उद्योग में बच्चों से काम करवाता है तो उसके खिलाफ सरकार शक्त कार्यवाही करेगी । उस मालिक को कम से कम 3 माह की सजा यह सजा एक साल तक बढ़ाई जा सकती है । इसके साथ–साथ 20,000 का जुर्माना न्यायालय सजा और जुर्माना दोनों कर सकता है । एक बार जुर्माना भरने के बाद फिर बाल मजदूरों से काम करवाता है तो जुर्माना और सजा दोनों बढ़ाया जा सकता है ।

मजदूर – मजदूरी से हटाया गया बाल मजदूर क्या करेगा ?

स्वामी जी –क्या करेगा मतलब, वह पढ़े लिखे स्कूल भेजा जायेगा । जहॉ वह पढ़ लिख सके ।

मजदूर – स्वामी जी, हम लोगों के पास पैसा तो है नहीं । हम लोग पढ़ायेगें कैसे ?

स्वामी जी –सरकार ने इसकी भी व्यवस्था की है । जब बाल श्रमिक को कारखाने से छुड़वाया जायेगा तो जो 20,000 की जुर्माना राशि है उस राशि को बाल श्रम पुर्नवास सह कल्याण निधि में जमा करवा दी जायेगी और उससे मिलने वाले ब्याज से वह पढ़ता रहेगा ।

मजदूर – हम अपने बच्चों से काम इसलिए करवाते है जिससे हमारे घर की आय बढ़े और हम लोग रोटी खा सकें ।

स्वामी जी –कानून का उल्लंघन करके बालको से काम करवाने वाले मालिको पर प्रति बालक जो 20,000 रूपये वसूले जायेगें उसके ब्याज से तो बालक के शिक्षा में व्यय होगा सरकार ने उस कारखाने में उस परिवार के एक व्यस्क सदस्य की नौकरी लगवायेगी यदि नौकरी नहीं दे पायी या उस परिवार में नौकरी करने योग्य कोई व्यक्ति नहीं है तो सरकार 5000 की और सहायता देगी जिसके ब्याज से उस परिवार का आय स्रोत होगा । न्यायालय का स्पष्ट निर्देश है की बाल मजदूरी के मिटाने के लिए उस परिवार के वैकल्पिक आय के स्रोत का प्रबंधन होना चाहिए ।

मजदूर – यह राशि कहा जमा होगी ।

स्वामी जी–यह राशि हर जिले के 'बाल श्रम पुनर्वास सह कल्याण निधि' में जाम होगी इसको जमा करवाने की जिम्मेदारी नियुक्त इंस्पेक्टर करेगें ।

मजदूर – स्वामी जी, हम लोग किसको शिकायत करे की हमारे बच्चे को कैसे काम छुड़वाये ।

स्वामी जी –आपने बहुत अच्छी बात पूछी । यदि आप देखते है की आप के आस–पास बच्चे जोखिम के काम कर रहे है । तो आप उसकी शिकायत जिले के लेबर श्रम अधिकारी को कर सकते है । आप लोग जिले के जिलाधिकारी को भी शिकायत कर सकते हैं ।

*****

ऐपिसोड–67– प्रसारण तिथि 09–12–2001

विषय –निर्माण मजदूर

'' सबका सपना होता है 'एक घर' इस सपने को साकार करते हैं मजदूर के हाथ पर मजदूर का सपना होता है रोटी, कपड़ा, जिसको पाने के लिए वह दर–दर घूमता है और घूमते–घूमते अपनी जीवन यात्रा पूरी कर लेता है ।''

स्वामी जीः राम–राम मजदूर भाईयों ।

मजदूर : राम–राम स्वामी जी, स्वामी जी आप जब भी हम लोगों के बीच आते है हम लोगों को बहुत खुशी होती है ।

स्वामी जीः हम तो आप सभी मजदूर भाईयों की ही लड़ाई लड़ रहे हैं, आप लोग अपने अधिकारों के प्रति कितने सजग हैं, यह जानने और आप लोगों को आपके अधिकरों की जानकारी देने के लिए हम आप लोगों के पास आये हैं ।

मजदूरः स्वामी जी, हम लोगन का काम मिलत रहे तो जानव सब अधिकार मिलेगें ।

स्वामी जीः आप लोगों को रोज काम मिले और उसके साथ आप लोगों को सारे सामाजिक अधिकार मिले इसके लिए जरूरी है की आप लोग संगठित होकर काम करें ।

मजदूरः स्वामी जी हम लोग का कौनव एक ठिकाना तो है नही, आज यहॉ तो कल वहॉ तो कैसे संगठित होगें ।

स्वामी जीः आप लोग काम करने इस शहर आये तो इस शहर में जितने लोग है सब एक हो जाओ और फिर अपने अधिकरों की लड़ाई शुरू करो ।

मजदूरः स्वामी जी हमे संगठन बनाने के लिए क्या करना होगा ।

स्वामी जीः आप लोग एक बात बोले जैसे सरकार द्वारा निधार्रित न्यूनतम मजदूरी है उससे कम में कोई काम नहीं करेगा । काम के घन्टे, चिकित्सा की सूविधा समय पर पैसे का भुगतान और हॉ आप लोगों को बता दे की आपकी सरकार द्वारा न्यूनतम मजदूरी क्या निधार्रित हो?

.....

.....

.....

मजदूर भाइयों एक बात और सरकार द्वारा एक दिन की सप्ताहिक छुट्टी रखने की व्यवस्था है । इस दिन की भी आप सब को मजदूरी मिलेगी । अगर आप लोग इससे कम में काम करते है तो आप लोग बंधुआ मजदूर कहलायेंगे ।

मजदूरः स्वामी जी आप जो मजदूरी बता रहे हैं वह न तो हमें मजदूरी मिलती है और न ही सप्ताह में छुट्टी, हमें हमारी सभी सुविधाऍ मिले इसके लिए हमें क्या करना चाहिए ?

स्वामी जीः भाइयों हमने पहले भी कहा है आप लोग संगठित हो जाओ और फिर अपने अधिकारो की लड़ाई शुरू करो हम तुम्हारे साथ हैं, और तुम लोगों को हम वचन देते है कि अगर तुम लोग लड़ोगे तो जीत भी तुम्हारी ही होगी ।

मजदूरः स्वामी जी, यदि हम लोग ठेकेदार के खिलाफ बोलेंगे तो वह हमें काम नहीं देगें ।

स्वामी जीः इसीलिए हमने कहा पहले संगठित हो ।

मजदूरः हम संगठित होकर क्या कर लेंगे हम लोग तो पढ़े लिखे तो है नहीं की हम लोग ठेकेदार और मालिकों के खिलाफ कोई कार्यवाही कर सकें ।

स्वामी जीः देखो ! आप लोगों में एकता होगी तो आप की ठेकेदार भी सुनेगें और मालिक भी फिर हम आप लोगों के साथ है ।

मजदूरः स्वामी जी, हमारे क्या–क्या अधिकार है यह हमें मालूम ही नहीं चलते आप हम लोगों के बीच आये सपना दिखा गये, हम हमारे अधिकारों के बारे में शिक्षित कौन करेगा ?

स्वामी जीः हॉं मजदूर भाईयों आप ने बहुत अच्छा सवाल किया यह जो ''मजदूरवाणी'' प्रोग्राम है । आप को आपके अधिकार बताने के लिए ही है आप लोग इस हर रविवार सुबह दिल्ली 'ए' पर 9.30 बजे जरूर सुना करें और हॉं आपको और अधिक जानकारी के लिए हम अपने कार्यालय का पता बता दे जहॉं आकार आप अपनी समस्याएँ बता सकते है और अपने अधिकारों को जान सकते हमारे ऑफिस का पता है । बंधुआ मुक्ति मोर्चा – 7 जन्तर मन्तर रोड, नई दिल्ली – 1

जो मजदूर भाई हमारे ऑफिस नहीं आ सकते वह हमें पत्र लिख कर अपनी समस्या बता सकते हैं ।

मजदूरः आप सब बातें हमारे हित की ही कह रहे हैं, पर महाराज यह बताये हम लोग के पास बहुत पैसा तो है नहीं की है यूनियन और लड़ाई के चक्कर में पड़ने और रोटी खाना एक दिन काम नहीं मिलता तो दूसरे दिन रोटी का संकट पड़ जाता है ।

स्वामी जीः अरे राम दरस हम यह नहीं कहते की सब काम धन्धा बंद कर के लड़ाई आज से ही शुरू कर दो हम तो कहते है पहले आपस में एकता करो फिर लड़ाई शुरू करें ।

मजदूरः स्वामी जी, आप ठीक कहते हैं अब हम लोग संगठित होकर काम करना आज से ही शुरू कर देंगे ।

******

ऐपिसोड – 68– प्रसारण तिथि–16–12–2002

विषय –मजदूरो के कानूनी अधिकार

राम, राम मजदूर भाईयों हर रविवार की तरह इस बार फिर हाजिर है, बंधुआ मुक्ति मोर्चा का प्रायोजित कार्यक्रम मजदूरवाणी के साथ आज आप सभी मजदूर भाई सुनेंगे अपने कुछ कानूनी अधिकारों के बारे में । मजदूर भाईयों के साथ बात करने के लिए बंधुआ मुक्ति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी अग्निवेश हम लोगों के बीच बात करने के लिए उपस्थित है ।

स्वामी जी – राम–राम

उद्घोषक– स्वामी जी, आप ने पिछली बार बहुत से पत्रों का उत्तर दिया था, हमारे पास अभी भी बहुत से पत्र है पर एक पत्र हमारे पास ऐसा है जिसको यदि आप अनुमति देते तो पढ़े ।

स्वामी जी – अगर किसी मजदूर की पीड़ा हो तो जरूर सुनाओ, हमारे साथ–साथ सभी मजदूर भाईयों को।

उद्घोषक – पत्र है गाजियाबाद, से लिख है तारा सिंह ने महोदय, सविनय निवेदन है कि मैं एक लिमिटेड कम्पनी में 7 वर्ष से पक्के (परमामेन्ट) काम कर रहा हूँ । जो कि यह फैक्ट्री बी0एस0 रोड इन्डेस्टैलिया एरिया, गाजियाबाद में है । महोदय इस फैक्ट्री में कोई संगठन नहीं है । और नह ही हो सकता है क्योंकि फैक्ट्री में कोई संगठन नहीं है । और न ही हो सकता है । क्योंकि फैक्ट्री प्रबंधन का पूरे गाजियाबाद में दबदबा है । बड़े–बड़े अधिकारियों से ताल्लुक रखता है। सन् 2000 मार्च, अप्रैल मई माह व सन् 2001 जनवरी का वेतन भी नहीं दिया हुआ है । और ओवर टाईमा देना भी बन्द किया हुआ है । सन् 2000 और 2001 का बोनस ळाी नहीं दिया । वेतन मॉगने पर मार–पीट करना शुरू कर देता है । 3–4 मजदूरों को काफी पीटा गया सारे मजदूर बहुत डरते है । बहु से मजदूरो को कर्मचारी के हिस्से का पैसा मालिक उसके वेतन से काटकर जमा कर सकता है ।

मजदूर– स्वामी जी, कितना पैसा जमा होगा ।

स्वामी जी– आप के मूल वेतन में 12 प्रतिशत पैसा आपके वेतन से जमा होगा और इतना ही पैसा मालिक अपने खाते से जमा करेगा ।

मजदूर– स्वामी जी हम लोगों को यह जमा पैसा मिलेगा कब ?

स्वामी जी – अभी पूरी बात सुनी नहीं और पैसा मिलेगा कब की चिन्ता करने लगे ? अरे भाईयों यह तुम लोगों को पैसा होगा और आप लोग जब चाहेंगे तब आप लोगों को पैसे मिल जायेगा । पहले सुनो कैसे पैसे जमा होगा और आप लोगों को लाभ कैसे मिलेगा । पहले आप लोग जहॉ 20 या उससे अधिक लोग काम करते हो । वहॉ यदि भविष्य निधि में पैसे जमा नहीं हो रहे है तो आप

लोग संगठित होकर उस संस्था पर दबाव बनाये की वह आप लोगों का भविष्य निधि में पैसा जमा करवायें । और आप लोग इस बात का भी पता लगाते रहे की हम लोगों को पैसा समय पर और ठीक जगह पर जमा हो रहा है की नहीं ।

मजदूर – स्वामी जी, हम लोग कैसे पता करेगे ।

स्वामी जी – बहुत अच्दी बात पूछी अकसर होता है, भविष्य निधि के नाप पर मालिक मजदूरी से पैसा ले लेते हैं और जमा नहीं करते इसके लिए आप लोगों को जागरूक होना चाहिए । इस योजना में शामिल कर्मचारियों को एक–एक कार्ड दिया जाता हे । जिसे सदस्यता कार्ड कह सकते है । या पी0एफ0फण्ड का एक सदस्यता कार्ड हो गया । और ये कार्ड मालिक के पास उसके दफ्तर में रखा रहता है जो भी मजदूर भाई जानकारी करना चाहे वह उस कार्ड पर लिखी गयी सभी जानकारियों प्राप्त कर सकते हैं । यह पैसा आप लोगों की गाढ़ी कमाई का है, इसमें पूरा अधिकार आप लोगों का होता हे । जमा पैसे पर सरकार ब्याज भी देती है । ब्याज और आप के हिस्से का कटा और मालिक द्वारा जमा पैसा सभी आप का है। आप को जब जरूरत होगी तब आप इस पैसे को निकाल सकते हो जब आप वृद्ध हो जायेगें तब आप को सारा पैसा मिल जायेगा ।

मजदूर – स्वामी जी, यह स्कीम तो बहुत अच्छी है । हम लोग गरीब इसी कारण बने रहे हैं हमारे यहॉ जब कोई शादी, बरात, काम काज होता है । तब हम लोग उधार पैसा लेते हैं । उसके मरते–मरते जीवन बीत जाता है । और यदि हमारे पास पैसा जमा होगा तो हम लोग भी दूसरों की तरह खुशी का जीवन बीतायेगें ।

स्वामी जी – जरूर बीतायेगे खुशी का जीवन यही खुशी का जीवन पाने के लिए केवल काम करना से नहीं कुछ संघर्ष भी करना होगा तभी खुशी जीवन मिलेगा । एक बात और आप लोगों ने सरकार ने एक और स्वास्थ्य सुरक्षा का अधिकार दिया है । यह कानून भी उन सब जगह लागू होता है । जहॉ 20 से अधिक श्रमिक काम करते हैं । ई0एस0आई0 कार्ड बनता है । जिसमें श्रमिक की और उसके परिवार के सदस्यों की फोटो लगी होती है । उस कार्ड से श्रमिक अपना और अपने परिवार के सदस्यों का इलाज सरकारी ई0एस0आई0 अस्पतालों मुफ्त में होता है । गंभीर प्रकार की चोट लगाने और गंभीर बीमारी के इलाज भी मुफ्त में सरकार करवाती है ।

मजदूर – स्वामी जी, हम लोग तो इस बारे में पहली बार सुन रहे हैं । बताये की यह कार्ड कैसे बनता है और इसको बनवाने के लिए कितने पैसे लगते हैं ।

स्वामी जी – आप जहॉ काम करते है उसी संस्थान को कहें की हमें ई0एस0आई0 कार्ड बनवा दे । कार्ड बनवाते समय आप की फोटो देनी होगी । आपको हर महिने 79 रूपये देने होंगे जो मालिक आपकी वेतन से काट कर ही जमा कर देगा । उसके बदले में आप और आप के

परिवार में आपके अश्रित सभी लोगों का छोटे से बड़ा पूरा इलाज सरकार मुफ्त करवायेंगी ।

मजदूर – अच्छा स्वामी जी । अब हमको सब पता चल गया है, हमें अपने अधिकारों के बारे में इतनी सारी जानकारी दी । हमें तो ये सब पता ही नहीं था ।

स्वामी जी – अच्छा भाईयों अब लगते हफ्ते मिलते है । राम–राम भाईयों ।

मजदूर भाई – राम–राम स्वामी जी ।

*****

ऐपिसोड–69– प्रसारण तिथि –23–12–2001

विषय :–बाल मजदूरी और उसके उन्मूलन पर विचार

स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति डा0 राजेन्द्र प्रसाद ने कहा था – ''बच्चे राष्ट्र् की बहुमूल्य सम्पत्ति हैं और कोई भी जागरूक राष्ट्र् बाल कल्याण जैसे महत्वपूर्ण प्रश्न को केवल घरेलू देख भाल के उपर ही छोड़ नहीं सकता । बच्चों का जीवन स्तर सुधरे और यहॉ तक कि निर्धन से निर्धन लोगों के बच्चों की भी आवश्यकता पड़ने पर राज्य की सहायता से देख भाल की जाये । ताकि स्वस्थ एवं सुनियोजित स्थितियों में उनके विकास को सुनिश्चित बनाया जा सके । इसे देखना हमारे समाज का कर्तव्य है ।''

इसी पृष्ठ भूमि पर आधारित है हमारा आज का अंक ।

संगीत .....

स्वामी जी – राम–राम भाईयों, नमस्कार, सलाम ।

मजदूर – राम–राम स्वामी जी, आप की बड़ी उम्र है स्वामी जी ।

स्वामी जी – अरि क्यों भाई ऐसी क्या बात है ?

मजदूर – हमार ई लड़कवा सयाना हो गया है, अब हम कहते है कि नमक तेल में हमारा हाथ बटाओं ? तो ईधर उधर चल देता है, इसकी मॉ बोलती है छोड़ो हटाओं अभी बच्चा है ।

स्वामी जी – ठीक तो है, उसकी मॉ ठीक कह रही है, अभी तो उसके स्कूल जाने की उम्र है उसको पढ़ने भेजों ।

पहला मजदूर – अरे, उसमें भी तो खर्चा है । हम सोच रहे थे कुछ काम धाम कर ले । मगर –दवाई बांटने वाली मैडम जी बोल रही थी कि बच्चों से काम कराओंगे तो बंद हो जाओगे । आखिर ई का बात है ?

दूसरा मजदूर – यही बात जाने खातिर हम लोग आप को याद कर रहे थे ।

स्वामी जी – बिल्कूल सही बात है, जिन बच्चों को स्कूल भेजना चाहिए उनसे नौकरी करवाना अपराध और पाप भी है ।

मजदूर – स्वामी जी, हम तो हर जगह देखते हैं बच्चा लोग काम करते हैं । ताला चाभी के काम में, भांडे, बर्तन बनाने के धंधा में, आप के खुर्जा में कप प्लेट के काम में, कालीन में, दिया सलाई के काम में, और होटल, ढाबा में तो आम बात है ।

स्वामी जी – अगर ऐसा है तो बहुत गलत बात है ।

मजदूर – ई बाल मजदूरी क्या हे स्वामी जी, बताओ तो सही ।

स्वामी जी – देखो भाई ! परम्परागत रूप से बाल मजदूर 5 से 14 वर्ष आयु का वह बच्चा होता है जो काम करता है ।

राष्ट्रीय श्रम संगठन (आई0एल0ओ0) के अनुसार – बाल श्रमिकों में वे बच्चे शामिल है जो व्यस्क की तरह जीवन जीते हैं । लम्बे घंटों तक कम मजदूरी पर काम करते हैं कभी–कभी वे अपने परिवार से अलग रहते हैं । शिक्षा एवं प्रशिक्षण के अभाव में अपने अच्छे भविष्य से वंचित हो जाते हैं ।''

मजदूर – स्वामी जी, अइसे देखने से पता नाहीं चलता कि बच्चे इतना मेहनत करते हैं । असल बात क्या है?

स्वामी जी – देखो भाई – यूनीसेफ जो एक संस्था है उसके मुताबिक –

1. बच्चों को कच्ची उम्र में काम करना पड़ता हैं । यह ज्यादातर विकासशील देशों में पाये जाते हैं ।
2. बच्चे 12 से 16 घंटे तक काम करते हैं । इससे भी अधिक तुम लोगों को पता नहीं चलता ।
3. बाल मजदूर खतरनाक परिस्थितियों में सड़क पर रोजगार करता है जिससे शारीरिक मानसिक और मनोवैज्ञानिक दबाव का शिकार हो जाता है ।
4. इनको बहुत कम मजदूरी मिलती है ।

मजदूर – स्वामी जी, यह सब रोके के लिए सरकारी कानून है क्या ?

स्वामी जी – हॉं भाई आज से 120–121 साल पहले 1881 में कारखाना अधिनियम 1881 के माध्यम से 7 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखानों में रोक लगाई गयी, और यह कहा गया कि वे सिर्फ 9 घंटे काम करेंगे । उस वक्त विदेशी सरकार पूरी तरह ध्यान नहीं दे पायी ।

मजदूर – और अब स्वामी जी ?

स्वामी जी – फिर से कानून बनता रहा सुधार होते रहे –

खान अधिनियम 1901 में 12 वर्ष से उम्र के बच्चों को काम पर रखने पर रोक लगायी गयी ।

कारखाना अधिनियम 1911 में शाम 7 बजे से सवेरे साढ़े 5 बजे तक बच्चों के काम पर रोक लगाई गयी ।

कारखाना संशोधन अधिनियम – 1922 में अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की अभी संख्या 5 को लागू करते हुए इनका उम्र 15 वर्ष किया गया ।

एक बात और सुनो – 1931 में श्रम मामलों पर गठित रायल आयोग की सिफारिशों ने 1931 से 1949 के बीच श्रम कानूनों को काफी प्रभावित किया । एक निर्णय के अनुसार 1932 में चारा जिला प्रवासी मजदूर अधिनियम के माध्यम से एक ओर असम में श्रमिकों के प्रवास पर अंकुश

लगाने का प्रयास किया था वही दूसरी ओर इस अधिनियम में यह भी व्यवस्था की गयी कि किसी बालक को अपने जिले से दूसरे जिले में नियोजन के लिए उत्प्रवास करने की अनुमति तभी दी जायेगी जबकि उस बालक के माता–पिता था उसका अभिभावक उसके साथ हो ।

मजदूर – ये बात आजादी के पहले की है बाद में क्या हुआ स्वामी जी ?

स्वामी जी – 26 जनवरी, 1950 से जब हमारे देश में अपना संविधान विशेषतौर पर अनुच्छेद – 23, 24, 39, 45 का प्रावधान किया गया है । अनुच्छेद 23 में – दुर्व्यवहार, बंगार और बालात् श्रम पर रोक लगायी गयी । अनुच्छेद 24 में 14 वर्ष से काम आयु के बच्चों को कारखाना या खान में या अन्य खतरनाक धंधों में रखने पर रोक लगायी गयी । और सबसे महत्वपूर्ण बात अनुच्छेद 39 के माध्यम से यह अपेक्षा की गयी कि राज्य यह सुनिश्चित करें कि बालकों के सुकुमार अवस्था का दुर्पयोग न हो । गरीबी के कारण उन्हें काम पर न जाना पड़े, और अनुच्छेद 43 द्वारा राज्य को सभी बालकों को 14 वर्ष की आयु पूरी करने तक निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का निर्देश दिया गया है ।

मजदूर – स्वामी जी, आप जो बताये रहें हो इ सब कोर्ट कचहरी की बात है ? यह सब फैसला वही का हैं?

स्वामी जी – अरे, भाई यह सब कानूनी प्रावधान हैं जिसे राज्य सरकारों को सख्ती से लागू करना चाहिए । कोर्ट कचहरी फैसला सुनाते हैं । लेकिन उनका फैसला ही कानून बन जाता है ।

मजदूर – आप ठीक–ठीक समझाओ स्वामी जी ।

स्वामी जी – देखो एक उदाहरण हम बता रहे है – पी0यू0डी0आर0 बनाम भारत संघ0ए0आई0आर0 1982 एस0सी0 1440 के मामले में न्यायमूर्ति पी0एन0 भगवती और बहरूल इस्लाम ने अवलोकन किया कि यह भारत सरकार द्वारा स्वीकृत अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के कन्वेंशन नं0 59 के जरूरतों के अलावा हमारे सामने संविधान की धारा 24 है । इसके अनुसार निर्माण कार्य को निःसन्देह खतरनाक काम माना । उन्होने कहा कि भारत सरकार और हर राज्य सरकार को यह गारण्टी करनी चाहिए कि देश के किसी भी भाग में संविधान की अवहेलना न हो ।

मजदूर – स्वामी जी, ये तो बड़ा सख्त आर्डर है । लेकिन हम लोग ठहरे मजदूर अपने बच्चों को कहॉ पढ़ने भेजें। पता ठिकाना है नाही ?

स्वामी जी – इसके बारे में भी उच्चतम न्यायालय का एक फैसला है । सुनो – सलाल हाईड्रो परियोजना में कार्यरत श्रमिक बनाम जम्मू कश्मीर राज्य व अन्य (1987) एस0सी0सी0 50 के मामले में यह अवलोकन किया था कि जब कभी सरकार कोई ऐसी निर्माण परियोजना शुरू करे जिसके कुछ समय तक चलते रहने की संभावना हो तो सरकार को उन निर्माण श्रमिकों के बालकों के

लिए जो परियोजना क्षेत्र के आस–पास रहते हैं स्कूल की व्यवस्था स्वयं करे या ठेकेदारों से उसकी व्यवस्था कराने का निर्देश दिया था । तुम सब जहाँ काम करते हो अपने अधिकारी या ठेकेदारों से कहों कि वे स्कूल की व्यवस्था करें । नहीं करें तो मुझे बताओं ।

मजदूर – स्वामी जी, अगर हमारे अधिकारी ये ठेकेदार ऐसा नहीं करे तो कोई जुर्माना, वर्माना है क्या ?

स्वामी जी – हाँ राष्ट्रीय श्रम संस्थान के जुलाई अगस्त 2001 के श्रम जगत पत्रिका के मुताबिक देश की राजधानी से सटी प्रमुख औधोंगिक नगरी नोयडा में हाल ही ये राज्य के श्रम विभाग द्वारा बाल मजदूर कानून की अवहेलना करने पर कारखाना के मालिकों पर 17 लाख जुर्माना लगाया गया । यह अभियान के तहत 130 बाल मजदूरों की पहचान की गयी इनमें से 42 बच्चे खतरनाक किस्म के काम में लगे थे – उद्योगों में इन बच्चों को काम पर लगाने वाले कारखाना मालिकों पर 20 हजार रू0 प्रति बाल मजदूर के दर से 8 लाख 40 रू0 जुर्माना लगाया गया । शेष बच्चों का काम कुछ कम खतरे वाला था लेकिन मालिकों ने अन्य दूसरे प्रावधानों को नहीं माना था । इसलिए वे भी दोषी करार किये गये और जुर्माना लगाया गया । इन दिनों अन्तर्राष्ट्रीय बाल श्रम उन्मूलन कार्यक्रम चलाया गया । हाँ इसकी शुरूआत 1992 में हुई थी । इस कार्यक्रम का उद्देश्य धीरे–धीरे पूरी दुनिया से बालश्रम को समाप्त करना ही इनका काम हमारे देश में भी चल रहा था ।

मजदूर – ये तो बहुत अच्छी बात है स्वामी जी, हम लोग तो कूप मंडूक है । भेड़ चाल चले जा रहे है । भूख और गरीबी उपर से सहे जा रहे है ।

स्वामी जी – यही तो बता रहा हूँ जानकारी हासिल करो और दूसरों को भी बताओ । समझ में न आये तो मुझ से मिलों ।

******

ऐपिसोड–70–प्रसारण तिथि – 06–01–2002

विषय – असंगठित मजदूरों से सम्बन्धित अधिकार

राम, राम मजदूर भाईयों हर रविवार की तरह इस बार फिर हाजिर है, बंधुआ मुक्ति मोर्चा का प्रायोजित कार्यक्रम मजदूरवाणी के साथ आज आप सभी मजदूर भाई सुनेंगे अपने कुछ कानूनी अधिकारों के बारे में । मजदूर भाईयों के साथ बात करने के लिए बंधुआ मुक्ति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी अग्निवेश हम लोगों के बीच बात करने के लिए उपस्थित है । स्वामी जी राम–राम ।

स्वामी जी – राम–राम

उद्घोषक– स्वामी जी, आप ने पिछली बार बहुत से पत्रों का उत्तर दिया था, हमारे पास अभी भी बहुत से पत्र है पर एक पत्र हमारे पास ऐसा है जिसको यदि आप अनुमति देते तो पढ़े ।

स्वामी जी – अगर किसी मजदूर की पीड़ा हो तो जरूर सुनाओ, हमारे साथ–साथ सभी मजदूर भाईयों को।

उद्घोषक – पत्र है गाजियाबाद, से लिख है तारा सिंह ने महोदय, सविनय निवेदन है कि मैं एक लिमिटेड कम्पनी में 7 वर्ष से पक्के (परमामेन्ट) काम कर रहा हूँ । जो कि यह फैक्ट्री बी0एस0 रोड इन्डेस्टैलिया एरिया, गाजियाबाद में है । महोदय इस फैक्ट्री में कोई संगठन नहीं है । और नह ही हो सकता है क्योंकि फैक्ट्री में कोई संगठन नहीं है । और न ही हो सकता है । क्योंकि फैक्ट्री प्रबंधन का पूरे गाजियाबाद में दबदबा है । बड़े–बड़े अधिकारियों से ताल्लुक रखता है। सन् 2000 मार्च, अप्रैल मई माह व सन् 2001 जनवरी का वेतन भी नहीं दिया हुआ है । और ओवर टाईमा देना भी बन्द किया हुआ है । सन् 2000 और 2001 का बोनस ळाी नहीं दिया । वेतन माँगने पर मार–पीट करना शुरू कर देता है । 3–4 मजदूरों को काफी पीटा गया सारे मजदूर बहुत डरते है । बहु से मजदूरो को कर्मचारी के हिस्से का पैसा मालिक उसके वेतन से काटकर जमा कर सकता है ।

मजदूर– स्वामी जी, कितना पैसा जमा होगा ।

स्वामी जी– आप के मूल वेतन में 12 प्रतिशत पैसा आपके वेतन से जमा होगा और इतना ही पैसा मालिक अपने खाते से जमा करेगा ।

मजदूर– स्वामी जी हम लोगों को यह जमा पैसा मिलेगा कब ?

स्वामी जी – अभी पूरी बात सुनी नहीं और पैसा मिलेगा कब की चिन्ता करने लगे ? अरे भाईयों यह तुम लोगों को पैसा होगा और आप लोग जब चाहेंगे तब आप लोगों को पैसे मिल जायेगा । पहले सुनो कैसे पैसे जमा होगा और आप लोगों को लाभ कैसे मिलेगा । पहले आप लोग जहाँ 20 या उससे अधिक लोग काम करते हो । वहाँ यदि भविष्य निधि में पैसे जमा नहीं हो रहे है तो आप

लोग संगठित होकर उस संस्था पर दबाव बनाये की वह आप लोगों का भविष्य निधि में पैसा जमा करवायें । और आप लोग इस बात का भी पता लगाते रहे की हम लोगों को पैसा समय पर और ठीक जगह पर जमा हो रहा है की नहीं ।

मजदूर – स्वामी जी, हम लोग कैसे पता करेगे ।

स्वामी जी – बहुत अच्दी बात पूछी अकसर होता है, भविष्य निधि के नाप पर मालिक मजदूरी से पैसा ले लेते हैं और जमा नहीं करते इसके लिए आप लोगों को जागरूक होना चाहिए । इस योजना में शामिल कर्मचारियों को एक–एक कार्ड दिया जाता हे । जिसे सदस्यता कार्ड कह सकते है । या पी0एफ0फण्ड का एक सदस्यता कार्ड हो गया । और ये कार्ड मालिक के पास उसके दफ्तर में रखा रहता है जो भी मजदूर भाई जानकारी करना चाहे वह उस कार्ड पर लिखी गयी सभी जानकारियों प्राप्त कर सकते हैं । यह पैसा आप लोगों की गाढ़ी कमाई का है, इसमें पूरा अधिकार आप लोगों का होता हे । जमा पैसे पर सरकार ब्याज भी देती है । ब्याज और आप के हिस्से का कटा और मालिक द्वारा जमा पैसा सभी आप का है । आप को जब जरूरत होगी तब आप इस पैसे को निकाल सकते हो जब आप वृद्ध हो जायेगें तब आप को सारा पैसा मिल जायेगा ।

मजदूर – स्वामी जी, यह स्कीम तो बहुत अच्छी है । हम लोग गरीब इसी कारण बने रहे हैं हमारे यहॉ जब कोई शादी, बरात, काम काज होता है । तब हम लोग उधार पैसा लेते हैं । उसके मरते–मरते जीवन बीत जाता है । और यदि हमारे पास पैसा जमा होगा तो हम लोग भी दूसरों की तरह खुशी का जीवन बीतायेगें ।

स्वामी जी – जरूर बीतायेगे खुशी का जीवन यही खुशी का जीवन पाने के लिए केवल काम करना से नहीं कुछ संघर्ष भी करना होगा तभी खुशी जीवन मिलेगा । एक बात और आप लोगों ने सरकार ने एक और स्वास्थ्य सुरक्षा का अधिकार दिया है । यह कानून भी उन सब जगह लागू होता है । जहॉ 20 से अधिक श्रमिक काम करते हैं । ई0एस0आई0 कार्ड बनता है । जिसमें श्रमिक की और उसके परिवार के सदस्यों की फोटो लगी होती है । उस कार्ड से श्रमिक अपना और अपने परिवार के सदस्यों का इलाज सरकारी ई0एस0आई0 अस्पतालों मुफ्त में होता है । गंभीर प्रकार की चोट लगाने और गंभीर बीमारी के इलाज भी मुफ्त में सरकार करवाती है ।

मजदूर – स्वामी जी, हम लोग तो इस बारे में पहली बार सुन रहे हैं । बताये की यह कार्ड कैसे बनता है और इसको बनवाने के लिए कितने पैसे लगते हैं ।

स्वामी जी – आप जहॉ काम करते है उसी संस्थान को कहें की हमें ई0एस0आई0 कार्ड बनवा दे । कार्ड बनवाते समय आप की फोटो देनी होगी । आपको हर महिने 79 रूपये देने होंगे जो मालिक आपकी वेतन से काट कर ही जमा कर देगा । उसके बदले में आप और आप के परिवार में आपके अश्रित सभी लोगों का छोटे से बड़ा पूरा इलाज सरकार मुफ्त करवायेंगी ।

मजदूर – सच में स्वामी जी मुफ्त ईलाज होगा ।

स्वामी जी – हॉ–हॉं मुफ्त ईलाज । और इससे संबंधित जानकारी हम आप लोगों को आगे भी बताते रहेगें। आज के लिए इतना ही काफी है । अगले हफ्ते फिर मिलेगें । राम–राम भाईयों ।

*****

ऐपिसोड़–71 – तिथि –13–01–2002

विषय –महाशिवरात्रि के पर्व पर स्वामी जी का विशेष संदेश

बंधुआ मजदूरों के मुक्ति संग्राम और आर्य समाज के नेता स्वामी अग्निवेश, सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा के कार्यवाहक प्रधान हैं । महाशिवरात्रि की पूर्व संध्या पर स्वामी अग्निवेश का मजदूर भाईयों के नाम विशेष संदेश ।

स्वामी जी – मजदूर भाइयों और मेरी बहनों मैं आज हिन्दुस्तान के तमाम मेहनत करने वाले करोड़ों–करोड़ों मजूदर भाई बहनों को एक बहुत बड़े महापुरूष के बारे में एक क्रान्तिकारी संन्यासी के बारे में एक बहुत बड़े महापुरूष के बारे में एक क्रान्तिकारी संन्यासी के बारे में बताने के लिए आया हूँ । आप लोग जानते भी होगें नाम भी सुना होगा यह महर्षि दयानन्द का, महर्षि दयानन्द जो हमारे देश की आजादी के लिए एक शुरूआत करने वाले थे जिन्होंने एक मन्त्र दिया स्वराज का महर्षि दयानन्द जिन्होंने जातँ–पाँत के खिलाफ संघर्ष का बिगुल बजाया जन्म के आधार पर कोई उँच–नीच नहीं होनी चाहिए । कोई छुआछूत नहीं होनी चाहिए । इस प्रकार की बात कहने वाले वेदों के प्रकाण्ड विद्वान महर्षि दयानन्द के बारे में आज मैं कुछ बताना चाहत हूँ । इसलिए बताना चाहता हूँ कि आज 10 मार्च है और रविार का दिन है । और आज से ठीक तीन दिन के बाद हमारे देश में हो सारी दुनिया में एक त्यौहार मनाया जायेगा महाशिवरात्रि का । महाशिवरात्रि वैसे तो कई तरीके से मनाते हैं । लेकिन जैसे मनना चाहिए वैसे मनाने लगे तो मुझे लगता है देश का समाज का बहुत बड़ा कल्याण हो सकता है । महाशिवरात्रि को हम न कोई पाखण्ड करें । शिव कहते हैं कल्याण को । भला करने वाले को तो महाशिवरात्रि के दिन हम सब को यहसंकल्प लेना चाहिए कि हम में से प्रत्येक व्यक्ति प्रत्येक नागरिक अपने जीवन के माध्यम से दूसरों का कल्याण करेगा । दूसरों का भला करेगा । यह संकल्प लेना ही शिव की उपासना या शिाव की जय–जय कार है न कि किसी पत्थर पर पानी चढ़ा देना और कह देना जय बम भोले या जय शिव जी की ऐसा कह करके जो हम शिवजी की पूजा का जो एक नाटक कर लेते हैं उससे कुछ बनने वाला नहीं है । शिव को याद करना है तो शिव का संकल्प हो, शिव संकल्प मन मैं जगाना होगा । और शिव संकल्प का सीधा मतलब है । कल्याण कने की बात, भलाई करने की बात, दूसरों की सेवा करने की बात गरीब की दलित की शोषित, की यह जो काम है । हमारे देश में प्रत्येक नागरिक को वो चाहे किसी भी मजहब को मानते हैं । महाशिावरात्रि का यह व्रत लेना चाहिए ।

अब मैं बताना चाहता हूँ कि इस महाशिवरात्रि के दिन ही एक घटना घटी । सुदूर गुजरात के राजकोट जिले में और वहाँ टनकारा नाक के एक गाँव में एक छोटे से गाँव में मूल शंकर नाम के एक छोटे से बालक का जन्म हुआ । यह 1823, 24 के आस–पास की बात है । लेकिन ये बालक जब बड़ा हुआ 5–6 साल की उम्र के बाद जब वो पढ़ने–लिखने लगा इतनी तेज उसकी कुशाग्र बुद्धि थी इतनी जल्दी वो याद कर लेते

थे वेद के मन्त्रों के विदुषकों को बड़े–बड़े विद्वान भी ठगे रह जाते थे । वो टंकारा जैसे छोटे से गॉव में पैदा होने वाला वह छोटा सा बालक जब 14 साल का हुआ तो उसके पिता जी शिव के बड़े भक्त थे । शिवरात्रि का जब पर्व आया तो उन्होंने अपने बेटे को बुलाकर कहा कि बेटा शिव जी को खुश करने के लिए बेटा तुम्हे दिनभर व्रत रखना चाहिए । उपवास करना चाहिए, और जितना कठोर व्रत करके तुम रात भग जग करके महाशिवरात्रि के दिन शिव का नाम लोगों तो शिव जी तुम पर प्रसन्न होगें तुम्हारे सामने प्रकट होंगे । तुम्हें वरदान देगें । अभी जो कहानी किस्से हम बच्चों को कहते हैं । या एक तरह से ठगते हैं । देवी देवताओं के बारे में बताते हैं । ऐसी ही उसके पिता जी ने उस भोले भाले शंकर को व्रत करा दिया । कि तुम्हें व्रत करना चाहिए, पूजा करनी चाहिए । वो बेचारा छोटा सा बालक उसने बड़ी गंभीरता से लिया कि पिताजी कह रहे तो जरूर सच बात होगी । और वो दिनभर उपवास करके बिना खाये–पिये रात के 10 बजे 11 बज गये, वो मन्दिर के सामने बैठा–बैठा भजन करता रहा, मूर्ति के सामने, थोड़ी देर में देखता क्या है कि उसके पिता जी और दूसरे पूजारी भी जो भजन गाने आये थे वो भजन गाते–गाते इतने थक गये कि रमा को 10–11 बजे ही उन्हें नींद आ गई और वो वही पर खरार्टे लेने लगे लेकिन ये बालक सोया नहीं, जागता रहा, ये देखते रहा कि उस मूर्ति की तरफ उस पत्थर की प्रतिमा की तरफ देखता रहा जिसको शिवलिंग कहते हैं । शिवजी की मूर्ति कहते हैं । उसे देखता रहा कि इसमें से शिवजी प्रकट होंगे । लेकिन जब बारह भी बज और कोई भगवान भी प्रकट नहीं हुए । कोई भी नहीं आया जो उसमें से वरदान देता । वह देखता रहा ऑखे फॉड–फॉड के तब अचानक क्या देखते हैं मूल शंकर की बिलों में से चूहे निकल करके जो शिव जी के उपर चढ़ा रखा भोग नारियल आदि को कुतुर–कुतुर करके खाने लगे तो अचानके इसके मन को बड़ा धक्का लगा कि अरे जिस शिव को हम भगवान ईशवर परमात्मा कल्याण करने वाला हमारी रक्षा करने वाला मान रहे थे वो तो स्वयं चूहों से अपनी रक्षा नहीं कर पा रहा है । वो मेरी रक्षा या दुनिया की रक्षा क्या करेगा ? उन्होंने अपने पिता को जो से जगाया और कहा पिता जी ये देखो क्या हो रहा है शिवजी के उपर चूहे चढ़ करके धूम रहे हैं । वो चूहों से अपनी रक्षा नहीं कर पा रहे हैं शिवजी तो हमारी रक्षा क्या कर पायेगें । जब बच्चे के मुँह से यह सवाल, जिज्ञासा, देखी, सुनी पिताजी ने तो बजाय इसके उसको ठीक से सुनते उन्होंने उसको डॉट दिया । कहने लगे ऐसा बकवास नहीं करते भगवान के बारे में ईश्वर नाराज हो जायेंगें । तुम जाओं सेा जाओं । मूल शंकर ने कहा पिता जी यह नहीं हो सकता मैं झूठ के रास्ते पर नहीं चल सकता । मैं पाखण्ड के रासते पर नहीं चलूॅगा वही उसी समय वह मन्दिर से घर वापिस गये और दरवाजा खटखटाया मॉ ने पूछा क्या बात है बेटा आधी रात को तुम आ गये बेटे ने कहा मॉ मैं आज तक झूठ के रास्ते पर पाखण्ड के रास्ते पर चलता रहा अब नहीं चलूॅगा । जो पत्थर की मूर्ति है वह शिव नही हैं, सच्चा शिव तो कोई और है परमात्मा है, कोई और है । और इस तरह की झूठी चीजों का अब से मैं पूजा वगैरह नहीं करूगॉ । और वक्त उसने व्रत तोड़ दिया और रोटी खाई । जो सही व्रत है खाली रोटी न खाने को व्रत नहीं कहा जाता । रोटी न खाना भी एक संकल्प हो सकता है । कभी–कभी लेकिन उससे भी जो बड़ा व्रत है । जीवन में कोई बड़ा त्याग करने का बलिदान करने का किसी काम के लिए संघर्ष करने का त्याग और बलिदान करने का किसी काम के लिए संघर्ष करने, बलिदान का संकल्प लिया । यह भी दयानन्द ने उस बालकपन में मूल

शंकर के रूप में और 19 वर्ष की उम्र में उन्होंने घर बार छोड़ करके निकल पड़े शादी कारयी नहीं थी । और जब निकल पड़े तो सारे साधु सन्तों योगी जितने थे उनके पास गये और बोले कि मुझे बताओ सच्चा शिव, सच्चे परमात्म के बारी में बताओं जितने लोगों के पास गये वो लिखते । बाद में अपनी जीवनी कहते हैं । सारे के सारे मुझे पाखण्डी मिले सारे धोखे बाज मिले कई तो नशे बाज मिले । गॉजा सुल्फा लगा करके दमा रे दम कर रहे हैं । और बैठे हुए मन्दिरों में मठों में और झूठ बोल रहे हैं । भभूत लगा कर बैठे हुए हैं । और बोझ बने हुए हैं । समाज के उपर और लाखों–लाखों संन्यासी इधर उधर मंडरा रहे हैं । लेकिम समाज का कल्याण करने के बदले में अपना भी और समाज का नुकसान भी कर रहें हैं । यह सब हालत देखते–देखते बहुत दिनों तक भटकने के बाद स्वामी दयानन्द महर्षि दयानन्द हगुरू गिरीजानन्द के चरणों में पहुँचे मथुरा शहर में और वहाँ उन्होंने वेदों का अध्ययन किया और तब उनकी ऑखें खुली की सच्चा ईश्वर वो सर्वव्यापक है जर्रे–जर्रे में फैला हुआ है । उसके लिए हमें मन्दिर में जाने की जरूरत नहीं किसी मस्जिद, किसी गुरूदारे में बल्कि उसको हर इंसान में देखना चाहिए । हमें हर प्राणी में देखना चाहिए । सृष्टि को सुन्दर बनाने की कोशिश करनी चाहिए और उस दिन से उन्होंने संन्यास लिया कि मैं अन्याय से लडूँगा अज्ञान से लडूँगा जो अभाव की ताकते है । उनको चुनौती दूँगा और इस प्रकार उन्होंने एक नया समाज बनाने का सपना लेकर नया अभियान शुरू कर दिया जो नया समाज है । जिसमें अच्छे लोगों को इक्ट्टठा करना है । अच्छे लोगों को संस्कृत में वेद की भाषा में कहते हैं आर्य जो दुनिया में अच्छा इन्सान रहता है । किसी भी मजहब को मानता है या नहीं मानता है । कोई भी भाषा बोलता है । लेकिन अगर वो अच्छा है, तो आर्य हैक । तो अच्छे लोगों को इक्ट्टठउा करके नया समाज बनाया जाये । उस आर्य समाज की पहली शर्त यह होनी चाहिए कि उसमें कोई जॉतपॉत भी कोई उॅच–नीच की बीमारी न हो जन्म के आधार पर किसी को भी हम बड़ा कहे न छोटा कहे । । आज कल जैसा की होता है कि जन्म से कोई ब्राहमण बन गया जन्म से किसी को नीच कह दिया अछूत कह दिया यह सब भयंकर बीमारी हैं हिन्दुओं में तो थी ही थी अब मुसलमानों में भी फैल गई, ईसाईयों में भी फैल गई तो महर्षि दयानंद ने जॉत–पात के खिलाफ आन्दोलन किया था । और कहा था कि जो पिछड़े भाई हैं । दलित है इनको गले लगाना चाहिए और इनको पूरा सम्मान देकर इनको पूरा मौका देना चाहिए । पढ़ने लिखने और आगे बड़ने का तो आज से 150 साल पहले स्वामी दयानन्द का चलाया हुआ अभियान आज पूरी दुनिया में फैला है । स्वयं दयानन्द जी को प्रेरणा मिली जब एक बार हिमालय की तलहटी में बैठ करके नदी के किनाने ही साधन कर रहे थे अट्ठारह–अट्ठारह घंटे वो एक आसन पर बैठते थे समाधि लगाते थे । तो जंगल में दखेा कि एक बेचारी मेरी मॉं अपनी गौद में एक छोटे से बच्चे को लेकर के आ रही है । उस बच्चे को लपेट रखा था । एक छोटे से कपड़ में रोती सुबकती । सूखे पत्तों पर चलती हुई कि देख तो नहीं रहा है । आता हुआ औश्र चुपचाप उस बच्चे को गंगबा मॉं की गोद में उस बच्चे का बहा दिया जब वह आवाज सुनी उसके रोने सुबकने की तो महर्षि दयानन्द ने पूछा कि मॉं तुमने क्या बहा दिया । और तुम क्यों रो रही हो । उस मॉं ने कहा कि यह मेरा चार साल का बच्चा था इसके पिता तो पहले ही छोड़कर चले गये आज यह भी मुझे छोड़ कर चला गया । और मैं इतनी गरीब हूँ कि इस बच्चे के लिए खफन का टुकड़ा भी नसीब नहीं करा पाई । तो इसलिए अपनी

साड़ी लपेट करके लायी थी और गंगा माँ को सौप दिया अपने बच्चों अपने जिगर के टुकड़े को आब्र अब में साड़ी का टफकड़ा ले रहा रही हूँ अपनी लाज ढकने के यह देख करके महर्षि सोचें और इतना सोचे कि उन्होंने उसी दिन से संकल्प लिया मेरा सम्पूर्ण जीवन इस गरीब समाज के अन्याय के खिलाफ विद्रोह के लिए होगा । और आर्य समाज स्थापना करने के बाद उन्होंने यह संकल्प लिया कि हम अपने देश और समाज से हर प्रकार की मजबूरी खत्म करेंगे जो अन्याय हुआ है । उसको मिटायेंगे और एक सुन्दर समाज बनायेंगे जिसमें हर एक बच्चे को चाहे वो अमीर से अमरी का बच्चा है चाहे गरीब से गरीब का बच्चा हो हर बच्चे को एक जैसी पढ़ाई मिलनी चाहिए । एक जैसी रोटी एक जैसा कपड़ा मिलना चाहिए और कोई फर्क नहीं होना चाहिए । बच्चे–बच्चे की पढ़ाई में तो ऐसे युग पुरूष आर्य समाज के प्रर्वत्तक महर्षि दयानदं के जीवन से हमें प्रेरणा लेनी चाहिए और खास करके महाशिव रात्रि के दिन अपने जीवन में कल्याण का काम करने का संकल्प लेना चाहिए ।

उद्घोषिका – अभी आप सुन रहे थे बंधुआ मुक्ति मोर्चा धारा प्रायोजित कार्यक्रम मजदूरवाणी मजदूर भाईयों यिद आपके पास कोई सवाल हो तो हमें इस पत्ते पर लिखें । हमारा पत्ता है – बंधुआ मुक्ति मोर्चा, 7 जन्तर मन्तर रोड नई दिल्ली – 110 001

ऐपिसोड– 72, प्रसारण तिथि – 20–01–2002

विषय –गणतंत्र दिवस विशेष

मजदूर भाईयों, राम–राम आज 20 जनवरी है पूरे 5 दिन बाद हमारा राष्ट्रीय पर्व है । 26 जनवरी, का मतलब है गणतंत्र दिवस इस साल के अर्थात् सन् 2002 के गणतंत्र दिवस पर आर्य समाज के नेता और बंधुआ मुक्ति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी अग्निवेश जी का राष्ट्र के गरीब मजदूरों के नाम संदेश सुने ।

स्वामी जी – आज हम पूरे देश में गणतंत्र दिवस मनाने की तैयारी कर रहे हैं । पॉच दिन के बाद जब भारत के राष्ट्रपति भारत के प्रधानमंत्री सब खड़े होकर के परेड की सलामी लेंगे । राजपथ के उपर इंडिया गेट के नजदीक और पूरे राष्ट्र एक–एक नर–नारी की, एक–एक नागरिक की आवाज आयेगी । जिस गणतंत्र हिन्दुस्तानी के लिए हमारे देश के वीर शहीदों ने अपनी कुर्बानी दी क्या हम उस गणतंत्र की रक्षा कर पा रहे हैं । क्या हम उस गणतंत्र को आगे बड़ा पा रहे हैं ? सवाल होगा क्या हम वास्तव में इसको गणतंत्र बना पाये है । केवल परेड निकाल देने, सलामी दे देना बम या तोपे दाग देना इतने मात्र से कोई देश गणतंत्र नहीं बनता देश तो है, बहुत मजबूत है देश हमारा पर यह गण के लिए है कि नहीं यह सवाल इसके साथ–साथ उठता है । अर्थात् इस देश का पूरा प्रशासन क्या इस देश के 100 से 125 करोड़ गरीब से गरीब लोगो के लिए उनका उपयोग हो रहा है । क्या उनके रोजी रोटी के लिए उनके बच्चों की पढ़ाई के लिए क्या उनकी दवाई के लिए कोई अच्छा इंतजाम हो पा रहा है । यदि आज के दिन नहीं ढूँढ पायेंगे । तो फिर बाकी की परेड बाकी की सलामी सारी की सारी एक रस्म अदायगी बन कर रह जायेगी । आज मेरे देश के गरीब से गरीब मजदूर भाई अपनी झोपड़ी के उपर एक छोटा सा इण्ड़ा जरूर लगाता है यह सोचकर लगाता है कि यह झण्ड़ा किसी पार्टी का नहीं, किसी सरकार का नहीं यह किस ठेकेदार का नहीं यह झण्डा उन बहादुर शहीदों का है जिन्होंने अपनी जान हथेली में रखकर गोलियों का सामना करते–करते जब हम आजादी की लड़ाई हम लड़ रहे थे तो उन बहुादर जवानों ने इन भारत माँ के बेटों ने इस झण्डे को सरकारी दफ्तरों पर फैहराया था । पटना में चट्टान के उपर और भी देश के अलग–अलग हिस्सों में । हम देखते हैं उसकी यादगार को तो यह झण्डा बेस किमती है और इस झण्डे को कभी झूकने नहीं देना यह तिरंगा झण्डा हमारे गणतंत्र का प्रतीक है हमारी आजादी का प्रतिक है हमारे देश के 110 करोड लोगों की एकता हमारे देश की अखंडता का प्रतीक है तो गणतंत्र दिवस को जोश खरोस से मनाना चाहिए पहली बात तो यह की हम 26 जनवरी को झण्डा जरूर फैराये अपनी टूटी से टूटी झोपड़ी उपर और झोपड़ी भी न हो तो किसी पेड़ के उपर किसी खम्भे में जरूर फैराये यह बताने के लिए की हम इस आजादी के हकदार है । इस गणतंत्र के हकदार हैं और गणतंत्र का मतलब है कि आज के बाद जो तंत्र हैं वह गण का होगा अर्थात् आम आदमी का होगा किसान मजदूर का होगा मेहनत करने वालों का होगा । जब गण को हम चाहते हैं कि वह आगे बड़े संगठित हो और हुकूमत का मतलब हुआ । यह जमीन किसी की है यह जंगल किसके हैं । यह जल के

साधन किसके हैं इन सवाल पर हमारे देश के गण को अब फैसला करना होगा । यह किसी की सरकार के नहीं हो सकते किसी पार्टी के नहीं हो सकते किसी मंत्री मुख्यमंत्री के नहीं हो सकते यह गण के है । मेरे देश का संविधान यह बात साफ–साफ कर रहा है कि भारत का गणतंत्र भारत के निवासियों का गणतंत्र है। भारत के अन्दर रहने वाले तमाम हिन्दू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन वैद्ध सभी का बहुत और भोर का गणतंत्र है इसमें से कोई कम तक नहीं हैं । कोई एक उपर नहीं कोई एक नीचे नहीं सब बराबर हैं । हम और हमारा गणतंत्र हमें इस बात की इजाजत देता है की हम इस देश की धरती के लिए की हम इस देश की मट्टी के लिए इस देश के पेड़ पौधे इस देश के जल संसाधन, जंगल के संसाधन इन्हें हम अपना माने अपने अधिकार क्षेत्र में ले यदि हमें कोई इससे बेदखल करता है या किसी अन्य कारण से करता है तो हमें परेशान होना चाहिए । जब तके हमारी इजाजत न हो । गरीब से गरीब की इजाजत न हो तब तक बड़ी से बड़ी सरकार की हिम्मत नहीं पड़नी चाहिए की वह उस जमीन को बेदखल करके उसके हाथ से छीन ले तो गरीब से गरीब मेरे खेत मजदूर भाई है चाहे जंगल में रहने वाली आदिवासी भाई है तो में आज से कहना चाहूँगा की इस गणतंत्र को असली अर्थों में गणतंत्र बनाना है तो यह याद रखों की इस धरती पर सबसेपहले अधिकार आप का है । क्यों आप के भाईयों ने शाहदत दी कुर्बानियॉं ही गरीब के बच्चे लड़ते है मरते हैं । और तब जा कर कोई देश आजाद होता है और तब जाकर कोई देशा गणतंत्र बनता हे । अमीरों के मंत्री के अफसरों के बच्चे नहीं मरते, किसी लड़ाई के अन्दर, किसी संर्घा गणतंत्र बनता हे । अमीरों के, मंत्री के, अफसरों के, बच्चे नहीं मरते, किसी लड़ाई के अन्दर, किसी संघर्ष में तो यह देशा आप का है तो इसलिए आप को यह याद रखना चाहिए की इसके उपर आप का पूरा अधिकार है । दूसरी बात कहना चाहता हूँ । इसके साथ–साथ आज जब आतंकवाद सर उठा रही है । सीमा पार से पाकिस्तान की तरफ से या कहीं और से हमारे देश में घूसपैठ कर जवानों को मार रहे हैं । हमारे देश के बेगुनाह लोगों को मार रहे हैं । तो उस आतंकवाद से लड़ने की जिम्मेदारी केवल सेना व सरकार की नहीं होती हिन्दुस्तान के हर निवासी की है । हर उस इंसान की है जो हिन्दुस्तान को अपना देश मानता है । अपना राष्ट्र मानता है और इस गणतंत्र के लिए कुर्बान होने को तैयार है । उसे चाहिए की अतांकवाद से अपने देश की रक्षा करें हमारे खदान मजदूर जो पत्थर खनों में पत्थर तोड़ते हैं इन्हें भी आगे बढ़ कर सोचना चाहिए की आतंकवाद की लड़ाई में मैं क्या कर सकता हूँ । और छोटी सी बीटियॉं को सोचना चाहिए की मैं क्या कर सकती हूँ । यदि हम बारूछ का इस्तेमाल कर रहें हैं इस पत्थर की चट्टानो को तोड़ने के लिए कहीं ऐसा तो नहीं इस बारूछ को कोई बेच रहा हो काले बाजार में और कहीं वह पहुँच हर हो आतंकवादीयों के हाथों में । जिससे वह हमारे देश के संसद में या विधानसभा में किसी और सेना के कार्यालय में फेंक कर हमारे जवानों को मार रहें हैं । तो हमकों इसमें सावधानी खुद बरतनी पड़ेगी हमारे आस–पास कोई संदीग्ध कोई आदमी कोई झोपड़ी या मकान में रहता हो जिसके चाल–चलन में तौर तरीके से हमको शक हो रहा हो कि जरूर कोई विदेश का

जासूस होगा या कोई षणयंत्रकारी होगा । कोई किसी प्रकार की दहशत पैदा करने वाला है तो इसकी सूचना तुरन्त पुलिस को देनी चाहिए ।हमारे देश का संविधान बनाने वालो को सपना था की देश में बराबरी रहेंगी, समाज में समानता रहेगी न तो कोई जात–पॉत की गैर बराबरी होगी न आर्थिक और न किसी दूसरे प्रकार की तो आज के दिन हम सब लोगो को संकल्प लेना है की समजा की गैर–बराबरी को मिटा कर समानता की स्थापना के लिए प्रयास करेंगे । हमें संकल्प लेना चाहिए कि हम अपने देश में किसी को अनपढ़ नहीं रहने देंगे । यदि सरकार द्वारा सुविधायें नहीं मुहैया करवायी गई है तो अपने प्रयास करने चाहिए ।

आज के दिन मैं संदेश देना चाहत हूँ गरीब से गरीब मजदूर भाईयों को की आओं यह सन् 2002 का 52 वॉं गणतंत्र इसको हमें बड़े शानो–शौकत से मनाये और सिर उठा कर कहे कि हिन्दूस्तान हमारा है और जान से भी प्यारा है ।धन्यवाद सभी भाई और बहनों को ।

******

ऐपिसोड–73–प्रसारण तिथि – 27–01–2002

विषय – कृषक मजदूर

मजदरू – अरे–अरे देखो अपनी बात करने वाले महात्मा जी अपने गॉव की तरफ ही आ रहे हैं । स्वामी जी राम–राम ।

स्वामी जी – मजदूर भाईयों को हमारा राम, राम आप लोगों के क्या हाल है, आप लोगों का काम धन्धा कैसा चल रहा है, यह नया साल शुरू हो गया है, आपकी रवी की फसल की बुआई हो गयी होगी ।

मजदूर – स्वामी जी, रवि की फसल की तो बुआई हो गयी । स्वामी जी आप को पता है ही की खेती का काम तो सालभर चला करता है ।

स्वामी जी – ठीक है काम तो करते रहते हो पशु की तरह दिन रात, बैल की तरह कभी रूक कर सोचा काम तो करते रहते है दाम क्या मिल रहा है की नहीं ?

मजदूर – स्वामी जी लोगों को तो दाम वही मिल रहा है जो गॉव में रेट चल रहा है ।

स्वामी जी – क्या रेट चल रहा है ?

मजदूर – 25 रू0 और खुराकी जब ज्यादा काम होता है तब 25 के 30 मिल जाते हैं ।

स्वामी जी – यह तो कोई बात बनी नहीं देश की आजादी को हो गये 55 साल और अगर आप लोग कों यही नहीं पता की खेत में काम करने वाले खेत मजदूर को कम से कम कितना मिलना चाहिए ? कानून क्या कहते हैं ? सरकार क्या कहती हैं ? आप लोग जैसे औरत मर्द करके वह क्या कहते है ? बैलों की तरह काम करते रहते हैं ।

पहला मजदूर – स्वामी जी, हम लोग पढ़े लिखें तो है नहीं आप ही कुछ बताये ।

दूसारा मजदूर – हम लोग तो वही रेट ले लेते हैं जो हमारे गॉव के लम्बरदार सहाब बता देते हैं ।

स्वामी जी – वही मान लेते हो आप लोग जिन्दगी भर कर्ज में पड़े रहते हो और बंधुआ मजदूरी करते रहते हो । और जब मर जाते हो काम करते तो अपने बच्चों के लिए कर्ज छोड़ जाते हो ।

मजदूर – स्वामी जी, आप ही बताये की हम क्या करें यह मोह फॉस से कैस निकले ?

स्वामी जी – हम आप को बता रहे, कितने दिन से बता रहे है कि आप लोग संगठित हो, यूनियन बनाये कोई संगठन बनायें । कानून का पता लगाये, मजदूरी क्या है ? इसका पता लगाये, कब तक हम बताते रहेंगे ? बार–बार आप लोग पूछते रहेगे की क्या करे देखो यह मजदूरवाणी प्रोग्राम खास करके आप ही लोगों के लिए ही चलाया जा रहा है । हिन्दुस्तान में 35 करोड़ मजदूर हैं जो खेतों में काम करते हैं, खदानों में, ईट भट्ठों, उद्योगों में काम कर रहे हैं जो फैले हुए कम पढ़े–लिखे हैं उनका कोई यूनियन नहीं है उनको कोई संगठन नहीं है, और इसलिए धक्के रखा रहे हो । हम चाहते है मजदूरों के कानो तक यह मजदूरवाणी की आवाज पहुॅचनी चाहिये ।

मजदूर – स्वामी जी पिछली बार आपने ईट भट्टों के काम करने वाले मजदूरों की मजदूरी बतायी थी हम लोगों के भी मजदूरी बताईये ।

स्वामी जी – अच्छा पिछली बार आप ने ईट भट्ठों मजदूरों की मजदूरी सुन ली थी ।

मजदूर – हाँ स्वामी जी, हम लोग तो आप के कार्यक्रम का इंतजार किया करते हैं और हर बार सुनते हैं ।

मजदूर – हम पिछली बार पूरा रेट लिखा था और हम तो यहीं चाहते थे की आप हम लोगों को भी रेट बताये ।

स्वामी जी – हाँ हम आप लोगों के भी रेट बतायेंगे इसके पहले आप लोगों को एक अच्छी बात बताता हूँ उस दिन मैनें फोन न0 भी बताया था । रेड़ियों में अपनी बात सुना दी शाम को धरा–धर फोन आने लगे देश के हर कोने से मजदूरों के फोन आने लगें कोई राजस्थान से, कोई हरियाणा से ।

मजदूर – हाँ स्वामी जी, हमने भी फोन न0 लिखा था ।

स्वामी जी – देखों आप लोग हमें इस तरह फोन करोगें तो हम परेशान हो जायेंगे । फोन तो संकट के समय किया करो और मैं चाहता हूँ कि आप लोग अपने अधिकारों को समझों ।

मजदूर – स्वामी जी, आप बताओं हमारे गाँव के बगल में भट्ठा है वहाँ मजदूरी बहुत कम मिलती है। आप ने उसे दुगनी मजदूरी बता दी । उस भट्ठा के मजदूरों ने ठेकेदार को घेर लिया ।

स्वामी जी – यह तो अच्छी बात है कि आप लोगों ने अपने लिए आवाज तो उठाई, यह सब काम यूनियन बना कर करो, देखो एक बात याद रखें हिंसा नहीं होनी चाहिए । देखों जो सब बाते हम बता रहे हैं वह शांतिपूर्ण संघर्ष के लिए हो । एक ऐसे तरीके के लिए हैं जिसमें हम किसी का घर नहीं चलायेगें न हम किसी को मारेगें पीटेगें हम संगठित होकर के शांति तरीके से संघर्ष करेगें । हिंसा का कोई तरीका नहीं अपनायेगें यह ध्यान रखो कहीं ऐसा न करना की किसी ठेकेदार या मालिक को घेर लो और उसके साथ मारपीट करने लगो ।

मजदूर – नहीं–नहीं, स्वामी जी हम लोग यह सब कैसे करेगें हमारे तो यह सब गाँव घर के ही लोग है ।

स्वामी जी – मैं आज जो भीड़ में खेत मजदूर बैठे हैं । मैं उनके बारे में आज बताता हूँ । इनको कम से कम कितना मिलना चाहिए । जो दिल्ली या आस–पास जो बड़े शहरों के आस–पास खेतों में काम कर रहे हैं उनके लिए में बता रहा हूँ बुआई, जुताई, कटाई, इस तरह के काम करता है जो अनपढ़ है अकुशल है उसको तो मिलना चाहिए प्रतिदिन आठ घंटे की मजदूरी 92 रू0 है ।

मजदूर– स्वामी जी, 92 रू0 हम लोग बैल के तरह सारा दिन काम करते है । हम लोगों को तो 25–30 रू0 मिलता है ।

स्वामी जी– 90 और 92 और 71 पैसे यानि 93 रू0 जो बड़े शहरों के आस–पास काम कर रहे हैं उनको मिलना चाहिए और जो थोड़े से कुशल हैं उनका है 102 रू0 और उससे भी कुछ ज्यादा कुशल हो तो उसको मिलना चाहिए 112 रू0 80 पैसे और उससे भी ज्यादा कुशल है उसको भी मिलना चाहिए । 124 रू0 61 पैसे यह सरकार ने तय किये हैं मैने नहीं तय किये यदि कोई न दे तो आप कहें की जाओ सरकार के पास हम तो कुछ अपने तरह से मॉग नहीं रहें हम तो वह मॉग रहे हैं जो सरकार ने तय किये हैं । केन्द्र की सरकार भारत की सरकार यह रेट तय करके आप लोगों को बता रही है । यह रेट कम से कम मिलना चाहिए तो यह रेट लेने का हक भी आप लोगों का बनता है ।

मजदूर – अधिकार तो बनता है । पर यह अधिकार कैसे लेगें ?

स्वामी जी – मैं हर बार बताता हूँ देखो एक बात मैं और बताता हूँ पिछले से पिछले बार रेट बताने में हमसे कुछ गलती हो गयी थी मैं कुछ गलत रेट बता गया था इसके लिए हम माफी चाहते हैं । जो ईट–भट्ठे वालों का बताया था तो वह ठीक था, खदान मजदूरों का रेट बताने में कुछ गलती हो गयी । जो बड़ा पत्थर है ।

3 इंच से बड़े का – 216.36 रू0

5 इंच से बड़े का – 263.67 रू0

3.00 इंच से 1.5 इंच का – 451.82

1.0 इंच से 1.50 इंच का – 528.34

यह रेट 200घन फूट के हैं इस पैसे में मजदूरी से न कोई पैसे कटे, न होल का, न बढ़ती का, न ही किसी चीज का ।

मजदूर – स्वामी जी, आपने हमारी ऑखें खोल दी अब हम अपने अधिकार ले कर रहेगें ।

स्वामी जी – बहुत अच्छी बात आप अपने अधिकार का पाये ।

मजदूर – हम कहेगें,

कमाने वाला खायेगा ।

खाने वाला जायेगा ।

नया जमाना आयेगा ।

*****

ऐपिसोड–74, प्रसारण तिथि – 10–02–2002

विषय :– गुरूकुल इन्द्रप्रस्थ

स्वामी जी : एक दिन बाद नया साल शुरू होगा सन् 2002 और इस सन् 2002 की नयी सुबह और उसकी पहली किरण से क्या मजदूर की जिंदगी में क्या नया सवेरा आयेगा इन्तजार है उस नये सवेरे का उन 35 करोड़ असंगठित मजदूरों को जब यह नया साल मनाया जायेगा तब अमीर लोग इकट्ठे होंगे 31 दिसम्बर की रात 12 बजे खुशियॉं मनायेंगे और शराब की प्यालीयों पर थिरकेंगे और फाईव स्टार होटल में लाखों रूपये लटायेंगे यह सोच कर की उनकी शायद हर शाम इसी तरह रंगीन हो । लेकिन जिस समय नये साल हमारे देश के यह सब धनाडय लोग नये–नये अमीर को लोग एक शाम, एक रात के लिए लाखों लूटा रहे होंगे ठीक, ठीक उसी समय ठिठुरती सर्दी में सड़क फूटपात में सब खलियान में हमारे देश जाने कितने लोग सर्दी के कारण दम तोड़ रहे होंगे शरीर में कपड़ा नहीं होगा उसके सिर पर छत नहीं होगी उनके पेट में अनाज के कुछ दाने नहीं होगें जिससे उनके पेट में कुछ गर्मी रह सके यह है एक दर्द भरा दास्तान जिसे हम हर साल देखते है । 55 साल हो गये इस मुल्क को आजाद हुए इसके बावजूद किसी के मन में यह संवेदना यह सवाल नहीं उठता एक तरफ अमीर इतने अमीर की एक शाम एक रात की खुशिया मनाने के लिए हजारों लाखों रूपये उड़ा दे दूसरी तरह लाखों लोगों को सिर छूपाने के लिए जगह नहीं तन ढकने के लिए कपडत्र नहीं पेट भरने के लिए रोटी नहीं यह आखिर कब तक चलेगा इस मुल्क में कब खून खौलेगा इस देश की गरीब मेहनतकश जनता का कब होगा । यह परिवर्तन कब होगा इंकलाब इस सवाल को उठाना चाहता है । बंधुआ मुक्ति मोर्चा और आज हम चाहते है अपने मजदूर भाइयों से की इस पर काफी खुल कर के कुछ चर्चा होनी चाहिए । आप मजदूर भाईयों से कहना चाहता हूँ की आप कब तक इसको सहते रहेंगे कब तक इसको बदार्शत करते रहेंगे चुपचाप ।

मजदूरः स्वामी जी, हम लोग क्या करे हम लोग कुछ पढ़े लिखे तो है नहीं स्वामी जी आप देखें अब नया साल आ गया । हम लोग गरीब के गरीब ही बने है हम लोगों के जीवन में जानपे कब सुबेरा हुई । हम लोगों की पढ़ाई लिखाई तो है नहीं हम लोग कैसे इस शोषण इस अन्याय के लिखाफ लड़ाई लड़े ।

स्वामी जीः लेकिन आप लोगों के लिए पढ़ाइ लिखाई के लिए सरकार ने स्कूल के लिए इंतजाम कर भी दिया तो आप लोग पहली दूसरी तीसरी, और दस साल पढ़ाई आप ने कर भी ली मान लिजिए । एक मिनट के लिए पढ़ाई करनी भी चाहिए मैं इसको बुरा नहीं कहता यदि आप ने मैट्रिक भी पास कर लिया तो आप को पता है की आप का क्या होगा । आप को पता है ।

मजदूरः स्वामी जी, हमें तो याद है । की हम लड़कई में हमार बापू स्कूल तो भेजन दूर तक उसके बाद ठेकेदार साहेब के साथ में काम पे लगा दिया उसके बाद से आज तक मजदूरी कर रहे हैं ।

स्वामी जी : इसका मतलब हुआ पढ़ाई बीच में पढ़ाई छूट गयी और आप लग गये मजदूरी में यह जो हो रहा है । हमारे देश के बच्चों के साथ यह बड़ा मजाक है । इस आजादी के 55 सालों में हमारे गरीब भाईयों के बच्चे स्कूल का मुहॅ नहीं देख पाते अगर स्कूल में जाते भी हैं तो पहली, दूसरी के बाद स्कूल छूट जाता है । बाल मजदूरी के चक्कर में पड़ जाते हैं ।

मजदूरः स्वामी जी, हम लोगन के साथ यह मजबूरी है हम लोगन के कमाइ है तो सीमित है जा दिन काम धन्धा मिली उई दिन रोटी मिलव मुश्किल है, आये दिन काम मिलत है । आधे दिन काम नहीं मिलता है । हम लोग यह मानत है कि जितने लड़का है उतने हाथ कमाये वाले है ।

स्वामी जी देखो मजदूर भाईयों आज हम आप लोगों को नई बात बताना चाहते है । वह नइ बात है कि आप तमाम गरीब से गरीब बच्चे चाहे वह कोई आदिवासी है कोई दलित है कोई मर्द है कोई औरत है । कल से नया साल शुरू होने जा रहा है इस नये साल में नई बात बता रहे हैं ।

मजदूर हॉ स्वामी जी, जहॉ हम काम करते हैं उन सब लोग कहते रहे कि परसो से नया साल शुरू हो रहा है ।

स्वामी जी कल या परसो नया साल शुरू हो रहा है । इस नये साल में आप का नया सवेरा कैसे हो इसके लिए मैं आज नहीं बात बताना चाहता हूँ ।

मजदूर जी स्वामी जी बताओ ।

स्वामी जी बात ऐसी है कि आप लोग तो अब बुढ़े होते जा रहे है । अब थोड़े दिन में इस दुनिया से चले जाओगें । लेकिन कम से कम आने वाली पीढ़ी के लिए नया सवेरा लाने के लिए काम करें । और वह ऐसे होगा कि उन बच्चों को जिनकी उम्र आज 14, 14 साल हो गई है । उनकी पढ़ाई नहीं हुई आज वह कहीं मजदूरी कर रहे हैं या इधर–उधर घूम रहे हैं । अवारागर्दी कर ऐसे बच्चों को हमारे हवाले कीजिए हम उनके लिए यहॉ दिल्ली के पास और देश के अन्य हिस्सों में इनके लिए नये किस्म का स्कूल चला रहे हैं ।

मजदूर जी, स्वामी जी, यह तो हम लोग का मालूम ही नहीं रहा ।

स्वामी जी मालूम नहीं है तो सुनो ! मैं यह बता रहा हूँ की कोई सरकारी या प्राइवेट स्कूल जहॉ दूसरी तीसरी पढ़ाई।

मजदूर बहुत पैसा लगता है ।

स्वामी जी बहुत पैसा भी लगता है और पढ़ाई में, इसके बावजूद भी आप लोग अपना पेट काट करके बच्चों की पढ़ाई करवाते है तो बनता कुछ नहीं है उसमें बच्चे काम सीख नहीं पाते ।

आठ–दस साल लग जाते हैं । पढ़ाई में बच्चे कुछ काम नहीं सीख पाते इसी को दूर करने के लिए हमने एक दयानंद शिल्प विद्यालय महर्षि दयानन्द के नाम से जो आर्य समाज के संस्थापक थे ।

मजदूर बढ़ा नाम सुना है ।

स्वामी जी उन्होनें जातॅ–पॉंत मिटाने के लिए काम किया विधवा विवाह कराने के लिए किया औरतों बच्चों को पढ़ाने के लिए किया तो हमकों बड़ी प्रेरणा मिली तो उनके नाम पर हमने एक विद्यालय खोला है । यहॉं दिल्ली के पास गुरूकुल इन्द्रप्रस्थ के पास यहॉं पर केवल एक साल के लिए लेते हैं और उनकी पढ़ाई कार्य में कोई फीस नहीं ।

मजदूर एक भी पैसे नहीं ।

स्वामी जी हो एक भी पैसे नहीं, एक भी पैसा हम बच्चों से नहीं लेंगे हम 14–15 साल के लड़के हो तो उनके लिए हमने पूरा इंतजाम किया है । उनके लिए कपड़े फ्री, दाल–रोटी फ्री, रजाई गद्दा फ्री सब फ्री उनको वहॉं रहना होगा उनको सुबह 4–5 बजे जगना सुबह व्यायाम, योग, ध्यान करे नाश्ता करके नौ–बजे अपना काम शुरू करेंगे । नौ बजे से लेकर एक बजे तक वह चार–पॉंच तरीके का काम करेगें । एक तो है लकड़ी का काम, सिलाई का काम कुछ बच्चे बिजली का काम कुछ बच्चे ऐसे है जो मैट्रिक पास है उनको कम्प्यूटर की ट्रेनिग देते हैं । इस दयानन्द विद्यालय में एक नये किस्म का प्रयोग किया जा रहा है ।

मजदूर स्वामी जी, इसमें दाखिला कैसे मिलेगा ।

स्वामी जी आप को दाखिला नही मिलेगा । आप के बच्चों को मिलेगा आप को इस बुढ़ापे में दाखिला देकर आप को मुश्किल में न डालेंगे ।

मजदूर हमारे बच्चन को ।

स्वामी जी आप लोग अपने–अपने बच्चों का नाम हमें देना शुरू कीजिए एक सितम्बर से नया सत्र शुरू होगा । तब तक आप लोग हमें 40 बच्चे दीजिए देश के किसी भी कौने के हो हम उनके आने–जाने का देंगे कपड़े देगें सब चीज बढ़िया इंतजाम है खाने–पीने का । हम एक साल के ट्रेनिंग देकर इस लायक बना देते है की वह रोज के सौ–दौसौ कमा लेते हैं। आप लोग इतनी मेहनत करते है दिनभर मेहनत मजदूरी करते हैं इसके बावजूद गुजारा नहीं हो पा रहा है । आप लोगों के बच्चों के साथ ऐसा न हों ।

मजदूर आप हम लोगन का अपने कार्यालय का पता बता दो जिससे हम लोग अपने बच्चे आप के यहॉं तक पहुँचा सकें ।

स्वामी जी आप लोग मेरा पता जानते ही हैं पर फिर भी हम बता देते हैं । बंधुआ मुक्ति मोर्चा, 7 जन्तर मन्तर रोड, नई दिल्ली । यहॉं चिट्ठी भेजों बच्चे का नाम लिख कर या फिर इन्द्रप्रस्थ गुरूकुल फरीदाबाद के पास वहॉं सारा इंतजाम है । हम हर साल 40 बच्चे लेते है । और सालभर में ही आप के बच्चों को इस काबिल बना देंगे की वह सौ दौ सौ रोज

कमा सके यदि साल भर की ट्रेनिंग के बाद भी उनको अगर अपना कोई धन्धा शुरू कराना है । उनके पास औजार के लिए पैसा नहीं है तो हम उनको बैंक से कर्ज भी दिलवा देंगे सस्ते के सस्ते में ।

मजदूर यह तो आप ने ऐसी स्कीम बताई की हमार लड़का बच्चा पढ़ा लिखिये और खुब आराम का जीवन बिताईये और साहिब का जीवन जीये ।

स्वामी जी एकदम साहिबी का क्या एकदम स्वाभीमान का मैं साहिबी नहीं कहूँगा स्वाभीमान से जीयेंगे और सिंर उॅचा उठा कर जीयेंगे और आप लोगों पीढ़ी में एक नया परिवर्तन एक नया सवेरा जो सही अर्थ में आप लोगों के जीवन का एक नया सवेरा आना शुरू होगा । अब आप लोगों ने लड़के के लिए सुन लिया अब आप कहेंगें की लड़कियों के लिए क्या है?

मजदूर स्वामी जी, हम लोग की बिटिया के लिए क्या कुछ व्यवस्था है ।

स्वामी जी हॉ बिटिया का उनके लिए तो सबसे खास है, आर्य समाज उनके लिए बहुत सोचता है । लड़को से भी ज्यादा लड़कियों के लिए आर्य समाज सोचता है । हमने उनके लिए भी सेंटर खोले है । राजस्थान में अलवर जिले में बहरोड के पास गॉव में दो बढ़ीया सेंटर चल रहे हैं यहॉ दिल्ली में ईस्ट ऑफ कैलाश में हमारा सेंटर चल रहा है । यहॉ सिलाई, कटाई, ब्यूटिशियन का गढ़ी गॉव में हमारा बंधुआ मुक्ति मोर्चा का सेंटर चल रहा है ।

मजदूर स्वामी जी हम लोगन की बीटिया पढ़ी तो है नहीं सिर्फ–तीन कक्षा तक पढ़ी हैं ।

स्वामी जी बस इतना ही काफी है ।

मजदूर तो क्या इतनी कम पढ़ाई में आपके यहॉ बीटियन का ट्रेनिंग मिल पाई ।

स्वामी जी देखो । हम जब ट्रेनिग देते है तो काम तो सिखाते ही सिखाते है थोड़ा पढ़ना लिखना भी सिखाते है । रोज दो धण्टे लड़किया लड़के अलग जगह में बैठ कर पढ़ना लिखना भी सीखते हैं । गीत गाना, नाटक करना, बोलना चालना । कुछ सीखाते है । आगे चल कर वह अपने गॉव में अपनी बिरादरी में लौटे तो वह अपने बूढ़े और अपने साथ वालों को बताये की कब तक इस तरह सड़ते रहोगें चलो उठो, उनके अन्दर जरा जोश भरे । वह बच्चे आगे चल कर हमारे लीडर बनेगें । हमारे देश के जो गरीब बच्चे हैं जो आदिवासी दलित बच्चे हैं । ऐसे बच्चे जो ट्रेनिग कर के लगे हैं उनसे मिलोगें तो लगेगा की उनके जीवन में नया सवेरा आ गया ।

मजदूर स्वामी जी, हम लोगन के बच्चे की जिंदगी को आप सुधार रहे हैं । हमें तो लगता है कि आप हमारे लिए भगवान का अवतार है ।

स्वामी जी नहीं यह एकदम गलत बात है । मैं कोई भगवान नहीं हूँ । मैं तो आप लोगा का मित्र हूँ और हम लोग मिल कर इन योजनाओं को पूरे देश में लागू करायेंगे । इसके लिए आप लोगों के सहयोग की जरूरत है । बंधुआ मुक्ति मोर्चा का मतलब है आर्य समाज का मतलब है हमारे साथ जितने लोग हमारे साथ काम कर रहे हैं सबका मकसद है कि जो

मजदूरों को संगठित करें वह पूरे देश में गूंजे ताकी इसके बाद जब नया साल आये तो अमीर जादे है खुशीयॉं न मनाये गरीब से गरीब मजदूर भी नये साल में खुशीयॉं मनाये और आप लोगों के जीवन में सही मायने में नया सवेरा हो ।

मजदूर स्वामी जी, आप को नये साल की बहुत बधाई ।

स्वामी जी आप सभी मजदूर भाईयों को भी नया साल मुबारक हो ।

.....

ऐपिसोड़ –75 प्रसारण तिथि– 10–02–2002

विषय :– कंपनसेशन अधिनियम 1923 के बारे में जानकारी

(सांझ ढ़ल रही है । चिड़ियों की चुनचुनाहट । एक बच्ची रो रही है ।)

बिमलीः पारो बहन ! ए पारो बहन ! का सोच रही हो । देखो तुम्हारी बचिया कितना रो रही हैं । चुप काहे नहीं कराती ये बचिया को ।

पारोः कैसे चुप करॉए ..... बोलो..... कहॉ से लाएँ दूध । जब तक इसका बप्पा नहीं आता तब तक तो कोई उपया नहीं है ।

बिमलीः गजब बात कहती हो । अरे घर में दूध नहीं है तो का हुआ । मैया हो तुम इसकी । बच्चा को चुप कराओ ।

पारोः मर्दाना कमाने वाला था ..... वो भी सहारा छूट गया ..... इस हालत में बच्चे को कैसे पालूँ ।

बिमलीः बहुत दुख है रे ..... जुगेसर भैया का हाथ कटा सब चला गया ..... पारो तू चिन्ता मत कर..... हम इसके लिए अपने घर से दूध ले आते हैं । तब तक इसको गौद में ले लो ।

पारोः अरे चुप हो जा ..... बिमली दूध लेने गयी है ।

बिमलीः ले पारो..... इसको दूध पिला दो । तेरे लिए भी कुछ जुगाड़ कर दें तू भी तो भूखी है ।

पारो : बिमली तू लक्ष्मी है । भगवान से यहीं कहेंगे कि तेरी जैसी सहेली सबको हो । भूख तो इसके बप्पा को भी लगी होगी । एक गिलास पानी पीकर गया है । दवाईया सब भी खत्म हो गया था ।

जुगेसरः कुछो नहीं होगा..... अब का होगा ..... जो होना था सो तो हो गया..... अब हम कोनो काम के रह गए हैं का ?

बिमलीः जुगेसर भैया ! आप ऐसा मत बोलो..... आप हिम्मत हार जाओगे पारो का क्या होगा ।

जुगेसरः जब करम फूटता है तो ऐसी ही बोली निकलती है । बिमली बहन ..... का थे और का हो गए ? अब जीवन कैसे चलेगा ?

बिमलीः जुगेसर भैया ! आप बहुत अनाप–शनाप सोचते हैं । भगवान आपका बॉया हाथ लिया है । दाहिना तो है, हुनर है कुछ खराब नहीं होगा ।

जुगेसरः बिमली बहन ! तुम औरत नहीं सोचती हो न..... अरे हमको जो आज काम देना तो रहम करके देगा । आज साइट पर गए थे सोचे कि ठेकेदार बाबे को बोलेंगे कि कुछ दूसरा ही काम दे दो । बीस महला मकान बन रहा है, बहुत काम है पर जानती हो का हुआ। ठेकेदार बाबू दूई पॉचगो रू0 हाथ पर रख दिया भीख हाथ करने का भीख हम रोने लगा कुछ नहीं बोल पाए चुप्प रह गए ।

पारोः नहीं चाहिए हमका किसी की भीख । तू चिन्ता मत कर अब हम काम करेंगे । तू कल से कहीं मत जाईयो।

बिमलीः अरे जुगेसर भैया ! एको बात पूछना था आपसे ? हमारे मुन्ना के बापू कह रहे थे कि जुगेसर भाई को तो मुआवजा देना चाहिए था ठेकेदार को । इनके साइट पर भी एको आदमी का टॉग टूट गया थ तो ठेकेदार उसका पूरा ईलाज कराया और पैसा भी दिया ।

चंदूः हॉ जुगेसर ओ उड़ीसा का लेबर था । काम करते समय टॉग टूट गया था । तब उसका ईलाज कराने का सारा पैसा ठेकेदार ने दिया था ।

पारोः चंदू भैया ! इनका भी तो हाथ टूटा डाक्टर हाथ काट दिया । कहॉ एक्को पैसा न दिया । आपतकाल में भर्ती करके भाग गया ।

चंदूः यही तो हम कह रहे हैं हमारे यहॉं एको नेता ही आए थे, वहीं उस लेबर को स्वामी लेकर पता नहीं कहा गए । उसको तो सारा खर्चा और मुआवजा भी दिया ।

बिमलीः लेकिन जुगेसर भैया को पैसा कहॉं दिया ।

जेतरामः ओ जुगेसर भाई भीतरे हो का?

जुगेसरः हॉ हो, जेतराम भाई आओ न भीतरे आ जाओ न !

जेतरामः ना भाई तुम बहार आओ । हमारे साथ एको आदमी है भाई ये सुहैब जी है बंधुआ मुक्ति मोर्चा, स्वामी अग्निवेश जी के कार्यकर्ता है । इनको तुम अपनी सारी बात बताओ । ये तुम्हारी मदद करेंगे ।

जुगेसरः परनाम भाई !

सुहैबः परनाम ! ई आपका हाथ कैसे कट गया ?

जुगेसरः दिन खराब, करम खराब का करते पचमहला पर छज्जा ढ़लाई से पहले लोहा बांध रहे थे हाथ टूट गया वहीं से नीचे गिर गए । डाक्टर ने हाथ काट दिया ।

जेतरामः सुहैब भाई, जुगेसर को तो खर्चा भी नहीं दिया । बच्चा भूख से तड़प रहा है । घर में खाने के लिए भी कुछ नहीं है ।

बिमलीः ऐसे ठेकेदार को तो सूली पर चड़ा देना चाहिए ।

सुहैबः ना बहन । गुस्सा नहीं देखिए हम तो कार्यकर्ता है बंधुआ मुक्ति मोर्चा के असली तो स्वामी जी है । मैं तुम्हें स्वामी जी के पास ले चलता हूँ ।

बिलमीः हम सभी जायेंगे ?

सुहैबः स्वामी जी नमस्ते ।

स्वामी जीः अरे आओ ..... आओ सुहैब आप लोग भी आओ भगवान ।

सुहैबः स्वामी जी ! इ लोग न्याय के लिए आये है । बोलो जुगेसर भाई बताओ स्वामी जी को ।

पारोः हम बोलेंगे हमरे ई आदमी हैं स्वामी जी लुल्हा बना दिया है । इनको बेकाम कर दिया है ।

स्वामी जीः बहन ! तुम्हारे पति के साथ किसने किया यह सब । पूरी बात तो बताओ ।

बिमलीः पारो बहन, बोलने दो जुगेसर भाई को स्वामी जी को सारी बात पता होने दो ।

जुगेसरः स्वामी जी हम सड़िया बांधने का काम करते हैं । छत की ढलाई से पहले जब से मकान में लोहे का काम शुरू होता है तब से । एक दिन हम छज्जा के लिए दंडे बाधं रहे थे तो हाथ छूट गया और हम गिर गए । डाक्टर ने हाथ काट दिया । हम तो अपंग हो गए स्वामी जी ।

स्वामी जीः यह घटना तो काम करते हुए आपके साथ घटी है । आपको तो मुआवजा मिलना ही चाहिए । सरकार ने वर्क मैन कंपनसेशन अधिनियम 1923 के अनुसार मालिक की यह जिम्मेवारी तय है की वह दुर्घटना में मर गए या विकलांग हुए मजदूरों को आर्थिक रूप में मुआवजा दे ।

जुगेसरः स्वामी जी हम तो दाने–दाने के मोहताज हो गए हैं । दो दिन से कुछ खाए नहीं मुआवजा क्या होता है नहीं जानते आज गए तो ठेकेदार ने पॉच रूपया दिया ।

स्वामी जीः ठेकेदार अपराध कर रहा है । वह जानता है कि श्रमिक गरीब व अनपढ़ हैं । यही वजह है कि वह शोषण करने लगता है । पर, आपको मुआवजा मिलेगा ।

चेतरामः स्वामी जी जुगेसर को मुआवजा मिल जाए तो बेचारा का भला होगा ।

स्वामी जीः देखो कानून यह कहती है किजब किसी कामगार को दुर्घटना के कारण क्षति होती है तो उसे या उस पर आश्रित रहने वालों को मुआवजा मिलेगा । अब जुगेसर को देखो । यह अब सड़िया वहीं बांध पायेगा । इस तिथि में 24000 अथवा जितना जुगेसर को मासिक वेतन मिलता था के आधार पर मुआवजा मिलेगा ।

बिमलीः स्वामी जी अगर ठेकेदार मुआवजा देने से मना कर दिया तो ?

स्वामी जीः जुगेसर घटना वाले दिन शराब पिया था ? मना करने के बाद काम कर रहा था? घटना से बचने के लिए लगाये गये नियमों को तोड़ा था ?

जुगेसरः नहीं हम तो इ सब नहीं किए थे । शराब नहीं पीते हैं ।

स्वामी जीः तब मुआवजा कोई नहीं रोक सकता ।

सुहैबः पर स्वामी जी! जुगेसर तो ठेकेदार के साथ काम करता है । इसे मुआवजा कौन देगा ?

स्वामी जीः देखो सुहैब कानून कहती है कि यह आदमी जो लेबर को काम पर रखता है मालिक है । पर अगर मालिक कोई और हो और वह ठेकेदार के मार्फत मजदूर को काम पर ले तो

मुआवजा मूल मालिक ही देगा । और मुआवजा ठेकेदार द्वारा कहा गया मासिक वेतन पर निर्धारित होगा । समझे

पारोः स्वामी जी ई सब तो समझ गए पर हमको भूख से मरने से बचाईये ?

स्वामी जीः बहन तुम घबराओ नहीं । मुआवजा के लिए कमिशनर नियुक्त हैं । उनके यहॉ एक प्रार्थना पत्र देना होगा या फिर उनके सामने हाजिर हो जाना होगा । वे सारी बातों को जॉच कर मुआवजा दिलायेंगे ।

जुगेसरः स्वामी जी! हम कतहु नहीं जायेंगे आपका पॉव पकड़ते हैं आप ही हमारे लिए यह काम कर दीजिए ।

स्वामी जीः अरे अरे तुम हमारे भाई हो हम तुम्हारे लिए अवश्य चलेंगे । तुम घबराओ नहीं । मैं कल ही तुम्हें लेकर कमिश्नर के यहॉ जाउॅगा तुम्हे मुआवजा दिलावाउॅगा । यह थोड़े पैसे लो खाना व दवाई खरीद लेना ।

सभी श्रोता भी याद कर लें कि कोई भी व्यक्ति घटना के दो साल के भीतर मुआवजा के लिए दावा कर सकते हैं । पर इसके लिए आयुक्त को सूचना देनी होगी । वैसे आप हमें भी अपनी इन्हीं समस्याओं के बारे में पत्र द्वारा सूचित कर सकते है ।

******

ऐपिसोड– 76– प्रसारण तिथि–17–02–2002

बाल मजदूरी और उसके उन्मूलन पर विचार

स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति डा0 राजेन्द्र प्रसाद ने कहा था – ''बच्चे राष्ट्र् की बहुमूल्य सम्पत्ति हैं और कोई भी जागरूक राष्ट्र् बाल कल्याण जैसे महत्वपूर्ण प्रश्न को केवल घरेलू देख भाल के उपर ही छोड़ नहीं सकता । बच्चों का जीवन स्तर सुधरे और यहॉ तक कि निर्धन से निर्धन लोगों के बच्चों की भी आवश्यकता पड़ने पर राज्य की सहायता से देख भाल की जाये । ताकि स्वस्थ एवं सुनियोजित स्थितियों में उनके विकास को सुनिश्चित बनाया जा सके । इसे देखना हमारे समाज का कर्तव्य है ।''

इसी पृष्ठ भूमि पर आधारित है हमारा आज का अंक ।

संगीत .....

स्वामी जी – राम–राम भाईयों, नमस्कार, सलाम ।

मजदूर – राम–राम स्वामी जी, आप की बड़ी उम्र है स्वामी जी ।

स्वामी जी – अरि क्यों भाई ऐसी क्या बात है ?

मजदूर – हमार ई लड़कवा सयाना हो गया है, अब हम कहते है कि नमक तेल में हमारा हाथ बटाओं ? तो ईधर उधर चल देता है, इसकी मॉ बोलती है छोड़ो हटाओं अभी बच्चा है ।

स्वामी जी – ठीक तो है, उसकी मॉ ठीक कह रही है, अभी तो उसके स्कूल जाने की उम्र है उसको पढ़ने भेजों ।

पहला मजदूर – अरे, उसमें भी तो खर्चा है । हम सोच रहे थे कुछ काम धाम कर ले । मगर –दवाई बांटने वाली मैडम जी बोल रही थी कि बच्चों से काम कराओंगे तो बंद हो जाओगे । आखिर ई का बात है ?

दूसरा मजदूर – यही बात जाने खातिर हम लोग आप को याद कर रहे थे ।

स्वामी जी – बिल्कूल सही बात है, जिन बच्चों को स्कूल भेजना चाहिए उनसे नौकरी करवाना अपराध और पाप भी है ।

मजदूर – स्वामी जी, हम तो हर जगह देखते हैं बच्चा लोग काम करते हैं । ताला चाभी के काम में, भांडे, बर्तन बनाने के धंधा में, आप के खुर्जा में कप प्लेट के काम में, कालीन में, दिया सलाई के काम में, और होटल, ढाबा में तो आम बात है ।

स्वामी जी – अगर ऐसा है तो बहुत गलत बात है ।

मजदूर – ई बाल मजदूरी क्या हे स्वामी जी, बताओ तो सही ।

स्वामी जी – देखो भाई ! परम्परागत रूप से बाल मजदूर 5 से 14 वर्ष आयु का वह बच्चा होता है जो काम करता है ।

राष्ट्रीय श्रम संगठन (आई0एल0ओ0) के अनुसार – बाल श्रमिकों में वे बच्चे शामिल है जो व्यस्क की तरह जीवन जीते हैं । लम्बे घंटों तक कम मजदूरी पर काम करते हैं कभी–कभी वे अपने परिवार से अलग रहते हैं । शिक्षा एवं प्रशिक्षण के अभाव में अपने अच्छे भविष्य से वंचित हो जाते हैं ।''

मजदूर – स्वामी जी, अइसे देखने से पता नाहीं चलता कि बच्चे इतना मेहनत करते हैं । असल बात क्या है?

स्वामी जी – देखो भाई – यूनीसेफ जो एक संस्था है उसके मुताबिक –

1. बच्चों को कच्ची उम्र में काम करना पड़ता हैं । यह ज्यादातर विकासशील देशों में पाये जाते हैं ।
2. बच्चे 12 से 16 घंटे तक काम करते हैं । इससे भी अधिक तुम लोगों को पता नहीं चलता ।
3. बाल मजदूर खतरनाक परिस्थितियों में सड़क पर रोजगार करता है जिससे शारीरिक मानसिक और मनोवैज्ञानिक दबाव का शिकार हो जाता है ।
4. इनको बहुत कम मजदूरी मिलती है ।

मजदूर – स्वामी जी, यह सब रोके के लिए सरकारी कानून है क्या ?

स्वामी जी – हॉं भाई आज से 120–121 साल पहले 1881 में कारखाना अधिनियम 1881 के माध्यम से 7 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखानों में रोक लगाई गयी, और यह कहा गया कि वे सिर्फ 9 घंटे काम करेंगे । उस वक्त विदेशी सरकार पूरी तरह ध्यान नहीं दे पायी ।

मजदूर – और अब स्वामी जी ?

स्वामी जी – फिर से कानून बनता रहा सुधार होते रहे –

खान अधिनियम 1901 में 12 वर्ष से उम्र के बच्चों को काम पर रखने पर रोक लगायी गयी ।

कारखाना अधिनियम 1911 में शाम 7 बजे से सवेरे साढ़े 5 बजे तक बच्चों के काम पर रोक लगाई गयी ।

कारखाना संशोधन अधिनियम – 1922 में अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की अभी संख्या 5 को लागू करते हुए इनका उम्र 15 वर्ष किया गया ।

एक बात और सुनो – 1931 में श्रम मामलों पर गठित रायल आयोग की सिफारिशों ने 1931 से 1949 के बीच श्रम कानूनों को काफी प्रभावित किया । एक निर्णय के अनुसार 1932 में चारा जिला प्रवासी मजदूर अधिनियम के माध्यम से एक ओर असम में श्रमिकों के प्रवास पर अंकुश

लगाने का प्रयास किया था वही दूसरी ओर इस अधिनियम में यह भी व्यवस्था की गयी कि किसी बालक को अपने जिले से दूसरे जिले में नियोजन के लिए उत्प्रवास करने की अनुमति तभी दी जायेगी जबकि उस बालक के माता–पिता था उसका अभिभावक उसके साथ हो ।

मजदूर – ये बात आजादी के पहले की है बाद में क्या हुआ स्वामी जी ?

स्वामी जी – 26 जनवरी, 1950 से जब हमारे देश में अपना संविधान विशेषतौर पर अनुच्छेद – 23, 24, 39, 45 का प्रावधान किया गया है । अनुच्छेद 23 में – दुर्व्यवहार, बंगार और बालात् श्रम पर रोक लगायी गयी । अनुच्छेद 24 में 14 वर्ष से काम आयु के बच्चों को कारखाना या खान में या अन्य खतरनाक धंधों में रखने पर रोक लगायी गयी । और सबसे महत्वपूर्ण बात अनुच्छेद 39 के माध्यम से यह अपेक्षा की गयी कि राज्य यह सुनिश्चित करें कि बालकों के सुकुमार अवस्था का दुर्पयोग न हो । गरीबी के कारण उन्हें काम पर न जाना पड़े, और अनुच्छेद 43 द्वारा राज्य को सभी बालकों को 14 वर्ष की आयु पूरी करने तक निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का निर्देश दिया गया है ।

मजदूर – स्वामी जी, आप जो बताये रहें हो इ सब कोर्ट कचहरी की बात है ? यह सब फैसला वही का हैं?

स्वामी जी – अरे, भाई यह सब कानूनी प्रावधान हैं जिसे राज्य सरकारों को सख्ती से लागू करना चाहिए । कोर्ट कचहरी फैसला सुनाते हैं । लेकिन उनका फैसला ही कानून बन जाता है ।

मजदूर – आप ठीक–ठीक समझाओ स्वामी जी ।

स्वामी जी – देखो एक उदाहरण हम बता रहे है – पी0यू0डी0आर0 बनाम भारत संघ0ए0आई0आर0 1982 एस0सी0 1440 के मामले में न्यायमूर्ति पी0एन0 भगवती और बहरूल इस्लाम ने अवलोकन किया कि यह भारत सरकार द्वारा स्वीकृत अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के कन्वेंशन नं0 59 के जरूरतों के अलावा हमारे सामने संविधान की धारा 24 है । इसके अनुसार निर्माण कार्य को निःसन्देह खतरनाक काम माना । उन्होने कहा कि भारत सरकार और हर राज्य सरकार को यह गारण्टी करनी चाहिए कि देश के किसी भी भाग में संविधान की अवहेलना न हो ।

मजदूर – स्वामी जी, ये तो बड़ा सख्त आर्डर है । लेकिन हम लोग ठहरे मजदूर अपने बच्चों को कहाँ पढ़ने भेजें। पता ठिकाना है नाही ?

स्वामी जी – इसके बारे में भी उच्चतम न्यायालय का एक फैसला है । सुनो – सलाल हाईड्रो परियोजना में कार्यरत श्रमिक बनाम जम्मू कश्मीर राज्य व अन्य (1987) एस0सी0सी0 50 के मामले में यह अवलोकन किया था कि जब कभी सरकार कोई ऐसी निर्माण परियोजना शुरू करे जिसके कुछ समय तक चलते रहने की संभावना हो तो सरकार को उन निर्माण श्रमिकों के बालकों के

लिए जो परियोजना क्षेत्र के आस–पास रहते हैं स्कूल की व्यवस्था स्वयं करे या ठेकेदारों से उसकी व्यवस्था कराने का निर्देश दिया था । तुम सब जहॉ काम करते हो अपने अधिकारी या ठेकेदारों से कहों कि वे स्कूल की व्यवस्था करें । नहीं करें तो मुझे बताओं ।

मजदूर – स्वामी जी, अगर हमारे अधिकारी ये ठेकेदार ऐसा नहीं करे तो कोई जुर्माना, वर्माना है क्या ?

स्वामी जी – हॉ राष्ट्रीय श्रम संस्थान के जुलाई अगस्त 2001 के श्रम जगत पत्रिका के मुताबिक देश की राजधानी से सटी प्रमुख औधोंगिक नगरी नोयडा में हाल ही ये राज्य के श्रम विभाग द्वारा बाल मजदूर कानून की अवहेलना करने पर कारखाना के मालिकों पर 17 लाख जुर्माना लगाया गया । यह अभियान के तहत 130 बाल मजदूरों की पहचान की गयी इनमें से 42 बच्चे खतरनाक किस्म के काम में लगे थे – उद्योगों में इन बच्चों को काम पर लगाने वाले कारखाना मालिकों पर 20 हजार रू0 प्रति बाल मजदूर के दर से 8 लाख 40 रू0 जुर्माना लगाया गया । शेष बच्चों का काम कुछ कम खतरे वाला था लेकिन मालिकों ने अन्य दूसरे प्रावधानों को नहीं माना था । इसलिए वे भी दोषी करार किये गये और जुर्माना लगाया गया । इन दिनों अन्तर्राष्ट्रीय बाल श्रम उन्मूलन कार्यक्रम चलाया गया । हॉ इसकी शुरूआत 1992 में हुई थी । इस कार्यक्रम का उद्देश्य धीरे–धीरे पूरी दुनिया से बालश्रम को समाप्त करना ही इनका काम हमारे देश में भी चल रहा था ।

मजदूर – ये तो बहुत अच्छी बात है स्वामी जी, हम लोग तो कूप मंडूक है । भेड़ चाल चले जा रहे है । भूख और गरीबी उपर से सहे जा रहे है ।

स्वामी जी – यही तो बता रहा हूँ जानकारी हासिल करो और दूसरों को भी बताओ । समझ में न आये तो मुझ से मिलों ।

******

ऐपिसोड–77, तिथि 24–02–2002

विषय :–निर्माण मजदूरों के लिए कल्याणकारी योजनाएँ

आवाजें ..... निर्माण मजदूरों की .....

ये आवाजें उन लोगों की हैं, जो रात दिन हाड तोड़ श्रम कर सभ्यताओं का निर्माण तो कर जाते हैं, लेकिन खुद बेसहारा छूट जाते हैं । न उनके पास रहने को घर है, न पेट भर खाने को अन्न, जीने के इनके हक को रोज रौंदा जाता है । ज्यादातर निर्माण मजदूर अब भी असंगठित क्षेत्र में ही गिने जाते हैं, जिसका मतलब है उनकी समस्याओं के समाधान की संगठित लड़ाई अभी लम्बी है, फिर भी काफी संघर्ष के बाद निर्माण मजदूरों के हकों की ओर विभिन्न संगठनों और सरकार का ध्यान गया है । और इस लड़ाई के कुछ अच्छे नतीजे निकले हैं, तो निर्माण क्षेत्र से जुड़े मजदूर भाईयों, आज हम इसी बारे में चर्चा करेंगे कि निर्माण मजदूरों के हक में क्या–क्या कानून बने हैं और क्या–क्या हुआ है और क्या–क्या किया जाना है । तो भाई कटारे जी पहले यह बताएँ कि भवन और अन्य निर्माण क्षेत्र के मजदूरों के लिए कौन–कौन से कानून बने हैं।

कटारे जी – मजदूर भाईयों, राम–राम 15 सालों की लगातार लड़ाई के बाद अगस्त 1996 में संसद में निर्माण मजदूरों के लिए दो कानून बने–(एक) भवन और अन्य सनिर्माण कर्मकार (नियोजन और सेवाशर्त विनियमन्) अधिनियम 1996 और (दूसरा) भवन और अन्य सनिर्माण कर्मकार कल्याण उपकर अधिनियम 1996 ।

अनीस जी– तो कटारे भाई, ये तो बहुत अच्छी बात हुई । ये कानून तो लागू भी हो गये होंगे और निर्माण क्षेत्र के मजदूरों को इनका फायदा भी हो गया होगा ।

कटारे जी – अनीस भाई , यही तो दुःख की बात है । मार्च 1998 और नवम्बर 1998 में केंद्र सरकार से कुछ नियम भी तय किये, लेकिन अभी तक ये नियम कहीं कहीं ही लागू हुए हैं ।

अनीस जी – कटारे भैय्या ! क्या मतलब, तो फिर कूनन बनाने का क्या फायदा ?

कटारे जी – अनीस भैय्या ! मजदूरों के हक के लिए कानून बनाना तो जरूरी है । उनके पास और सहारा भी क्या है । इन कानूनों को राज्यों ने लागू करना था । लेकिन बड़ी तकलीफ की बात है कि अभी तक केवल तमिलनाडु और केरल प्रांतों में ही इसे लागू किया गया है । पाण्डिचेरी और दिल्ली में भी इस बारे में कुछ अधिनियम बने हैं । पर वे भी आधे–अधूरे । इसीलिए कहा अनीस भाई कि लड़ाई अभी लम्बी है ।

अनीस जी – यह तो ठीक कहा कटारे जी आपने । इन कानूनों नियमों में है क्या ? मजदूर भाईयों को भी तो पता होना चाहिए ना ।

कटारे जी – बहुत ठीक कहा आपने अनीस भाई । मजदूरों को भी और उनकी लड़ाई लड़ने वाले संगठनों को भी इस बारे में जानकारी होनी चाहिए । अनीस भाई इस बारे में हम आगे भी चर्चा करेंगे, लेकिन आज सबसे पहलें निर्माण मजदूर भाईयों को यह जानकारी दें कि निर्माण मजदूरों के लिए वर्ष 1996 में संसद ने जो कानून पास किये थे, 10 जनवरी 2002 से वे दिल्ली में भी लागू हो गये हैं ।

अनीस जी – अच्छा ! तो यह तो अच्छी बात है कि दिल्ली सरकार ने भी इसे लागू कर दिया है । इसका फायदा दिल्ली के कोई 8 लाख से अधिक मजदूरों को होगा और दिल्ली की देखादेखी अन्य प्रान्तों में भी होगा ।

कटारे जी – और जल्द ही निर्माण मजदूर कल्याण बोर्ड का गठन भी होने वाला है ।

अनीस जी – इससे क्या होगा ?

कटारे जी – होना क्या है ? दिल्ली सरकार ने जो घोषणाएँ की हैं, उनका फायदा निर्माण मजदूरों को कैसे मिले, यह देखना होगा ? कल्याण बोर्ड इसे देखेगा । लेकिन एक बात है । इस कानून का फायदा केवल उन निर्माण मजदूरों को ही मिल पायेगा, जो अपना रजिस्ट्रेशन करा चुके होंगे । निर्माण मजदूरों को चाहिए कि वे जल्दी से जल्दी अपना रजिस्ट्रेशन करा लें ।

अनीस जी – रजिस्ट्रेशन तो करा लेंगे, लेकिन इस बारे में क्या–क्या करना है ? यह कैसे पता चलेगा ?

कटारे जी – भाई जान ! कल्याण फण्ड का सदस्य 18 से 60 वर्ष का निर्माण मजदूर बन सकता है । ज्यादा तफसील से पता करने के लिए बंधुआ मुक्ति मोर्चा के कार्यालय, 7 जन्तर मन्तर नई दिल्ली से संपर्क कर सकते हैं ।

अनीस जी – अच्छा भैय्या तो आप बता रहे थे कि अगर रजिस्ट्रेशन करा लें, तो दिल्ली सरकार ने जो घोषणाएँ की है उसका फायदा निर्माण मजदूर उठा सकते हैं ।

कटारे जी – हाँ, तो भैय्या, अब मैं बताता हूँ कि दिल्ली सरकार ने क्या घोषणाएँ की है ।

- मौत हो जाने पर 15,000 रूपये या दुर्घटना में मौत होने पर आश्रितों को 50,000 रूपये की मदद ।
- अंतिम संस्कार के लिए हजार रूपये तक की मदद मिल सकती है ।
- इलाज के लिए 1000 रूपये तक की सहायता दी जा सकती है ।
- दो बच्चों तक की शादी के लिए 2000 तक की मदद दी जा सकती है ।

- महिला मजदूर की शादी है, तो वह 2000 रूपये तक की मदद पा सकती है ।
- बच्चों की शिक्षा के लिए स्कालरशिप और आर्थिक सहायता दी जा सकती है ।

:3:

- महिला मजदूरों को 1000 रू0 जच्चा खर्च, दो बच्चों तक के लिए
- 60 साल की उम्र होने पर 150 रूपये से 450 रूपये तक की पेंशन की घोषणा की गई है ।
- 100 रूपये तक पारिवारिक पेंशन मिल सकती है ।
- मकान खरीदने या बनाने के लिए 50,000 रूपये तक का ऋण मिल सकता है ।
- विकलांगता पर 150 रूपये माहवार पेंशन और 50,000 रूपये तक की एक मुश्त आर्थिक सहायता मिल सकती है ।

तो भाइयों, ये थी निर्माण मजदूरों के लिए दिल्ली में की गई कुछ घोषणाएँ ।

अनीस जी– कटारे भाई साहब, अगर मजदूरों को ये सुविधाएँ मिल जायें, तो निर्माण क्षेत्र के मजदूरों को तो इनसे बड़ा फायदा होगा ।

कटारे जी – हाँ, अनीस भाई, लेकिन ये जो ऐलान हुए हैं, ऐसे ही नहीं हुए हैं, कोई बीसेक साल की लड़ाई के बाद इतना सा मिला है । और अभी तो इस पर अमल भी हेाना है । बात तो सरकारें काफी कर लेती हैं, लेकिन उससे क्या होता है ? बात तो तब है, जब उन्हें अमल में लाया जाये ।

अनीस जी – कटारे भाई, ये बात तो ठीक है, लेकिन अगर सरकारी महकमे इस पर अमल न करें, तो क्या करें ?

कटारे जी – फिर संघर्ष करो, अपने अधिकारों को जानना, उनके लिए लड़ना भी अपने आप, मैं, क्रांतिकारी काम है । इतने सालों की लड़ाई के बाद निर्माण मजदूरों के हक में कानून बने और उस पर अमल न हो, तो फिर बात क्या बनी, इसलिए मजदूर भाईयों से हम कहते है कि अपने अधिकार जानो और उनके लिए बराबर संघर्ष करते रहो । और तो निर्माण मजदूर भाई पहला काम यह करें कि अपना नाम रजिस्ट्र्ड करवाएँ । रजिस्ट्रेशन हो जाने पर टालमटोली को वे रोक सकते हैं और अपने हक भी पा सकते हैं।

अच्छा तो मजदूर भाइयों, राम–राम अब हमारे कार्यक्रम का समय समाप्त हो रहा है, लीजिए सुनिए मजदूर का यह गीत .....

ऐपिसोड–78, प्रसारण तिथि – 03–03–2002

विषय :– कबाड़ उठाने वाले बच्चों पर

सुबह होती है और शहर और कस्बों में जगह–जगह कूड़े के ढेरों से बच्चे तरह–तरह का कबाड़ उठाते नजर आते हैं । ये बच्चे वे हैं, जिन्हें भारत भाग्य विधाता कहा जाता है, लेकिन जिनकी अपनी किस्मत के बारे में कोई नहीं सोचता । पीढ़ी–दर–पीढ़ी बच्चे बड़े होते हैं, फिर उनके बच्चे ये काम करने लगते हैं और यह सिलसिला पीढ़ीदर पीढ़ी चला आ रहा है ।

ऐसा नहीं है कि इन बेसहारा और मजलूम बच्चों के लिए कुछ सोचा ही न हो, इस बारे में, भविष्य के कर्णधार बच्चों के बारे में भारतीय संविधान में भी व्यवस्था की गई हैं । कानून बनाये गये हैं । संयुक्त राष्ट्र संघ ने भी कानून बनाये हैं । सरकारों ने भी नियम कानून बनाये हैं, लेकिन हालत यह है कि जितने कानून बनते हैं, कबाड़ उठाने वाले बच्चों की संख्या भी बढ़ती जाती है । शहर फैल रहे हैं, कस्बे फैल रहे हैं, शहरों में गंदगी के ढेर फैल रहें हैं और दुख की बात हैं कि कबाड़ उठाने वाले बच्चों की संख्या भी बढ़ती जा रही है । मजदूरवाणी के श्रोताओं, यह बहुत ही दुख की बात है ।

जे0पी0– भाई साहब, आप ठीक कह रहे हो । मैं भी रोज कबाड़ उठाते बच्चों को देखता हूँ । देखकर घिन आती है और मन बहुत खट्टा हो जाता है । कुछ करने को मन होता है, लेकिन फिर सोचता हूँ अकेला क्या कर लूँगा ?

अनीस – कटारे अच्छा, आप सही कह रहे हैं। देखकर मैं भी बड़ा परेशान हो उठता हूँ और सोचता हूँ, दुनिया भर में बदलाव की बातें हो रही हैं, लेकिन इनका जीवन नहीं बदला ।

समाज सेवक – कटारे भैय्या और अनीस भैय्या, आपकी बातें सुनकर मुझे ज्यादा तकलीफ हो रही है । आप भले चंगे नौजवान जब ऐसी बातें कर रहे हैं, तो ये बेचारे कबाड़ उठाने वाले तो इस बोझ के नीचे दबते ही जायेंगे और उनका बचपन कभी खिल ही नहीं पायेगा ।

जे0पी0–अनीस – तो भाई जी क्या करें ? आप हमें सीख तो सही दे रहे हैं, लेकिन इससे छुटकारा पाने का कोई रास्ता भी तो बतावें न ?

समाज सेवक – नहीं देखो, मैं आपसे यह कह रहा था कि पहले आप लोगों को इस बारे में बने कानून–नियमों की जानकारी पानी चाहिए फिर उसका इन बच्चों और उनके माँ–बाप के बीच प्रचार करना चाहिए । उन्हें यह बताना चाहिए कि संविधान में बच्चों से इस तरह का काम न लेने की व्यवस्था है । इसके अलावा भी नियम कानून पास हुए हैं । सवाल है कि आप अगर उनकी जानकारी नहीं रखेंगे, तो केवल दुखी होते रहेंगे और ये गलत परंपरा चलती रहेगी ।

जे0पी0–अनीस – भाई जी, संविधान क्या कहता है इस बारे में ?

समाज सेवक – भारतीय संविधान में कहा गया है कि 14 साल की उम्र तक बच्चों की शिक्षा दीक्षा और देखभाल की जिम्मेदारी राज्य की है । बच्चों के अधिकारों के लिए संविधान में एक तरफ तो मौलिक अधिकारों में (यानी संविधान के अध्याय 3 में) इनकी व्यवस्था है । फिर संविधान के अध्याय 4 में निदेशक सिद्धांतों के अंतर्गत इस बारे में धारा 24 में स्पष्ट कहा

गया है कि ''14 साल की उम्र से कम के बच्चों को किसी भी फैक्टरी या खान में या किसी अन्य हानिकारक काम में नहीं लगाया जायेगा ।'' अनुच्छेद 39 में भी बच्चों की देखरेख और काम काज के बारे में व्यवस्था की गई हैं । अनुच्छेद 45 में बच्चों के लिए शिक्षा के बारे में राज्यों को स्पष्ट निर्देश दिये गये हैं । समझे भाईयो !

जे0पी0अनीस– लेकिन भाई जी जब संविधान में यह इंतजाम है, तो फिर इस पर अब तक अमल क्यों नहीं हुआ। आपने जो बताया, उसके हिसाब से तो संविधान बनाने वालों ने बच्चों के बारे में खूब सोचा है और राज्य को निर्देश भी दिये हैं ।

समाज सेवक – यही तो बात है प्यारो हमारे देश में कागज पर बहुत कुछ है, लेकिन अमल में कम है । जब तक अपने अधिकारों के लिए आवाज नहीं उठाई जाती, तब तक कई हक धरे रह जाते हैं। काफी शोर शराबे के बाद इस बारे में और भी कानून बनें । अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन ने इस बारे में 18 कन्वेंशन किये और 16 सिफारिशें की हैं । इन कागजों पर भारत के भी दस्तखत हैं । लेकिन जब तक अपने अधिकारों के बारे में न जानो । संगठित न होओ और न लड़ो, तब तक कोई सुनता नहीं ।

जे0पी0,अनीस– भाई जी, ये तो आपने अच्छी बात बताई और भी तो कानून होंगे, इस बारे में, कोई हों तो बतायें ।

समाज सेवक – हॉ, भाईयों । एक कानून या अधिनियम है चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलैशन एक्ट 1986 का यानी 1986 में बना बाल श्रम (निषेध और नियमीकरण) एक्ट । यह कानून खास संविधान और अंतरराष्ट्रीय श्रम कानूनों को ध्यान में रखते हुए बना है । ये अच्छे कानून है और इनके अनुसार 14 साल की उम्र तक के बच्चों को बचपन का पूरा आनंद पाने का अधिकार है । खासतौर से शिक्षा को लेकर । लेकिन इस पर अमल करवाने के लिए अभी कई काम और करने होंगे ।

जे0पी0, अनीस –भाई जी, अभी आपने संविधान के अनुच्छेद 24 की बात की थी, जिसमें खासतौर पर आपने फैक्ट्री और खान में बच्चों के काम के बारे में बात की, लेकिन उसमें कबाड़ उठाने वाले बच्चों के लिए तो कोई बात नहीं है । उन बेचारों की तो बात फिर भी रह ही गई ।

समाजसेवक – ऐसी बात नहीं हैं भाईयों, केंद्र सरकार ने मई 2001 से बच्चों के कबाड़ उठाने के काम पर रोक लगा दी है, लेकिन फिर भी यह धिनौनी रीत जारी है । इसके अलावा दिल्ली के लिए दिल्ली के प्राथमिक शिक्षा एक्ट में बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा की बात की गई है। तो ये सब बातें तो कानून में हैं, लेकिन इन कानूनों के अमल की बात जहॉ तक है, इसके लिए भाईयों हम सब को मिलकर काम करना होगा । और कबाड़ उठाने वाले बच्चों और उनके मॉ बाप को बताना होगा कि वे बच्चों को स्कूल भेंजे । बच्चों का बचपन खत्म न करें उन्हें भी बगिया के सभी फूलों की तरह खिलने का अधिकार है ।

जे0पी0, अनीस – भाई जी, ये बात तो आपने कह दी और कानून ने भी कह दी, मगर बच्चे स्कूल जाते नहीं और जो जाते हैं वे वापस आ जाते हैं । क्योंकि उनका कहना हैं स्कूलों में टीचर मार–पीट करते हैं ।

समाज सेवक – हाँ, भाई ये बात तो तुम ठीक कह रहे हो । नेफरे के सहयोगी वकीलों के संगठन सोशल जस्टिस ने दिल्ली के एक इलाके का दौरा किया । 5 लाख आबादी के इस इलाके में 5 लाख की आबादी में से 30–40 हजार बच्चे बस कबाड़ ही उठाने में लगे रहते हैं । स्कूल भी नहीं जा पाते । इन लोगों ने तीन महीने इन बच्चों के साथ घुलमिलकर काम किया और जाना कि बच्चों के मन में क्या चलता है । तो तीन चार बातें सामने आई :–

1. बच्चों का भी मानना है कि उनको घृणा से देखा जाता है । स्कूल जाने वालें को थोड़ा इज्जत मिल जाती है ।
2. स्कूल जाना चाहते हैं, लेकिन जाते नहीं । एक तो इसलिए कि स्कूल में भी उनकी पढ़ाई पर खास ध्यान नहीं दिया जाता और फिर उनके साथ मार–पिटाई होती है।
3. अगर परिवार की आर्थिक हालत इतनी बिगड़ी न हो, तो मॉ–बाप भी बच्चों को स्कूल जाने से रोकेगें नहीं ।
4. चौथी बात ये निकली कि अगर इन बच्चों की ओर समाज और सरकार ध्यान दे, तो ये बच्चे कबाड़ ढोने का काम छोड़ सकते हैं ।

जे0पी0, अनीस – अच्छा जी, तो अब तो सरकार इस बारे में कुछ न कुछ जरूर करेगी ।

समाज सेवक – अरे भाई मैंने आपको बताया न कानून हैं, नियम हैं, सोचने समझने वालों का दबाव भी है, इन बच्चों के लिए कुछ संगठन लड़ भी रहे हैं, फिर भी इन कानून–नियमों पर ठीक से अमल नहीं हो पाता । असली अमल तो तभी हो पायेगा । जब खुद ये बच्चे और उनके मॉ–बाप अपने अधिकार जानकर उनके लिए आवाज उठायेंगे और खुद आगे बढ़कर अधिकारों की लड़ाई अपने हाथ में ले लेंगे । जैसे 14 वर्ष की उम्र तक शिक्षा का अधिकार संविधान से प्राप्त है । उनकी शिक्षा की देखभाल की जिम्मेदारी राज्य की है । संविधान में दर्ज निर्देशक सिद्धांतों की धारा 24 में कहा गया है कि 14 साल से कम उम्र के बच्चों को किसी भी फैक्ट्री या खान में हानि पहुॅचाने वाले किसी काम में नहीं लगाया जायेगा । और मई 2001 में केंद्र सरकार ने बच्चों के कबाड़ उठाने के काम पर रोक लगा दी है । तो ये एक तरह से बच्चों का मौलिक अधिकार है । रहा लड़ाई के तरीके क बात तो या तो मौलिक अधिकारी है । रहा लड़ाई के तरीके की बात तो या तो कबाड़ उठाने वाले स्वयं संगठन उठाये या फिर इस बारे में बंधुआ मुक्ति मोर्चा से संपर्क करें ।

जे0पी0, अनीस – बात तो बिल्कुल ठीक कही भाई जी, आपने । आपने इस बारे में आज हमें जो भी बताया, उसके हिसाब से काम करेंगे । समाज को जागरूक करेंगे और खुद कबाड़ उठाने वाले लोगों से बात करेंगे।

समाजसेवक – तो भाईयों, देरी क्यों, आज से और अभी से ये काम शुरू कर दो 'मजदूरवाणी' के जरिये। आओ भाईयों एक नारा लगाते हैं– '' बचपन बच्चे का जन्मजात हक है, उसे मत रौंदों ।''

(जे0पी0 और अनीस भी नारा लगाते हैं ।)

समाज सेवक – अच्छा तो भाईयों, आज इतना ही । अगले इतवार को इसी वक्त फिर मिलेंगे ।

*****